

# छत्तीसगढ़ विधान सभा

## प्रश्नोत्तर-सूची

दिसम्बर, 2011 सत्र

गुरुवार, दिनांक 15 दिसम्बर, 2011

### तारांकित प्रश्नोत्तर

पाली तानाखार विधान सभा क्षेत्र में नल जल योजना की स्थिति

1. (\*क्र. 87) श्री रामदयाल उईके : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोरबा जिले के अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र पाली तानाखार में वर्ष 2009-10 एवं वर्ष 2010-11 में किन-किन ग्रामों में कितनी-कितनी राशि की नल जल योजना स्वीकृत की गई थी ? (ख) कितनी नल जल योजना पूर्ण है तथा कितनी अपूर्ण है ? (ग) क्या कपोट ग्राम में भी नल जल योजना स्वीकृत की गई है ? यदि हां, तो अभी तक प्रारंभ क्यों नहीं की गई है ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) कोरबा जिला अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र पाली-तानाखार में प्रश्नाधीन अवधि (2009-10 एवं 2010-11) में कोई भी नलजल योजना स्वीकृत नहीं की गई. (ख) प्रश्न "क" के संबंध में प्रश्न ही नहीं उठता. (ग) (i) जी हां. कपोट ग्राम की नलजल योजना दिनांक 22-12-2007 को लागत रु. 24.98 लाख की स्वीकृत की गई थी. (ii) सीधे पंपिंग से आंशिक जल प्रदाय किया गया था. स्रोत (नलकूप) कोलेप्स होने के कारण योजना बंद है.

कसडोल विधान सभा क्षेत्र में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत स्वीकृत राशि

2. (\*क्र. 116) श्री राजकमल सिंघानिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 3 वर्षों में विधान सभा क्षेत्र कसडोल के विकासखण्ड कसडोल, पलारी एवं बलौदाबाजार के अंतर्गत आर.आई.सर्किल लवन में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत कितनी-कितनी राशि कब-कब स्वीकृत की गई ? (ख) प्रश्नांश "क" में उल्लेखित योजना के तहत रायपुर जिले में किन-किन फर्म/एजेंसियों को विद्युतीकरण का कार्य दिया गया है ? (ग) उक्त एजेंसियों द्वारा 31 अक्टूबर 2011 की स्थिति में रायपुर जिले के कसडोल विधान सभा के किन-किन पंचायतों के किन-किन ग्रामों/मजरा टोला में शत-प्रतिशत विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है ? कहां-कहां कितना कार्य शेष है ? कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत परियोजना की स्वीकृति जिलेवार दी जाती है, विधान सभावार नहीं. विगत तीन वर्षों में योजना के अन्तर्गत रायपुर जिले के लिए राशि रुपये 71.81 करोड़ दिनांक 20-08-2010 को स्वीकृत की गई, जिसमें विधान सभा कसडोल के विकासखण्ड पलारी एवं बलौदाबाजार के अंतर्गत आर.आई. सर्किल लवन के कार्य भी सम्मिलित हैं. (ख) रायपुर जिले के लिए स्वीकृत योजना के क्रियान्वयन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा अधिकृत एजेन्सी मेसर्स नेशनल हाईड्रो पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड को नियुक्त किया गया है, जिनके द्वारा मेसर्स बजाज इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, मुम्बई को योजना के कार्य सम्पादन का दायित्व सौंपा गया है. (ग) 31 अक्टूबर 2011 की स्थिति में कसडोल विधान सभा क्षेत्र के 120 ग्राम पंचायत के 169 ग्रामों में सघन विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जिनकी सूची † संलग्न प्रपत्र "अ" में दर्शायी गयी है तथा 87 ग्राम पंचायत के 123 ग्रामों में 58.1 कि.मी. 11 के.व्ही. लाईन, 51.8 कि.मी. निम्न दाब लाईन, 105 नग वितरण ट्रांसफार्मर एवं 2351 बी.पी.एल. कनेक्शन प्रदाय किये जाने के कार्य शेष हैं. ग्रामवार विवरण † संलग्न प्रपत्र "ब" में दर्शाया गया है. इन शेष कार्यों को मार्च 2012 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है.

भाटापारा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत अटल ज्योति योजना के तहत स्वीकृत कार्य

3. (\*क्र. 111) श्री चैतराम साहू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भाटापारा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों में अटल ज्योति के तहत कितने कार्य स्वीकृत हुए ? (ख) क्या स्वीकृत सभी कार्य पूर्ण कर लिए गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं हुए, कब तक पूर्ण कर लिए जावेंगे ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) भाटापारा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों में अटल ज्योति योजना के तहत 13 कार्य स्वीकृत किये गये हैं. (ख) जी नहीं. उक्त क्षेत्र में दो फसली खेती के कारण पहुंच बाधित रहने व भूस्वामियों द्वारा लगातार खंभे खड़ा करने पर आपत्ति करने के कारण योजना में स्वीकृत कार्यों के क्रियान्वयन में विलंब हो रहा है, जिसे मार्च 2012 तक पूर्ण करने के प्रयास हैं.

हरित क्रांति योजना अंतर्गत आर्वाटित राशि

4. (\*क्र. 172) **डॉ. हरिदास भारद्वाज** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2011-12 में छत्तीसगढ़ प्रदेश में हरित क्रान्ति योजना अंतर्गत जिलेवार कितनी-कितनी राशि आर्वाटित की गई ? (ख) उक्त योजना अंतर्गत कौन-कौन सा कार्य किया जाना है तथा किसान चयन का आधार क्या है ? (ग) वर्तमान खरीफ फसल हेतु महासमुंद जिले में कितने-कितने क्षेत्रफल में कौन-कौन सा फसल ली गयी विकासखण्डवार बतायें ?

**कृषि मंत्री** (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) वर्ष 2011-12 में माह नवम्बर 2011 तक प्रदेश में हरित क्रान्ति योजना अंतर्गत कुल राशि रुपये 2,760.00 लाख आर्वाटित की गई. जिलेवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” में है. (ख) उक्त योजना अंतर्गत धान वृहद प्रदर्शन, नलकूप खनन, वन अधिकार पट्टेधारी कृषकों को धान बीज एवं उर्वरक प्रदाय, चेकडेम निर्माण, लघु सिंचाई तालाब निर्माण एवं हाईब्रिड धान प्रदर्शन का कार्य किया गया है. इस योजना में कृषकों का चयन भारत सरकार, द्वारा योजना के संबंध में जारी दिशा निर्देशों के अनुसार पंचायत राज संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है. (ग) खरीफ 2011 में महासमुंद जिले में हरित क्रान्ति विस्तार योजना अंतर्गत 5,000 हेक्टेयर में धान वृहद प्रदर्शन, 313.60 हेक्टेयर में वन अधिकार वनपट्टा धारकों को उर्वरक तथा धान बीज वितरण एवं 400 हेक्टेयर में कृषकों के यहां हाईब्रिड धान के प्रदर्शन आयोजित किये गये. विकासखण्डवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” में है.

सी.एम.डी.सी. द्वारा धारित खदानों से प्राप्त आय

5. (\*क्र. 120) **श्री मोहम्मद अकबर** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्लपमेंट कारपोरेशन के पास कहां-कहां डोलोमाईट, लौह अयस्क, बॉक्साईट एवं कोयले की खदानें हैं तथा इनमें अलग-अलग उत्खनन कार्य किनके-किनके द्वारा किस आधार पर कब-कब से किया जा रहा है ? (ख) उक्त खदानों से अलग-अलग मदवार कुल कितनी आय वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 में हुई है ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्लपमेंट कारपोरेशन को लौह अयस्क तथा कोयले के खनिपट्टे स्वीकृत नहीं किया गया है. डोलोमाईट तथा बाक्साईड के स्वीकृत खनिपट्टों की जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “अ” पर दर्शित है. (ख) जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “ब” पर दर्शित है.

बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र में गौण खनिजों से प्राप्त राशि

6. (\*क्र. 12) **श्री ताप्रध्वज साहू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पंचायतों को गौण खनिजों से मिलने वाली राशि से पंचायत में विकास कार्य करने हेतु स्वीकृति किनके द्वारा दी जाती है ? (ख) बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र में गौण खनिज से प्राप्त राशि से विकास कार्य हेतु किन-किन ग्राम पंचायतों को कितनी-कितनी राशि वर्ष 2010-2011 एवं 2011-2012 में स्वीकृत की गई है तथा कितने पंचायतों के लिए राशि स्वीकृत करना लंबित है ? इनको कब तक स्वीकृत कर दिया जायेगा ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) पंचायतों को वितरित की गई गौण खनिजों की राशि से विकास कार्य करने की स्वीकृत संबंधित कलेक्टर के द्वारा दी जाती है. (ख) बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2010-11 में विकास कार्यों हेतु गौण खनिज से प्राप्त रायल्टी राशि के वितरण की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. वित्तीय वर्ष 2011-12 में विकास कार्यों हेतु गौण खनिज से प्राप्त रायल्टी राशि के वितरण का आदेश दिनांक 16-11-2011 को जारी किया गया है. संबंधित पंचायतों को वितरण की कार्यवाही जिला स्तर पर प्रचलन में है.

शासकीय सेवाओं में नियुक्ति हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट

7. (\*क्र. 76) **श्री रविन्द्र चौबे** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या लोक सेवा आयोग की वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 में आयोजित समस्त परीक्षाओं में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 35 में 2 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी गई थी ? (ख) यदि हां, तो किन कारणों से तथा कब तक के लिये दी गई थी ? (ग) क्या अधिकतम आयु सीमा में दी गई अतिरिक्त छूट को समाप्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब तथा क्यों ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) जी हां. (ख) छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पश्चात् लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा नियमित रूप से आयोजित नहीं की जा सकी थी. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए लोक सेवा आयोग की परीक्षा हेतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों की मांग को दृष्टिगत रखते हुए, लोक सेवा आयोग की वर्ष 2008-2009 तथा 2009-2010 में आयोजित होने वाली समस्त परीक्षाओं में, छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 35 में 2 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी गई थी, जो दिनांक 31-03-2010 को समाप्त हो गई है. (ग) जी हां. उक्त छूट 02 वर्ष की निर्धारित समयावधि के लिए थी, जो उक्त समयावधि व्यतीत हो जाने के कारण दिनांक 31-03-2010 को समाप्त हो गई है.

लोरमी विधान सभा क्षेत्र में ट्यूबवेल खनन की स्वीकृति

8. (\*क्र. 194) **श्री धर्मजीत सिंह** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2009 से लेकर वर्ष 2011 तक लोरमी विधान सभा क्षेत्र के लिये विधायक निधि से एवं प्रभारी मंत्री बिलासपुर द्वारा दिये गये ट्यूबवेल खनन की स्वीकृति किस-किस गांव के लिए कब-कब प्रदान की गई थी ? (ख) इसमें से किन-किन स्थानों पर ट्यूबवेल का खनन कर दिया गया है एवं कहां-कहां खनन नहीं किया गया है ? (ग) स्वीकृति के बाद भी खनन क्यों नहीं किया गया है ?

**आदिमजाति विकास मंत्री** (श्री केदार कश्यप) : (क) वर्ष 2009 से लेकर वर्ष 2011 तक लोरमी विधान सभा क्षेत्र के लिये विधायक निधि से 12 ट्यूबवेल खनन की स्वीकृति प्रदान की गई एवं प्रभारी मंत्री बिलासपुर द्वारा कोई कार्य स्वीकृत नहीं किया गया. ट्यूबवेल स्वीकृत ग्रामों की सूची एवं स्वीकृति का दिनांक † संलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शित है. (ख) ट्यूबवेल खनन कार्य पूर्ण एवं अपूर्ण की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” में दर्शित है. (ग) शेष बचे 03 ट्यूबवेल के खनन हेतु मशीन लगाई गई थी परन्तु भसकने वाले स्ट्रेटा होने के कारण खनन सफल नहीं हुआ.

एकलबत्ती एवं 05 एच.पी. पंप कनेक्शनधारियों से वसूली

9. (\*क्र. 130) **डॉ. शक्राजीत नायक** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में मुख्यमंत्री एकलबत्ती कनेक्शनधारियों को मीटर समेत या मीटर विहीन कितने-कितने रुपये माहवारी बिलिंग 01 अप्रैल, 2010 से 30 नवंबर, 2011 के बीच वसूली करने का नियम में प्रावधान है ? (ख) रायगढ़ जिले के सरिया, कोडातराई, पुसौर, रायगढ़ शहर विद्युत वितरण केन्द्र में एकलबत्ती कनेक्शनधारियों से नियम से अधिक कितनी-कितनी राशि इस अवधि में प्रत्येक उपभोक्ताओं से वसूली गई है ? (ग) किसानों से ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए 05 एच.पी. तक मीटर और बिना मीटर वालों को कितनी-कितनी राशि वसूल करने का नियम है ? 01 अप्रैल, 2011 से 30 नवंबर, 2011 तक कितने-कितने की अधिक बिलिंग उपरोक्त तीनों वितरण केन्द्र के किन-किन ग्रामों में की गई ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) प्रदेश में एकलबत्ती कनेक्शनधारियों (मुख्यमंत्री एकलबत्ती कनेक्शनधारियों नहीं) को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा दिनांक 30-05-2009 को अधिसूचित टैरिफ में मीटर युक्त एकलबत्ती कनेक्शनधारियों को 360 यूनिट प्रति वर्ष अर्थात् औसत 30 यूनिट प्रतिमाह की खपत पर छूट दी गई है. मीटर युक्त कनेक्शन के मामले में उक्त सीमा से अधिक खपत होने पर संबंधित उपभोक्ता के कनेक्शन को सामान्य घरेलू प्रकाश एवं पंखे की श्रेणी में परिवर्तित कर दर्ज सम्पूर्ण खपत पर उक्त टैरिफ में प्रभावशील दर से बिजली बिल दिये जाने का प्रावधान था. मीटर विहीन एकलबत्ती कनेक्शन के मामले में रुपये 50/- प्रति माह प्लैट रेट की दर से बिलिंग किये जाने का प्रावधान था. नियामक आयोग द्वारा दिनांक 01-04-2011 से अधिसूचित टैरिफ अनुसार सभी एकलबत्ती कनेक्शनों पर मीटर अनिवार्य है. एकलबत्ती कनेक्शन के अंतर्गत प्रति माह 30 यूनिट की खपत को निःशुल्क किया गया है, लेकिन 10 पैसे प्रति यूनिट की दर से ऊर्जा विकास उपकर देय है. उक्त सीमा से अधिक खपत होने पर संबंधित उपभोक्ता के कनेक्शन अंतर्गत 30 यूनिट से अधिक की खपत पर घरेलू प्रकाश एवं पंखे कनेक्शन की श्रेणी पर प्रभावशील दर से बिलिंग किये जाने का नियम है. (ख) प्रश्नांश (ख) में सम्मिलित विद्युत वितरण केन्द्रों में एकलबत्ती कनेक्शनधारियों को नियमों के अनुसार बिल जारी किये गये हैं. (ग) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा दिनांक 01-04-2011 को

अधिसूचित टैरिफ दरों के अनुसार प्रदेश के सभी सिंचाई पम्प कनेक्शनों पर मीटर लगाकर कनेक्शन दिये जाने का नियम है। तदनुसार सिंचाई पम्प कनेक्शन अन्तर्गत स्थापित मीटर में दर्ज खपत अनुसार रुपये 1.10 प्रति यूनिट की दर से ऊर्जा प्रभार तथा रुपये 20/- प्रति एच.पी. फिक्सड चार्जस अनुसार बिलिंग किये जाने का नियम है। राज्य की “कृषक जीवन ज्योति योजना” के अंतर्गत पात्र सिंचाई पंप कनेक्शन पर प्रति वर्ष 6000 यूनिट तक की खपत पर लागू विद्युत प्रभार के भुगतान से छूट देने का नियम है। प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित वितरण केन्द्रों में नियम अनुसार बिल जारी किये गये हैं।

रायपुर स्थित लोधीपारा चौक से अशोका टावर के बीच हाई टेंशन लाईन की शिफ्टिंग

10. (\*क्र. 104) **श्री देवजी भाई पटेल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोधीपारा चौक रायपुर से अशोका टावर चौक, शंकर नगर रायपुर के बीच हाईटेंशन लाईन की स्थापना कब की गई ? क्या इसमें पुनः परिवर्तन/शिफ्टिंग का आदेश दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? (ख) कंडिका “क” की स्वीकृति के लिए सक्षम अधिकारी कौन है, क्या इनकी स्वीकृति ली गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? (ग) कंडिका “क” के लाईन के शिफ्टिंग/परिवर्तन के पूर्व क्षेत्र के नागरिकों से सहमति ली गई ? यदि हां, तो कब, नहीं तो क्यों ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) लोधीपारा चौक से अशोका टावर चौक शंकरनगर रायपुर के बीच विद्यमान 33 के.व्ही. शंकरनगर-2 एवं 11 के.व्ही. टी.व्ही. फीडर की स्थापना 1970 तथा 11 के.व्ही. पण्डरी/राजीव नगर फीडर की स्थापना वर्ष 1980 में की गई। जी हां, खसरा क्रमांक 23/17 (प्लाट) के भू-स्वामी श्रीमति दीप्ति शर्मा के आवेदन पर उक्त प्लाट के ऊपर से जा रही 33 केव्ही शंकर नगर फीडर को शिफ्ट करने हेतु कार्यादेश जारी किया गया है। (ख) उत्तरांश “क” में सम्मिलित 33 के.व्ही. लाइन के शिफ्टिंग के लिए अधीक्षण अभियन्ता (शहर) वृत्त-एक रायपुर सक्षम अधिकारी हैं, जिनके द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। (ग) जी नहीं। उत्तरांश “क” में सम्मिलित 33 के.व्ही. लाइन के शिफ्टिंग के लिए विद्युत अधिनियम 2003 के संगत धाराओं के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी सक्षम है।

खरसिया विधान सभा क्षेत्र में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत ग्रामों का विद्युतीकरण

11. (\*क्र. 5) **श्री नंदकुमार पटेल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 23-11-2011 की स्थिति में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत विधान सभा खरसिया के विकासखण्ड खरसिया, रायगढ़ एवं पुसौर के कौन-कौन से गांव में विद्युतीकरण कार्य पूर्ण हो गया है और कौन-कौन से गांव में विद्युतीकरण अपूर्ण हैं ? विकासखण्डवार जानकारी देवें। (ख) उक्त योजनांतर्गत प्रश्नांकित अवधि तक उक्त विकासखण्डों में कितने-कितने ट्रांसफार्मर कितनी-कितनी क्षमता के लगाये गये हैं ? (ग) क्या उक्त योजना में पूर्ण कर लिये गांवों को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी ने अपने हस्तांतरण में ले लिया है ? यदि नहीं, तो कब तक ले लिया जावेगा ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) दिनांक 23-11-2011 की स्थिति में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत विधान सभा खरसिया के विकासखण्ड खरसिया, रायगढ़ एवं पुसौर के क्रमशः 28, 15 एवं 10 ग्रामों में विद्युतीकरण कार्य पूर्ण हो गये हैं तथा क्रमशः 106, 50 एवं 48 ग्रामों में विद्युतीकरण कार्य प्रगति पर है। विकासखण्डवार, ग्रामवार कार्य की अद्यतन स्थिति की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शाई गई है। (ख) योजनांतर्गत प्रश्नांकित अवधि तक खरसिया विधान सभा क्षेत्र के विकासखण्ड खरसिया में निरंक, रायगढ़ में 03 नग 10 के.व्ही.ए. एवं पुसौर में 01 नग 10 के.व्ही.ए. क्षमता के ट्रांसफार्मर स्थापित किये गए हैं। (ग) योजना के अन्तर्गत कुल 53 ग्रामों के विद्युतीकरण कार्य पूर्ण किया गया है, जिनमें से 36 ग्रामों के कार्यों को विद्युत वितरण कम्पनी ने टेकओवर कर लिया है तथा शेष 17 ग्रामों के कार्यों को टेकओवर करने की कार्यवाही 31 दिसम्बर 2011 तक पूर्ण करने के प्रयास हैं।

आरंग विधान सभा क्षेत्र में कृषकों को नलकूप खनन हेतु प्रदत्त सहायता/अनुदान

12. (\*क्र. 69) **श्री रूद्र कुमार गुरू** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आरंग विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2010, 2011 एवं 2012 में कितने किसानों को किन-किन योजनाओं के तहत नलकूप खनन हेतु शासन से कितनी-कितनी सहायता/अनुदान प्रदाय किया गया ? (ख) कितने किसानों के प्रकरण विभागीय स्तर पर लंबित है ?

**कृषि मंत्री** (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) **संचालनालय कृषि** :—आरंग विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2009-10, 2010-11, एवं 2011-12 में (30-11-2011 तक) लघु सिंचाई नलकूप योजनांतर्गत 173 कृषकों को राशि रु. 17,26,160 एवं राष्ट्रीय कृषि विकास

योजनांतर्गत उथले नलकूप खनन हेतु 22 कृषकों को राशि रु. 1,10,000 खनन अनुदान प्रदाय किया गया है. वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	वर्ष	लघु सिंचाई नलकूप योजना		राष्ट्रीय कृषि विकास योजनांतर्गत	
		कृषक संख्या	खनन अनुदान राशि (रु. में)	कृषक संख्या	खनन अनुदान राशि (रु. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	2009-10	105	1046160	9	45000
2.	2010-11	52	520000	12	60000
3.	2011-12	16	160000	1	5000
(30-11-11 की स्थिति में)					
<b>योग</b>		<b>173</b>	<b>17,26,160</b>	<b>22</b>	<b>1,10,000</b>

**संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी :**— राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना अंतर्गत वर्ष 2010-11 में सामुदायिक नलकूप खनन हेतु 7 समूहों के 32 किसानों को नलकूप खनन हेतु रु. 4,40,618/- अनुदान राशि प्रदान की गई है. वर्ष 2010 एवं 2012 में सामुदायिक नलकूप खनन हेतु किसानों को अनुदान प्रदान नहीं किया गया है. (ख) दिनांक 30-11-2011 की स्थिति में आरंग विधान सभा क्षेत्र के किसी भी कृषक का नलकूप खनन का अनुदान प्रकरण/देयक विभागीय स्तर पर लंबित नहीं है.

प्रदेश में अमानक स्तर के कीटनाशक विक्रय के दर्ज प्रकरणों पर कार्यवाही

13. (\*क्र. 57) **डॉ. ( श्रीमती ) रेणु जोगी :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रदेश में घटिया कीटनाशक बेचने का मामला प्रकाश में आया है ? (ख) यदि हां, तो किन-किन कंपनियों पर आपराधिक मामले दर्ज किये गये और क्या कार्यवाही की गई है ?

**कृषि मंत्री ( श्री चन्द्रशेखर साहू ) :** (क) वर्ष 2011-12 में अमानक स्तर की कीटनाशक बेचने का 23 प्रकरण में आया है. (ख) मेसर्स किलप्ले पेस्टीसाईड इंदौर के विरुद्ध थाने में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है तथा 08 कंपनियों के अमानक पाये गये 11 उत्पाद के बैच नंबर को पूरे प्रदेश में विक्रय हेतु प्रतिबंधित किया गया एवं 10 विक्रेताओं के लायसेंस निलंबित किये गये. विस्तृत विवरण † संलग्न परिशिष्ट पर है.

महासमुंद में जल आवर्धन योजना की स्थिति

14. (\*क्र. 124) **श्री अग्नि चन्द्राकर :** क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में 2009 से 23-11-2011 तक किन-किन शहरों में जल आवर्धन योजना स्वीकृत की गई है ? स्वीकृत एवं कार्य प्रारंभ दिनांक क्या है ? (ख) महासमुन्द जल आवर्धन योजना में कौन-कौन से कार्य शेष हैं ? कब तक कार्य पूर्ण कर जल आवर्धन योजना चालू की जावेगी ?

**आदिमजाति विकास मंत्री ( श्री केदार कश्यप ) :** (क) प्रदेश में 2009 से 23-11-2011 तक स्वीकृत शहरी आवर्धन जल प्रदाय योजनाओं की जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शित अनुसार. (ख) महासमुन्द आवर्धन जल प्रदाय योजना (वर्ष 2006-07) अंतर्गत निम्नलिखित कार्य शेष है :—

1. जल शोधन संयंत्र तथा जैकवेल एवं इन्टेकवेल निर्माण का लगभग 15 प्रतिशत कार्य शेष.
2. विद्युत सब-स्टेशन एवं पंप स्थापना कार्य शेष.
3. विद्युत कनेक्शन शेष.
4. 08 नग आई टाईप क्वार्टर का निर्माण शेष.
5. डब्ल्यू.बी.एम. पहुंच मार्ग शेष.
6. शुद्ध जल एवं अशुद्ध जल पंपिंग मेन का परीक्षण एवं वाल्व चेम्बर का निर्माण शेष.

—पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति एवं राशि की उपलब्धता के पश्चात् योजना पूर्ण कर जल प्रदाय प्रारंभ किया जाना लक्षित है.

मुख्यमंत्री, मंत्रियों/अधिकारियों की विदेश यात्रा पर व्यय

15. (\*क्र. 48) **श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माननीय मुख्यमंत्री, मंत्रियों तथा अधिकारियों द्वारा विगत एक वर्ष के दौरान कितनी विदेश यात्रायें कहां-कहां की, की गई है ? (ख) इन यात्राओं में कितना व्यय किया गया है ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) एवं (ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है।

जिला रायपुर में कृषक सम्मेलन का आयोजन तथा कृषि सामग्री का वितरण

16. (\*क्र. 159) **डॉ. शिवकुमार डहरिया** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिले में वर्ष 2010-11 में दिनांक 25-11-2011 तक विभिन्न विकासखण्डों में कृषक सम्मेलन का आयोजन कृषि विभाग की ओर से कहां-कहां किया गया ? विकासखण्डवार आयोजित कृषक सम्मेलन की जानकारी तिथि एवं स्थान सहित बतायें ? (ख) प्रश्नांक “क” अनुसार विभिन्न योजनाओं के तहत कितने किसानों को कृषि उपकरण एवं मोटर पंप पूर्णतः या आंशिक अनुदान में प्रदाय किये गये हैं, विकासखण्डवार जानकारी दें ?

**कृषि मंत्री** (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) कुल 25 कृषक सम्मेलन आयोजित किया गया। विकासखण्डवार तिथि एवं स्थान की जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “अ” पर है। (ख) वर्ष 2010-11 में पूर्ण अनुदान पर कृषि उपकरण एवं मोटर पंप वितरित नहीं हुआ है। आंशिक अनुदान पर 26 कृषकों को कृषि उपकरण एवं 44 कृषकों को मोटर पंप वितरित किया गया। वर्ष 2011-12 में 25-11-2011 तक पूर्णतः अनुदान पर 15 कृषकों को कृषि उपकरण तथा आंशिक अनुदान पर 28 कृषकों को कृषि उपकरण एवं 15 कृषकों को मोटर पंप वितरित किया गया। विकासखण्डवार जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “ब” पर है।

अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण अंतर्गत स्वीकृत कार्य एवं राशि का आवंटन

17. (\*क्र. 101) **श्री परेश बागवाहरा** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की किस-किस योजना में कुल कितनी राशि के कार्य स्वीकृत किये गये एवं कितनी राशि के कार्य प्रस्तावित है ? जिलावार जानकारी प्रदान करें। (ख) प्रदेश में अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अंतर्गत विभिन्न जिलों को प्रति वर्ष राशि आवंटन के क्या मापदण्ड है ? (ग) खल्लारी विधान सभा क्षेत्र में उक्त वर्षों में अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की किस-किस योजना के तहत किन-किन गांवों में कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि के कब-कब स्वीकृत किये गये एवं कहां-कहां प्रस्तावित है ? (घ) क्या अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के प्रावधान के अनुसार प्रश्नांक “क” की समयावधि में खल्लारी विधान सभा क्षेत्र को राशि का पूरा आवंटन किया जा चुका है या शेष है ? यदि शेष है तो कितना एवं कब तक आवंटित किया जायेगा ?

**आदिमजाति विकास मंत्री** (श्री केदार कश्यप) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

सीतापुर विधान सभा क्षेत्र में लो वोल्टेज की समस्या का निराकरण

18. (\*क्र. 193) **श्री अमरजीत भगत** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीतापुर विधान सभा क्षेत्र के कितने गांव में लो वोल्टेज की समस्या है ? उनके समाधान के क्या-क्या उपाय किए जा रहे हैं ? (ख) विद्युत आपूर्ति बंद होने के कारण ग्रामीण किसान बिल का भुगतान कौन-कौन से गांव में करना बंद कर दिए हैं ? (ग) सिंचाई पंप कनेक्शन हेतु कितने गांव के किसानों ने आवेदन किए ? आवेदनों पर क्या कार्यवाही की गई ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) सीतापुर विधान सभा क्षेत्र के 09 ग्रामों में लो-वोल्टेज समस्या की शिकायत प्राप्त हुई है। उक्त सभी ग्रामों में जांच करने पर पाया गया कि केवल उच्च मांग अवधि में लो-वोल्टेज की समस्या रहती है। इस समस्या के समाधान तथा सीतापुर विधान सभा क्षेत्र में वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिये ग्राम खडगांव एवं लमगांव में नये 33/11 के.व्ही. विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना के कार्य प्रस्तावित है। (ख) विद्युत आपूर्ति बंद होने के विरोध में किसी भी ग्राम के किसानों द्वारा सामूहिक रूप से भुगतान बंद करने की सूचना नहीं है।

(ग) वित्तीय वर्ष 2011-12 में सिंचाई पंप कनेक्शन हेतु उक्त क्षेत्र के 05 ग्रामों के 09 किसानों से आवेदन प्राप्त हुए हैं। ग्रामवार किसानों से सिंचाई पंप हेतु प्राप्त आवेदन पर की गई कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है :—

क्रमांक	गांव का नाम	आवेदनों की संख्या	पंप कनेक्शन की स्थिति
(1)	(2)	(3)	(4)
01	बिलासपुर	02	कनेक्शन प्रदाय कर दिया गया है।
02	नवापारा	01	कनेक्शन प्रदाय कर दिया गया है।
03	खड़ादोरना	01	भुगतान अप्राप्त होने के कारण निरस्त
04	खड़गांव	04	इन 05 प्रकरणों में आवश्यक लाईन विस्तार कार्य हेतु मांग की गई राशि की स्वीकृति सरगुजा विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30 नवम्बर 2011 को दी गई है। प्राधिकरण से उक्त राशि प्राप्त होने पर लाईन विस्तार का कार्य पूर्ण कर शीघ्र कनेक्शन जारी करने का प्रयास होगा।
05	रजौटी	01	

यूरोपीय यूनियन की पायलेट योजना के तहत सरगुजा जिले के स्कूली बच्चों को वितरित सामग्री क्रय में अनियमितता की जांच

19. (\*क्र. 1) **श्री टी. एस. सिंहदेव** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में यूरोपीय यूनियन की पायलेट योजना के तहत सरगुजा जिले में बांटे गये स्कूली बैग, जूते एवं मोजे के वितरण में अनियमितता पाये जाने पर किस अधिकारी के नेतृत्व में कितने सदस्यों की जांच टीम का गठन किया गया है ? (ख) प्रश्नांक "क" की अवधि में की गई अनियमितता के संबंध में जांच प्रतिवेदन की रिपोर्ट क्या है ? इस रिपोर्ट के आधार पर क्रय समिति के किन-किन सदस्यों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? क्या इस संबंध में बस्ता सप्लाई करने वाले निविदाकार के विरुद्ध भी कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो किस दिनांक को ?

**आदिमजाति विकास मंत्री** (श्री केदार कश्यप) : (क) श्री एन. आर. साहू, उप आयुक्त, कार्यालय आयुक्त, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास, रायपुर के नेतृत्व में 03 सदस्यों की. (ख) क्रय प्रक्रिया में अनियमितता होना पाया गया. तत्कालीन सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास अंबिकापुर, क्रय समिति के सदस्य सचिव श्री श्रीकांत दुबे, को निलंबित कर आरोप पत्र जारी किया गया, कलेक्टर एवं क्रय समिति के अन्य पदाधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु संबंधित विभाग को लिखा गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है —

क्र.	नाम	धारित पद	क्रय समिति के पद	संबंधित विभाग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	जी. एस. धनंजय	तत्कालीन कलेक्टर अंबिकापुर, सरगुजा.	-	छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग
2.	व्ही. एस. धुर्वे	अपर कलेक्टर, अंबिकापुर	अध्यक्ष	छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग
3.	श्री ओम प्रसाद गढ़वाल	सहायक संचालक हाथकरघा, अंबिकापुर.	सदस्य	छ.ग. शासन, ग्रामोद्योग विभाग
4.	श्री एफ एक्का	प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था अंबिकापुर.	सदस्य	छ.ग. शासन, तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन विभाग.
5.	श्री सी. बडेर	तकनीकी अनुदेशक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था अंबिकापुर.	सदस्य	छ.ग. शासन, तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन विभाग.

संबंधित विभाग में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. स्कूली बस्ता सप्लाई करने वाले निविदाकार के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है.

शालाओं, आश्रमों एवं छात्रावासों में मरम्मत एवं रखरखाव हेतु स्वीकृत राशि

20. (\*क्र. 202) **श्री भोलाराम साहू** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में दिनांक 31-10-11 की स्थिति तक आदिमजाति कल्याण विभाग राजनांदगांव के अंतर्गत आने वाली कौन-कौन सी शालाओं, आश्रमों एवं छात्रावासों में मरम्मत एवं रखरखाव हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई है ? उक्त राशि का उपयोग किन-किन कार्यों में किया गया है एवं उक्त कार्यों के लिये नियुक्त कार्य एजेन्सी का नाम बतायें ?

**आदिमजाति विकास मंत्री** (श्री केदार कश्यप) : जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “अ” एवं “ब” में है.

जिला जांजगीर-चांपा में राजीव गांधी संपूर्ण ग्रामीण विद्युतीकरण की स्थिति

21. (\*क्र. 63) **महन्त रामसुन्दर दास** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर-चांपा में राजीव गांधी संपूर्ण ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत कितने मजरा टोला में विद्युतीकरण किया गया है ? (ख) उक्त ग्रामों या मजरा टोलों में कितने ट्रांसफार्मर बिगड़ गये हैं या चोरी हो गये हैं ? (ग) जिला जांजगीर-चांपा में इस योजना के तहत लगे ट्रांसफार्मरों को कब तक सुधारा एवं बदला जावेगा ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत जांजगीर-चांपा जिले में 1423 मजरा टोलों में विद्युतीकरण किया गया है. (ख) योजनान्तर्गत उक्त जिले में ग्रामों/मजरा टोलों में स्थापित 33 ट्रांसफार्मर चोरी हो गए हैं, बिगड़े नहीं हैं. (ग) योजना के अन्तर्गत स्थापित ट्रांसफार्मरों में से चोरी गए ट्रांसफार्मरों को अतिशीघ्र बदलने के प्रयास हैं.

राजिम विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत मिशन के तहत एकलबत्ती कनेक्शन का लक्ष्य

22. (\*क्र. 128) **श्री अमितेश शुक्ल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत मिशन के अंतर्गत राजिम विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2012 तक कितने बी.पी.एल. परिवारों को एकलबत्ती कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है ? गांववार ब्यौरा देवें ? (ख) कंडिका “क” के तहत कितने बी.पी.एल. परिवार को विद्युत कनेक्शन दिए गए हैं और कितने शेष हैं, गांववार ब्यौरा देवें ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (मिशन नहीं) के अंतर्गत राजिम विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2012 तक 7442 बी.पी.एल. परिवारों को एकलबत्ती कनेक्शन दिये जाने का लक्ष्य है. गांववार विवरण † संलग्न परिशिष्ट में दर्शाया गया है. (ख) कंडिका “क” में उल्लेखित 7442 बी.पी.एल. परिवारों में से 3227 बी.पी.एल. परिवारों को एकलबत्ती कनेक्शन दिये गये हैं और 4215 शेष हैं. ग्रामवार विवरण † संलग्न परिशिष्ट के कॉलम 4 एवं 5 में दर्शाई गयी है.

कोरबा जिला अंतर्गत खदानों का आवंटन

23. (\*क्र. 88) **श्री रामदयाल उईके** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कोरबा जिले के अंतर्गत वर्ष 2008-09 से वर्ष 2011-12 तक किन-किन कंपनियों को कोयले की खदान एवं किन-किन व्यक्तियों के नाम पर गिट्टी, पत्थर खदान की लीज कितने-कितने एकड़ की दी गई है ? विकासखण्डवार बतावें ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : कोरबा जिले के अंतर्गत वर्ष 2008-09 से वर्ष 2011-12 (माह अक्टूबर) तक किसी भी कंपनी को कोयला खनिज हेतु खनिपट्टा स्वीकृत नहीं किया गया है. इस अवधि में गौण खनिज पत्थर हेतु स्वीकृत उखनिपट्टों की विकासखण्डवार जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है.

विगत तीन वर्षों में प्रदेश के किसानों को प्रदत्त फसल बीमा क्षतिपूर्ति

24. (\*क्र. 117) **श्री राजकमल सिंघानिया** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत तीन वर्षों में प्रदेश के कितने किसानों को कितनी-कितनी फसल बीमा क्षतिपूर्ति प्रदान की गई ? (ख) फसल बीमा वर्तमान में इकाई तहसील स्तर पर है, इसे पटवारी स्तर पर करने हेतु क्या शासन विचार कर रहा है ?

**कृषि मंत्री** (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) विगत तीन वर्षों में प्रदेश के कृषकों को राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनांतर्गत निम्नानुसार क्षतिपूर्ति की राशि प्रदान की गई :—

क्र.	मौसम एवं वर्ष	लाभान्वित कृषक संख्या	दी गई राशि क्षतिपूर्ति राशि (में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	खरीफ 2008	2,36,537	68,05,18,845.61
2.	रबी 2008-09	1,674	8,98,185.37
<b>योग</b>		<b>2,38,211</b>	<b>68,14,17,030.98</b>
3.	खरीफ 2009	3,61,853	1,23,78,09,193.33
4.	रबी 2009-10	4,078	45,02,160.12
<b>योग</b>		<b>3,65,931</b>	<b>1,24,23,11,353.45</b>
5.	खरीफ 2010	7,983	1,17,00,360.81
6.	रबी 2010-11	0.00	0.00
<b>योग</b>		<b>7,983</b>	<b>1,17,00,360.81</b>
<b>महायोग</b>		<b>6,12,125</b>	<b>1,93,54,28,745.24</b>

(ख) जी नहीं, फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत स्तर पर किये जाने हेतु विचाराधीन है.

प्रदेश में संचालित एकलव्य स्कूलों के निर्माण हेतु केन्द्र से प्राप्त एवं व्यय राशि

25. (\*क्र. 121) **श्री मोहम्मद अकबर** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में संचालित कहां-कहां के एकलव्य मॉडल रेंसीडेंसियल स्कूल के निर्माण हेतु भारत सरकार से कुल कितनी-कितनी राशि किन-किन कार्यों हेतु प्राप्त हुई है ? (ख) उक्त स्कूलों के निर्माण में किन-किन कार्यों हेतु कुल कितनी राशि व्यय की गई है ?

**आदिमजाति विकास मंत्री** (श्री केदार कश्यप) : (क) एवं (ख) जानकारी परिशिष्ट पर † संलग्न है.

-----

## नियम 46 ( 2 ) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

सरगुजा जिले में पावर प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु राज्य शासन द्वारा किए गए एम.ओ.यू.

1. (क्र. 02) **श्री टी. एस. सिंहदेव** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरगुजा जिले में 20-11-2011 की स्थिति में कुल कितनी कम्पनियों के द्वारा पावर प्रोजेक्ट लगाने हेतु राज्य शासन से एम.ओ.यू. किया गया है ? एम.ओ.यू. के तहत किन-किन ग्रामों की कितनी भूमि शासन एवं उद्योगपतियों द्वारा अधिग्रहित की गयी ? (ख) इन अधिग्रहित भूमियों के प्रकरण में कितने किसानों का मुआवजा दिया जा चुका है और कितने किसानों की जमीन का मुआवजा दिया जाना शेष है ? (ग) प्रश्नांश “क” अवधि में राज्य सरकार से एम.ओ.यू. करने के उपरांत किन-किन कम्पनियों के द्वारा कार्य प्रारंभ किया जा चुका है ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) सरगुजा जिले में दिनांक 20-11-2011 की स्थिति में कुल दो कम्पनियों यथा मेसर्स इफको छत्तीसगढ़ पावर लिमिटेड, नई दिल्ली तथा मेसर्स अदानी पावर लिमिटेड, अहमदाबाद के द्वारा पावर प्रोजेक्ट लगाने हेतु राज्य शासन के साथ एम.ओ.यू. किया गया है. मेसर्स इफको छत्तीसगढ़ पावर लिमिटेड की प्रस्तावित परियोजना हेतु छत्तीसगढ़ इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा अधिग्रहित ग्रामवार भूमि का विवरण † संलग्न परिशिष्ट में सम्मिलित है. मेसर्स अदानी पावर लिमिटेड द्वारा ग्राम-परसा, तहसील-उदयपुर में प्रस्तावित परियोजना हेतु भू-अर्जन के लिए आवेदन जमा किया गया है लेकिन उक्त परियोजना हेतु वर्तमान में शासन अथवा कम्पनी द्वारा भूमि अधिग्रहित नहीं की गई है. (ख) मेसर्स इफको छत्तीसगढ़ पावर लिमिटेड द्वारा अधिग्रहित निजी भूमि के एवज में 464 खातेदार कृषकों को मुआवजा दिया जा चुका है. शेष 19 खातेदार कृषकों को मुआवजा दिया जाना है. (ग) सरगुजा जिले में प्रश्नांश “क” में सम्मिलित अवधि में राज्य सरकार से एम.ओ.यू. करने के उपरांत उक्त दोनों कम्पनियों द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है.

### रायगढ़ जिला में लंबित छात्रवृत्ति का भुगतान

2. (क्र. 6) **श्री नंदकुमार पटेल** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिला अन्तर्गत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कितने विद्यार्थियों को वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 अवधि की छात्रवृत्ति का भुगतान लंबित है ? विकासखंडवार एवं वर्षवार पृथक-पृथक जानकारी दें. (ख) प्रश्नांक “क” अनुसार विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति लंबित होने का क्या कारण है ? इसका भुगतान कब-तक कर दिया जायेगा ?

**आदिमजाति विकास मंत्री** (श्री केदार कश्यप) : (क) वर्ष 2008-09 की छात्रवृत्ति का भुगतान लंबित नहीं है. वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 की लंबित छात्रवृत्ति की विकासखण्डवार/वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है :-

वर्ष	विकासखंड	वर्ग			योग
		अनु. जनजाति	अनु. जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2009-10	लैलूंगा	104	-	-	104
	धरमजयगढ़	93	-	-	93
	खरसिया	20	-	-	20
	रायगढ़	41	-	-	41
	<b>योग</b>	<b>258</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>258</b>
2010-11	रायगढ़	138	561	231	930
	सारंगढ़	-	2631	3324	5955
	बरमकेला	-	306	3185	3491
	पुसौर	-	-	4428	4428
	<b>योग</b>	<b>138</b>	<b>3498</b>	<b>11168</b>	<b>14804</b>
<b>महायोग</b>	<b>396</b>	<b>3498</b>	<b>11168</b>	<b>15062</b>	

(ख) वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में पर्याप्त आवंटन न होने के कारण भुगतान लंबित हैं. वर्ष 2011-12 में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित राशि को यथाशीघ्र भुगतान कर दिया जावेगा.

बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र में पशु चिकित्सालय, औषधालय एवं ग्रामीण इकाई की स्वीकृति

3. (क्र. 13) **श्री ताम्रध्वज साहू** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बेमेतरा विधान सभा में कहां-कहां पशु चिकित्सालय, औषधालय एवं ग्रामीण इकाई स्वीकृत है ? (ख) इनमें से कौन-कौन से स्वयं के भवन में स्थापित हैं एवं कौन-कौन से भवन विहीन हैं तथा वर्तमान में भवन की स्थिति कैसी है ? (ग) भवन विहीन पशु चिकित्सालय, औषधालय के लिये भवनों का निर्माण कब तक कर लिया जावेगा ? (घ) क्या बेमेतरा विधान सभा के क्षेत्रान्तर्गत पशु चिकित्सालय, औषधालय या ग्रामीण इकाई खोलने की मांग क्षेत्रवासियों द्वारा की गई है ? यदि हां, तो इसकी स्वीकृति कब तक प्रदान की जावेगी ?

**कृषि मंत्री** (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत 02 पशु चिकित्सालय, 11 पशु औषधालय, 01 मुख्य ग्राम खण्ड तथा 04 मुख्य ग्राम इकाई स्वीकृत है. जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में है. (ख) इनमें से 08 संस्थाएं स्वयं के भवन में संचालित हैं तथा 10 संस्थाएं भवन विहीन हैं. 08 संस्थाएं जो स्वयं के भवन में संचालित हैं उसमें से 07 संस्थाओं के भवन की स्थिति जर्जर है. जर्जर भवनों के पुनः निर्माण हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. (ग) समय-सीमा बताना संभव नहीं है. (घ) जी हां. बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड बेरला, ग्राम रांका में पशु औषधालय खोलने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है. समय-सीमा बताना संभव नहीं है.

मरवाही तथा कोटा विधान सभा क्षेत्र के खराब हैण्डपम्पों के सुधार कार्य की स्थिति

4. (क्र. 50) **श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मरवाही तथा कोटा विधान सभा क्षेत्रों में कुल कितने हैण्डपम्प स्थापित किये गये हैं ? (ख) उनमें से कितने हैण्डपम्प खराब पड़े हैं ? (ग) उनको कब तक सुधार लिया जायेगा ? उन्हें सुधारने की जवाबदारी किस विभाग को सौंपी गई है ?

**आदिमजाति विकास मंत्री** (श्री केदार कश्यप) : (क) मरवाही तथा कोटा विधान सभा क्षेत्र में विभाग द्वारा क्रमशः मरवाही में 3043 एवं कोटा में 1782 हैण्डपम्प स्थापित किये गये हैं. (ख) इनमें से मरवाही विधान सभा क्षेत्र में 23 एवं कोटा विधान सभा क्षेत्र में 27 हैण्डपम्प खराब पड़े हैं. (ग) इन्हें 07 दिवस के भीतर विभाग द्वारा सुधार लिया जायेगा.

ऊर्जा की आपूर्ति हेतु निजी उत्पादकों से ऊर्जा क्रय में व्यय राशि

5. (क्र. 58) **डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रदेश को बार-बार बिजली संकट से जूझना पड़ रहा है ? (ख) क्या यह भी सच है कि प्रदेश में बिजली संकट के कारण ग्रामीणों के साथ-साथ शहरी इलाकों में भी बिजली कटौती की जा रही है ? (ग) क्या यह भी सच है कि बिजली संकट के कारण सरकार को निजी उत्पादकों से बिजली क्रय करना पड़ रहा है ? (घ) बिजली की आपूर्ति हेतु वर्ष 2011 में अक्टूबर 2011 तक बिजली क्रय करने में कितना व्यय किया गया है.

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) जी नहीं. (ख) बिजली संकट के कारण नहीं अपितु केवल विपरीत परिस्थितियों में विद्युत की मांग व उपलब्धता में सीमा से अधिक असंतुलन उत्पन्न होने पर ग्रिड प्रणाली की सुरक्षा व तकनीकी अनिवार्यता के कारण नियमानुसार लोड रेग्युलेशन लागू कर बिजली आपूर्ति नियंत्रित की जाती है. ऐसी परिस्थितियों में कहीं-कहीं बिजली की आपूर्ति में अल्प समय के लिये व्यवधान होता है. (ग) प्रदेश में बिजली की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि होने पर मांग की तुलना में उपलब्धता बनाये रखने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा अल्प अवधि के लिये निजी विद्युत उत्पादकों से बिजली क्रय की जाती है. (घ) वर्ष 2011 में माह जनवरी से अक्टूबर 2011 तक छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा लगभग रु. 3190 करोड़ की बिजली का क्रय किया गया.

जिला जांजगीर-चांपा में संचालित छात्रावास एवं आश्रमों की स्थिति

6. (क्र. 64) **महन्त रामसुन्दर दास** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर-चांपा में कितने बालक/कन्या छात्रावास एवं आश्रम संचालित हैं ? संचालित छात्रावासों की क्षमता कितनी-कितनी है ? प्रत्येक का पृथक-पृथक विकासखंडवार बतायें. (ख) क्या सभी छात्रावास एवं आश्रम का स्वयं का भवन है ? यदि नहीं, तो भवनविहीन कितने हैं ? पृथक-पृथक नाम सहित बतायें. उक्त आश्रम या छात्रावासों में भवन की व्यवस्था कब तक होगी ? (ग) क्या जिला जांजगीर-चांपा में नये छात्रावास एवं आश्रम आरंभ करने की योजना है ? यदि हां, तो स्थान का नाम एवं कब तक प्रारंभ किया जायेगा ?

**आदिमजाति विकास मंत्री** (श्री केदार कश्यप) : (क) 87 बालक/कन्या छात्रावास एवं 18 बालक/कन्या आश्रम संचालित हैं। संचालित छात्रावासों की क्षमता की विकासखंडवार जानकारी प्रपत्र “अ” पर † संलग्न है। (ख) जी नहीं, 53 छात्रावास/आश्रम भवनविहीन हैं। नाम सहित जानकारी प्रपत्र “ब” पर † संलग्न है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जी हां, पामगढ़ में पो. मै. अनुसूचित जाति बालक छात्रावास खोलने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। संस्था प्रारंभ करने के संबंध में निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

आरंग विधान सभा क्षेत्र में राजीव गांधी राष्ट्रीय विद्युतीकरण योजना के तहत विद्युतीकृत ग्राम

7. (क्र. 67) **श्री रूद्र कुमार गुरू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2010 एवं 2011 में 30 नवम्बर 2011 तक आरंग विधान सभा क्षेत्र के कितने गांवों को मजराटोला योजना में एवं राजीव गांधी राष्ट्रीय विद्युतीकरण योजना में विद्युतीकृत किया गया ? (ख) आरंग विकासखंड में वर्ष 2010 एवं 2011 में कौन-कौन से गांवों में लो वोल्टेज के कारण नया ट्रांसफार्मर लगाया गया है एवं कौन-कौन से गांवों में नया अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाना प्रस्तावित है ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) आरंग विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2010 एवं 2011 में 30 नवंबर 2011 तक राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत क्रमशः 43 एवं 32 ग्रामों में सघन विद्युतीकरण का कार्य किया गया है। (ख) आरंग विकासखण्ड में वर्ष 2010 में 5 ग्राम यथा तामासिवनी, भुरका, खमतराई, लखौली एवं बोहारडीह तथा वर्ष 2011 में 3 ग्रामों यथा आरंग, कलई एवं फरफौद में नये ट्रांसफार्मर लगाये जा चुके हैं। ग्राम बेनीडीह में प्रस्तावित नए ट्रांसफार्मर की स्थापना का कार्य स्वीकृत किया गया है, जिसे शीघ्र स्थापित करने का प्रयास है।

फर्जी जाति प्रमाण पत्र धारी शास. सेवकों के विरुद्ध कार्यवाही

8. (क्र. 77) **श्री रविन्द्र चौबे** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) फर्जी जाति प्रमाण पत्रों की जांच में उच्च स्तरीय छानबीन द्वारा कितने शासकीय सेवकों के जाति प्रमाण-पत्र फर्जी पाये गये हैं ? (ख) जिन शासकीय सेवकों के जाति प्रमाण पत्र फर्जी पाये गये हैं, उनके विरुद्ध उच्च स्तरीय छानबीन समिति द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की, अनुशंसा कब की गई है ? (ग) क्या समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर कितने शासकीय सेवकों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

**आदिमजाति विकास मंत्री** (श्री केदार कश्यप) : (क) कुल 102. (ख) समिति द्वारा गलत जाति प्रमाण पत्र निरस्त करते हुये उनकी सेवा समाप्त करने हेतु नियोक्ता विभाग को अनुशंसा की गई है। जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “अ” पर है। (ग) 09 शासकीय सेवकों को सेवा से पृथक करने की कार्यवाही की गई है। जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “ब” पर है।

मंत्रालय में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी

9. (क्र. 105) **श्री देवजी भाई पटेल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नवम्बर 2011 तक हाई पावर कमेटी की ओर से मंत्रालय के किन-किन अधिकारी/कर्मचारी के जाति प्रमाण पत्र को फर्जी करार दिया है, उनके नाम, पदनाम सहित ब्यौरा दें ? (ख) क्या कंडिका “क” के दोषी अधिकारी/कर्मचारी को उच्च पद पर पदोन्नति दिए जाने की शिकायतें मिली हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? नहीं तो क्यों ? (ग) क्या यह सही है कि कंडिका “क” के फर्जी जाति प्रमाण पत्र धारी कर्मचारियों को हाईपावर कमेटी के निर्देश पर सेवा से पृथक नहीं किया गया है ? क्या इसकी समीक्षा की गई यदि हां, तो कब, नहीं तो क्यों ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) नवम्बर 2011 तक जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति की ओर से मंत्रालय के 08 अधिकारियों/कर्मचारियों के जाति प्रमाण पत्र को गलत/फर्जी करार दिया है। उनका ब्यौरा निम्नानुसार है :—

क्र.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं पद
(1)	(2)
1.	श्री पुरुषोत्तम पतवार, तत्कालीन स्टेनो टायपिस्ट
2.	श्री राजेश लिविंगस्टन, तत्कालीन सहायक ग्रेड-1
3.	श्री राजेन्द्र कुमार सोनकुसले, सहायक ग्रेड-1

(1)	(2)
4.	श्रीमती हेमलता एक्का, सहायक ग्रेड-1
5.	श्री राजीव अहिरे, निज सचिव
6.	श्री धन्नादास बुरडे, निज सहायक
7.	श्री भुवन डेकाटे, निज सहायक
8.	श्री प्रवीण कुमार निमजे, सहायक ग्रेड-2

(ख) कंडिका “क” के दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें नहीं मिली हैं. (ग) यह सही नहीं है, कि कंडिका “क” के फर्जी जाति प्रमाण पत्र धारी अधिकारियों/कर्मचारियों को उच्च स्तरीय छानबीन समिति के निर्देश पर सेवा से पृथक नहीं किया गया है. विभाग द्वारा इन प्रकरणों में की गई कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र. (1)	अधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं पद (2)	की गई कार्यवाही का विवरण (3)
1.	श्री पुरुषोत्तम पतवार, तत्कालीन स्टेनो टायपिस्ट	दिनांक 23-08-2008 को सेवा से पृथक किया गया है.
2.	श्री राजेश लिविंगस्टन, तत्कालीन सहायक ग्रेड-1.	दिनांक 11-12-2009 को सेवा से पृथक किया गया है.
3.	श्री राजेन्द्र कुमार सोनकुसले, सहायक ग्रेड-1	प्रकरण में उच्च स्तरीय छानबीन समिति के जांच प्रतिवेदन के विरुद्ध श्री राजेन्द्र कुमार सोनकुसले द्वारा माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर में रिट याचिका दायर करने पर माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित करते हुए आगामी आदेश तक उन्हें सेवा से पृथक न करने का निर्णय पारित किया गया है, जिसके पालन में कार्यवाही स्थगित रखी गई है. प्रकरण वर्तमान में माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर में विचाराधीन है.
4.	श्रीमती हेमलता एक्का, सहायक ग्रेड-1	प्रकरण में उच्च स्तरीय छानबीन समिति के जांच प्रतिवेदन के विरुद्ध श्रीमती हेमलता एक्का द्वारा माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर में रिट याचिका दायर करने पर माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित करते हुए आगामी आदेश तक उच्च स्तरीय छानबीन समिति के जांच प्रतिवेदन पर कार्यवाही नहीं करने का निर्णय पारित किया गया है, जिसके पालन में कार्यवाही स्थगित रखी गई है. प्रकरण वर्तमान में माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर में विचाराधीन है.
5.	श्री राजीव अहिरे, निज सचिव	उच्च स्तरीय छानबीन समिति द्वारा दिये गये जांच प्रतिवेदन के विरुद्ध श्री राजीव अहिरे द्वारा माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर में रिट याचिका दायर किये जाने पर माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28-02-2011 में पुनः जांच करने संबंधी दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप उच्च स्तरीय छानबीन समिति द्वारा पुनः जांच की जा रही है.

(1)	(2)	(3)
6. श्री धन्नूदास बुरडे, निज सहायक		उच्च स्तरीय छानबीन समिति द्वारा दिये गये जांच प्रतिवेदन के विरुद्ध श्री धन्नूदास बुरडे द्वारा माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर में रिट याचिका दायर किये जाने पर माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06-12-2010 में उच्च स्तरीय छानबीन समिति के जांच प्रतिवेदन को quash कर, दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप उच्च स्तरीय छानबीन समिति द्वारा पुनः जांच की जा रही है।
7. श्री भुवन डेकाटे, निज सहायक		उच्च स्तरीय छानबीन समिति के जांच प्रतिवेदन के विरुद्ध श्री भुवन डेकाटे द्वारा माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर में रिट याचिका दायर किये जाने पर माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19-08-2010 में उच्च स्तरीय छानबीन समिति के जांच प्रतिवेदन को quash कर, दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप उच्च स्तरीय छानबीन समिति द्वारा पुनः जांच की जा रही है।
8. श्री प्रवीण कुमार निमजे, सहायक ग्रेड-2		उच्च स्तरीय छानबीन समिति के जांच प्रतिवेदन के विरुद्ध श्री प्रवीण कुमार निमजे द्वारा माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर में रिट याचिका दायर किये जाने पर माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19-08-2010 में उच्च स्तरीय छानबीन समिति के जांच प्रतिवेदन को quash कर, दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप उच्च स्तरीय छानबीन समिति द्वारा पुनः जांच की जा रही है।

उपरोक्त तालिका से दर्शित है कि कोई भी प्रकरण कार्यवाही हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के स्तर पर लंबित नहीं है।

प्रदेश में पावर प्लान्ट की स्थापना हेतु निष्पादित एम.ओ.यू.

10. (क्र. 125) **श्री अग्नि चन्द्राकर** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में 2009 से दिनांक 23-11-2011 तक कितने पावर प्लांट के लिए एम.ओ.यू. किये गये हैं ? पृथक-पृथक वर्षवार जानकारी देवें ? (ख) एम.ओ.यू. किये गये पावर प्लांटों को कितने हेक्टेयर शासकीय एवं भूस्वामी जमीन दी गई है ? (ग) कितने पावर प्लांटों द्वारा कार्य चालू किये गये हैं ? कितने में उत्पादन चालू किये गये नाम सहित बतायें ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) प्रदेश में 2009 से दिनांक 23-11-2011 तक 21 संस्थानों के साथ पावर प्लांट के लिए एम.ओ.यू. किये गये हैं. संस्थानवार व वर्षवार एम.ओ.यू. की सूची † संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार है. (ख) वर्ष 2009 से दिनांक 23-11-2011 तक एम.ओ.यू. किये गये पावर प्लांटों हेतु शासन द्वारा आवंटित शासकीय व निजी भूमि का विवरण † संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार है. (ग) वर्ष 2009, वर्ष 2010 तथा वर्ष 2011 में निष्पादित किए गए एम.ओ.यू. से संबंधित किसी भी संस्थान द्वारा पावर प्लांट का कार्य चालू नहीं किया गया है. अतः उत्पादन चालू होने का प्रश्न ही नहीं उठता.

जिला रायपुर में आदिवासी परियोजना के तहत स्वीकृत लघु सिंचाई योजना

11. (क्र. 129) **श्री अमितेश शुक्ल** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आदिवासी परियोजना के अंतर्गत रायपुर जिले में वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में कौन-कौन सी लघु सिंचाई योजना की स्वीकृति दी गई ? उक्त योजनाओं की वर्तमान में क्या स्थिति है ? (ख) कंडिका “क” के योजनाओं से किन-किन गांवों में कितने-कितने रकबा में सिंचाई का लक्ष्य रखा गया है ? (ग) कंडिका “क” की योजना कब तक पूरी कर ली जाएगी ? उक्त योजनाओं के लिए क्या किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है ? यदि हां तो कितने किसानों की और कितनी ?

**आदिमजाति विकास मंत्री** (श्री केदार कश्यप) : (क) एवं (ख) जानकारी परिशिष्ट पर † संलग्न है. (ग) स्वीकृत सभी कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं. किसी भी किसान की भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया है.

रायगढ़ जिले में क्रशर उद्योगों द्वारा खनिज पत्थरों के विक्रय हेतु जारी अभिवहन पास

12. (क्र. 131) **डॉ. शक्राजीत नायक** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले में कितने क्रेशर कब-कब से चालू हैं ? वर्षवार 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में दिनांक 30-11-2011 तक कितनी-कितनी मात्रा में डोलोमाइट, लाइम स्टोन पत्थर को तोड़कर विभाग से अभिवहन पास लेकर बाहर बिक्री किया ? क्रशर उद्योगवार जानकारी दें ? (ख) उपरोक्त क्रेशर उद्योगों में से किस-किस उद्योग ने एक अप्रैल, 2009 से 30 नवम्बर, 2011 तक गौण खनिज की कितनी-कितनी रायल्टी की राशि विभाग में जमा किया और कौन-कौन से संबंधित ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत में कितनी-कितनी राशि प्रदाय किया गया ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) रायगढ़ जिले में कुल 160 स्टोन क्रशर संचालित है. क्रशरवार संचालन तिथि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“एक” में दर्शित है. वर्षवार 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में 30-11-2011 तक उक्त क्रशरों से डोलोमाइट, लोईमस्टोन तोड़कर अभिवहन पास के माध्यम से विक्रय किये गये मात्रा की क्रशरवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“दो” पर दर्शित है. (ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है चूंकि क्रशर उद्योगों द्वारा रायल्टी का भुगतान नहीं किया जाता है.

विधान सभा क्षेत्र बिलाईगढ़ एवं कसडोल में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना अंतर्गत डी.पी.आर. में सम्मिलित ग्राम

13. (क्र. 160) **डॉ. शिवकुमार डहरिया** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र बिलाईगढ़ एवं कसडोल में राजीव गांधी विद्युतीकरण अंतर्गत डीपीआर में शामिल ग्रामों के नाम तथा कार्यों की जानकारी बतावें ? (ख) प्रश्नांश (क) के कार्यों को कब तक पूरा करना था ? कितने ग्रामों के कौन-कौन से कार्य पूर्ण हो चुके हैं, कितने अपूर्ण हैं ? ग्रामों के नाम, कार्यों के नाम सहित बतावें ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत रायपुर जिले के लिए स्वीकृत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) में विधान सभा क्षेत्र बिलाईगढ़ के 329 ग्राम एवं कसडोल के 295 ग्राम सम्मिलित हैं. विधान सभावार, ग्रामवार कार्यों का विवरण पुस्तकालय में रखे प्रपत्र “अ” में दर्शाये गये हैं. (ख) उत्तरांश “क” के कार्यों को मार्च 2012 तक पूर्ण किया जाना है. विधान सभा क्षेत्र बिलाईगढ़ के 111 एवं कसडोल के 169 ग्रामों के कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा क्रमशः 218 एवं 126 ग्रामों के कार्य प्रगति पर है. ग्रामवार कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र “ब” अनुसार है.

के.टू.आर. धान की जांच रिपोर्ट एवं उसके आधार पर प्राप्त मुआवजा राशि

14. (क्र. 203) **श्री भोलाराम साहू** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन द्वारा राजनांदगांव जिले से के.टू.आर. धान के नमूने वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में 31-10-11 की स्थिति तक, कहां-कहां, कब-कब जांच के लिये भेजे गए एवं कितने नमूनों की जांच की रिपोर्ट कब-कब प्राप्त हुई है एवं उसमें क्या जानकारी प्राप्त हुई ? (ख) प्रश्नांश “क” में वर्णित रिपोर्ट के आधार पर जिले के किन-किन किसानों को कितनी-कितनी राशि कब-कब मुआवजे के रूप में प्राप्त हुई, ग्रामवार, विकासखंडवार जानकारी प्रदान करें ?

**कृषि मंत्री** (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) राजनांदगांव जिले से संकर धान किस्म के.आर.एच.-2 के पांच नमूने जांच हेतु दिनांक 23-10-2010 को चावल अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद भेजा गया. जांच प्रतिवेदन दिनांक 06-12-2010 को प्राप्त हुआ, जिसमें सभी 5 नमूने अमानक पाये गये. (ख) राजनांदगांव जिले के 1,949 कृषकों को अंतरिम राहत एवं क्षतिपूर्ति राशि रुपये 3,70,58,732 प्रदाय किया गया. विकासखंडवार कृषकों की संख्या एवं राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	विकासखंड	ग्राम संख्या	कृषक संख्या	प्रदाय राशि (रु.)		
				अंतरिम	क्षतिपूर्ति	कुल राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	राजनांदगांव	82	222	2340000	2043333	4383333
2.	डोंगरगांव	69	277	2860000	2367733	5227733
3.	छुरिया	103	311	3460000	2884667	6344667
4.	खैरागढ़	81	168	1630000	1313333	2943333
5.	डोंगरगढ़	92	343	3510000	2880000	6390000
6.	छुईखदान	45	80	620000	466667	1086667
7.	चौकी	59	181	1815000	1491333	3306333
8.	मोहला	65	181	1945000	1549333	3494333
9.	मानपुर	71	186	2105000	1777333	3882333
<b>योग</b>		<b>667</b>	<b>1,949</b>	<b>2,02,85,000</b>	<b>1,67,73,732</b>	<b>3,70,58,732</b>

कृषकवार, ग्रामवार एवं विकासखंडवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है.

-----

## अतारांकित प्रश्नोत्तर

### सरगुजा जिले में उद्यान विभाग द्वारा टीशु कल्चर केले पौधों का वितरण

1. (क्र. 3) **श्री टी. एस. सिंहदेव** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरगुजा जिले में उद्यान विभाग को वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में टीशु कल्चर केले पौधे के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई ? इस अवधि में आवंटित की गई राशि से कुल कितने किसानों को टीशु कल्चर केले पौधे का वितरण किस दर पर किया गया ? (ख) प्रश्न “क” अवधि में वितरित किये गये टीशु कल्चर केले के पौधे का ग्रामवार किसान के नाम एवं रकबे सहित जानकारी दें।

**कृषि मंत्री** (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) सरगुजा जिले में उद्यान विभाग द्वारा वर्षवार टिशूकल्चर केले पौधे के लिये आवंटित राशि एवं किसानों को वितरित दर का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	वर्ष	आवंटित राशि (रु. लाख में)	कृषक संख्या	वितरण दर प्रति पौध
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	2009-10	165.00	2822	रु. 12.60
2.	2010-11	249.60	1914	रु. 12.60 एवं 13.85
3.	2011-12	286.73	2634	रु. 13.85
<b>योग</b>		<b>701.33</b>	<b>7370</b>	-

(ख) प्रश्नांश “क” अवधि में वितरित किये गये टिशूकल्चर केले पौधों की ग्रामवार, कृषकवार एवं रकबा सहित कृषक सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है।

### सरगुजा जिले के खनिज विभाग में स्वीकृत पदों पर पदस्थापना

2. (क्र. 04) **श्री टी. एस. सिंहदेव** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरगुजा जिले के खनिज विभाग में दिनांक 20-11-2011 की स्थिति में अधिकारियों/कर्मचारियों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं ? (ख) प्रश्नांश “क” अवधि में स्वीकृत पदों के विरुद्ध वर्तमान में खनिज अधिकारी, सहायक खनिज अधिकारी, खनिज निरीक्षक, सहायक खनिज निरीक्षक के पद पर कितने की पदस्थापना की गई एवं किन-किन पदों पर पदस्थापना किया जाना शेष है ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) सरगुजा जिले में खनिज विभाग में दिनांक 20-11-2011 की स्थिति में अधिकारियों/कर्मचारियों के कुल 15 पद स्वीकृत हैं। (ख) प्रश्नांश “क” की अवधि में स्वीकृत पदों के विरुद्ध जिले में खनिज अधिकारी कार्यरत हैं, जबकि सहायक खनिज अधिकारी का 01 पद तथा खनिज निरीक्षक के 03 पद रिक्त हैं। सहायक खनिज निरीक्षक का कोई पद राज्य में स्वीकृत नहीं है। खनिज निरीक्षक के पद की पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से चयनित प्रत्याशियों की सूची प्राप्त हो चुकी है तथा पदस्थापना की प्रक्रिया प्रचलन में है। खनिज निरीक्षक से सहायक खनिज अधिकारी के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में प्रक्रियाधीन है।

### रायगढ़ जिले में अवैध खनिज उत्खनन एवं रायल्टी चोरी के दर्ज प्रकरण

3. (क्र. 07) **श्री नंदकुमार पटेल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले में खनिज विभाग के द्वारा अवैध उत्खनन एवं रायल्टी चोरी के कितने प्रकरण वर्ष 2008 से 24 नवम्बर, 2011 तक दर्ज किए गये ? उसमें कितना अर्थदण्ड निर्धारित किया गया ? (ख) अवैध परिवहन एवं ओव्हर लोडिंग के कितने प्रकरण दर्ज किये गये ? उनसे कितनी राशि वसूल की गई ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) रायगढ़ जिले में वर्ष 2008 से 24 नवम्बर, 2011 तक अवैध उत्खनन एवं रायल्टी चोरी के कुल 163 प्रकरण दर्ज किये गये जिनमें से कोयले के 13, डोलोमाईट के 63, अन्य मुख्य खनिजों के 13 तथा गौण खनिज गिट्टी, पत्थर, मुरुम एवं मिट्टी के 74 प्रकरण दर्ज किये गये। दर्ज प्रकरणों में से निराकृत 101 प्रकरणों में रुपये 01 करोड़ 20 लाख 48 हजार 449 अर्थदण्ड वसूल किया

गया है. (ख) प्रश्नाधीन अवधि में अवैध परिवहन एवं ओव्हर लोडिंग के कुल 574 दर्ज प्रकरणों में से मुख्य खनिज कोयले के 153, आयरन ओर के 03, क्वार्टज के 14, डोलोमाईट के 65, अन्य मुख्य खनिजों के 18 तथा विभिन्न गौण खनिज गिट्टी, पत्थर, मुरूम एवं मिट्टी के 321 प्रकरण दर्ज किये गये. दर्ज प्रकरणों में से 496 प्रकरणों का निराकरण कर रुपये 01 करोड़ 11 लाख 96 हजार 298 अर्थदण्ड वसूल किया गया है.

#### रायगढ़ जिला में कृषि पम्प कनेक्शन हेतु प्राप्त आवेदन

4. (क्र. 08) **श्री नंदकुमार पटेल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले में 2009-10 से दिनांक 23-11-2011 तक सिंचाई की सुविधा प्राप्त करने हेतु किसानों से कितने आवेदन पत्र विद्युत विभाग को प्राप्त हुए हैं ? कितने आवेदन लंबित हैं ? लंबित प्रकरणों को कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा ? (ख) प्राप्त आवेदनों में से कितने को स्थायी पम्प कनेक्शन हेतु डिमांड नोटिस दिया गया है, परंतु स्थायी कनेक्शन प्रदान नहीं किया गया है ? कारण बतावें.

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) रायगढ़ जिले में वर्ष 2009-10 से दिनांक 23-11-2011 तक कुल 3659 कृषि पम्प कनेक्शन हेतु आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 104 आवेदन अपूर्ण होने के कारण निरस्त किए गए. दिनांक 23-11-2011 की स्थिति में 675 आवेदन लंबित हैं. औपचारिकता पूर्ण होने पर इन लंबित कनेक्शनों के कार्य संसाधनों की उपलब्धतानुसार यथाशीघ्र पूर्ण करने के प्रयास हैं. (ख) प्रश्नाधीन समयावधि में 3401 कृषकों को स्थायी पम्प कनेक्शन हेतु डिमांड नोट जारी किया गया है, जिनमें से 2880 स्थायी पम्प कनेक्शन जारी कर दिये गये हैं. डिमांड नोट जारी किए गए प्रकरणों में से शेष 521 प्रकरणों में 208 प्रकरण औपचारिकता पूर्ण न होने तथा 313 प्रकरण विद्युत लाइन विस्तार हेतु पंप कनेक्शन के कार्य लंबित हैं.

#### बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र में भूमिगत पानी की शुद्धता एवं जल परीक्षण

5. (क्र. 22) **श्री ताम्रध्वज साहू** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र के विकासखण्डों में हैंडपंपों के पानी की शुद्धता हेतु क्या शासन द्वारा जल परीक्षण कराया गया है ? (ख) प्रदूषित पाये गये हैंडपंपों के जल की उपयोगिता हेतु शासन द्वारा क्या व्यवस्था की गई है ? (ग) क्या गुणवत्ता विहीन पानी के सेवन से बीमारी की शिकायत मिली है ? यदि हां, तो कितनी और कहां-कहां एवं क्या कार्यवाही की गई है ?

**आदिमजाति विकास मंत्री** (श्री केदार कश्यप) : (क) जी हां. (ख) बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र के विकासखण्ड बेमेतरा में खारे पानी से प्रभावित ग्रामों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु दूरस्थ मीठे पानी के स्रोत को आधार मानकर नलजल योजनाएं बनायी गयी थी. वर्तमान में सतही स्रोत शिवनाथ नदी को आधार मानकर समूह नलजल योजना राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तावित की जा रही है. (ग) जी नहीं. प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

#### बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में नल जल योजना की स्वीकृति

6. (क्र. 23) **श्री ताम्रध्वज साहू** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकासखण्ड बेमेतरा, बेरला एवं धमधा में वर्ष 2008 से लेकर वर्ष 2011 के मध्य कौन-कौन से गांवों में एवं कौन-कौन सी नगर पंचायतों में "नल जल योजना" की स्वीकृति प्राप्त कर निर्माण कार्य किये गये ? (ख) योजना की लागत, स्वीकृति का दिनांक एवं कार्य प्रारंभ का दिनांक तथा पूर्ण या अपूर्ण की जानकारी दें ?

**आदिमजाति विकास मंत्री** (श्री केदार कश्यप) : (क) बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकासखण्ड बेमेतरा, विकासखण्ड बेरला एवं विकासखण्ड धमधा में वर्ष 2008 से वर्ष 2011 के मध्य ग्रामों में नलजल योजना की स्वीकृति एवं निर्माण कार्य की जानकारी † संलग्न प्रपत्र "अ" में दर्शित अनुसार. नगर पंचायतों की नलजल योजना की स्वीकृति एवं निर्माण कार्य की जानकारी † संलग्न प्रपत्र "ब" में दर्शित अनुसार. (ख) जानकारी † संलग्न प्रपत्र "अ" एवं प्रपत्र "ब" में दर्शित अनुसार.

बस्तर डेवलपमेंट ग्रुप के गठन उपरान्त विज्ञापित पदों पर चयनित उम्मीदवार

7. (क्र. 46) **श्री संतोष बाफना** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर डेवलपमेंट ग्रुप के गठन के उपरांत बस्तर जिले में किस-किस विभाग के किन-किन पदों में भर्ती हेतु विज्ञापित जारी की गई ? पदवार संख्या बतायें. (ख) प्रश्नांश "क" में उल्लेखित पदों में चयनित उम्मीदवारों में से किन-किन पदों में कितने स्थानीय उम्मीदवारों को चयन हुआ ? विभागवार, पदवार संख्या बतायें.

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है.

जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में जर्जर विद्युत लाईनों का बदलाव

8. (क्र. 65) **महन्त रामसुन्दर दास** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र के ऐसे कितने ग्राम हैं जहां की विद्युत लाईने पुरानी होने के कारण झुक गयी हैं ? (ख) उक्त ग्रामों के विद्युत लाईन एवं खंभों को बदलने की क्या योजना है ? कब तक बदला जायेगा ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र के 63 ग्रामों के 699 खंभे लाईन पुरानी होने के कारण नहीं अपितु प्राकृतिक रूप से भू-क्षरण अथवा आंधी तूफान के कारण झुक गये हैं. (ख) उक्त ग्रामों के झुक गये खंभों को दुरुस्त करने का कार्य मार्च 2012 तक पूर्ण करने का प्रयास है.

प्रदेश में संचालित मान्यता प्राप्त गौशालाओं को प्रदत्त अनुदान

9. (क्र. 66) **महन्त रामसुन्दर दास** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कुल कितनी पंजीकृत मान्यता प्राप्त गौशालाएं संचालित हैं ? विकासखंडवार गौशालाओं के नाम एवं स्थान पृथक-पृथक बतायें. (ख) उक्त गौशालाओं को शासन द्वारा क्या-क्या सुविधा प्रदान की जाती है ? (ग) वित्तीय वर्ष 2008 से 2011 तक प्रदेश के किन-किन गौशालाओं को कितना-कितना अनुदान किन-किन कार्यों के लिये प्रदान किया गया ?

**कृषि मंत्री** (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) प्रदेश में कुल 63 पंजीकृत मान्यता प्राप्त गौशालाएं संचालित हैं. विकासखंडवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 में है. (ख) उक्त गौशालाओं को छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग नियम 2005 के प्रावधान अनुसार सुविधायें प्रदान की जाती है. विस्तृत विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 में है. (ग) छ.ग. राज्य गौसेवा आयोग द्वारा पंजीकृत गौशालाओं को वर्ष 2007-08 में कुल राशि रु. 120.876 लाख, वर्ष 2008-09 में कुल राशि रु. 151.77 लाख, वर्ष 2009-10 में राशि रु. 113.65 लाख, वर्ष 2010-11 में राशि रु. 167.84 लाख अनुदान वितरित किया गया. वित्तीय वर्ष 2008 से 2011 तक अनुदानों का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 में है.

आरंग विधान सभा क्षेत्र में खनिज रायल्टी के रूप में प्राप्त राशि से ग्राम पंचायतों में निष्पादित कार्य

10. (क्र. 70) **श्री रूद्र कुमार गुरू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आरंग विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 2010-2011 एवं 2012 में खनिज से कितनी रायल्टी प्राप्त हुई ? (ख) आरंग विधान सभा क्षेत्र से प्राप्त रायल्टी राशि से क्षेत्र में कौन-कौन से कार्य किन-किन ग्राम पंचायतों में कराये गये ? ग्राम पंचायतों को कितनी राशि आवंटित की गई ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) आरंग विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2010-11 में रुपये 5,56,31,130/- एवं 2011-12 में माह नवंबर 2011 तक रुपये 3,62,29,331/- गौण खनिजों से रायल्टी राशि प्राप्त हुई है. (ख) वित्तीय वर्ष 2010-11 में गौण खनिजों से प्राप्त रायल्टी राशि को पंचायतों में संवितरण हेतु दिनांक 16-11-2011 को आदेश जारी किया गया है. जिला स्तर पर वितरण की कार्यवाही प्रचलन में है. अतः पंचायतों के द्वारा कराये गये कार्यों की जानकारी निरंक है. वर्ष 2011-12 (नवम्बर 2011 तक) में गौण खनिजों से प्राप्त रायल्टी का आवंटन वित्तीय वर्ष 2012-13 में किया जाएगा.

आरंग विकासखण्ड के अंतर्गत संचालित बालक बालिका आश्रम/छात्रावास

11. (क्र. 73) **श्री रूद्र कुमार गुरू** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आरंग विकासखंड के अंतर्गत कितने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बालक बालिका आश्रम कहां-कहां संचालित हैं ? (ख) उक्त आश्रम में से कितने स्वयं के भवन में एवं कितने किराये के भवन में लगते हैं ? (ग) उक्त विकासखंड के अंतर्गत कितने अ.जा., अ.ज.जा. के बालक-बालिका प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक के छात्रावास संचालित हैं ? कितने स्वयं के भवन में एवं कितने किराये के भवन में संचालित हैं ?

**आदिमजाति विकास मंत्री** (श्री केदार कश्यप) : (क) अनुसूचित जाति का 01 कन्या आश्रम भण्डारपुरी में संचालित है. अनुसूचित जाति के बालक एवं अनुसूचित जनजाति के बालक तथा बालिका आश्रम संचालित नहीं हैं. (ख) 01 आश्रम स्वयं के भवन में संचालित है. किराये के भवन में आश्रम संचालित नहीं हैं. (ग) अनुसूचित जाति के 04 प्री.मै. एवं 01 पो.मै. बालक छात्रावास संचालित है. अनुसूचित जाति के कन्या एवं अनुसूचित जनजाति के प्री.मै./पो.मै. बालक तथा कन्या छात्रावास संचालित नहीं है. 04 प्री.मै. छात्रावास स्वयं के भवन में एवं 01 पो.मै. छात्रावास अन्य शासकीय भवन में संचालित हैं, अतः किराया के भवन में संचालित होने का प्रश्न नहीं उठता.

पांच लाख से अधिक राशि के विद्युत बिल के बकायादारों की जानकारी

12. (क्र. 84) **श्री रविन्द्र चौबे** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2010-2011 में विद्युत बिलों के पांच लाख से अधिक बकायादारों की संख्या कितनी थी ? (ख) इनमें से कितने घरेलू एवं कितने औद्योगिक उपभोक्ता थे ? बकायादार औद्योगिक उपभोक्ताओं के नाम सहित जिलेवार जानकारी दें. (ग) उपरोक्त बकायादारों से बकाया विद्युत बिल वसूली हेतु कितने उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन विच्छेद किए गए नाम पता सहित जानकारी दें.

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) वित्तीय वर्ष 2010-2011 में विद्युत उपभोक्ताओं के विद्युत बिलों के राशि रुपये 5 लाख से अधिक बकायादारों की संख्या 140 थी. (ख) ऊपर उक्त "क" में सम्मिलित 140 बकायादारों में से घरेलू निरंक तथा 87 औद्योगिक उपभोक्ता थे. जिलेवार बकायादार औद्योगिक उपभोक्ताओं के नाम † संलग्न परिशिष्ट में दर्शायी गयी है. (ग) उपरोक्त बकायादारों में से 60 उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन बकाया राशि की वसूली न होने के कारण विच्छेद किये गये जिनके नाम व पता सहित बकाया राशि का विवरण † संलग्न परिशिष्ट में दर्शाए गए हैं.

खल्लारी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत विद्युत उपकेन्द्रों की स्थापना संबंधी

13. (क्र. 102) **श्री परेश बागबाहरा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या खल्लारी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत आमाकोनी, मामाभांचा, नरा, बुंदेली, सोनासिल्ली एवं खुटेरी में 33/11 के.व्ही.ए. के विद्युत उपकेन्द्रों की स्थापना तथा खल्लारी, तेन्दूकोना, कोमाखान, खट्टी (महासमुंद) उपकेन्द्रों की क्षमता बढ़ाये जाने की स्वीकृति की गयी है ? यदि हां, तो क्या स्थिति है ? यदि नहीं, तो कब तक इसकी स्वीकृति कर दी जायेगी ? (ख) खल्लारी विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में विद्युत आपूर्ति की मांग अनुसार गुणवत्तापूर्वक विद्युत वितरण के लिये कहां-कहां, कितनी क्षमता के उपकेन्द्रों की स्थापना एवं वर्तमान में स्थापित उपकेन्द्रों की क्षमता बढ़ाये जाने की आवश्यकता है ? इन्हें कब तक स्वीकृत कर दिया जायेगा ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) खल्लारी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत आमाकोनी, मामाभांचा, नरा, बुंदेली, सोनासिल्ली एवं खुटेरी में नये 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र निर्माण तथा खल्लारी, तेन्दूकोना, कोमाखान, खट्टी (महासमुंद) में विद्यमान 33/11 केव्ही उपकेन्द्रों की क्षमता बढ़ाये जाने के कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है. इन कार्यों को संसाधनों की उपलब्धता अनुसार तकनीकी स्वीकृति उपरान्त पूर्ण किया जावेगा. (ख) ऊपर (क) में सम्मिलित ग्रामों के अतिरिक्त ग्राम गड़बेड़ा में नये उपकेन्द्र स्थापित करने तथा कौहाकुड़ा में स्थापित पॉवर ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि की आवश्यकता है, जिसकी प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है. इन कार्यों को तकनीकी स्वीकृति उपरान्त संसाधनों की उपलब्धता अनुसार पूर्ण करने के प्रयास होंगे.

खरीफ 2011 हेतु बागबाहरा एवं पिथौरा तहसील के ग्रामों की आनावारी

14. (क्र. 103) **श्री परेश बागबाहरा** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महासमुंद जिले के बागबाहरा एवं

पिथौरा तहसीलों में खरीफ 2011 के लिये किन-किन गांवों में किन-किन कृषकों के खेतों में फसल कटाई प्रयोग (राष्ट्रीय फसल बीमा हेतु) किया गया ? (ख) खरीफ 2011 में बागबाहरा एवं पिथौरा तहसील के गांवों की आनावारी क्या प्राप्त हुई ? ग्रामवार जानकारी प्रदान करें.

**कृषि मंत्री** (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर है. (ख) खरीफ 2011 में बागबाहरा एवं पिथौरा तहसील के गांव की आनावारी अभी प्राप्त नहीं हुई है. अतः ग्रामवार जानकारी दिया जाना संभव नहीं है.

खाद/कीटनाशक दवाओं के सैम्पल की जांच

15. (क्र. 106) **श्री देवजी भाई पटेल** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2010-11 में विभाग द्वारा किन-किन खाद/कीटनाशकों दवाई का किन-किन कम्पनियों के सैम्पल जांच के लिए किन-किन प्रयोगशालाओं में भेजे गये ? (ख) कंडिका “क” के सैम्पल में किन-किन कम्पनियों के खाद/कीटनाशक दवाई को जांच में अमानक बताया गया ? (ग) कंडिका “ग” में अमानक खाद/कीटनाशक की पुष्टि होने पर, संबंधित कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

**कृषि मंत्री** (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) वर्ष 2010-11 में उर्वरक एवं कीटनाशक औषधियों के निम्नानुसार नमूने विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला भेजे गये :—

उर्वरक निर्माता कंपनियों की संख्या	उर्वरक नमूनों की संख्या	प्रयोगशाला का नाम
39	2105	उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला रायपुर, जबलपुर, नवीं मुम्बई, अमरावती, चेन्नई, फरीदाबाद, तिरुवनपुरम् (केरल), जयपुर, गांधी नगर (गुजरात), बेल्लथानगोडी (कर्नाटक), संबलपुर (उड़ीसा), पट्टाम्बी (केरल), बैंगलोर, इंदौर, वाराणसी, कुम्बाकोनम (तमिलनाडु)

कंपनीवार विवरण परिशिष्ट-1 पर है.

कीटनाशक निर्माता कंपनियों की संख्या	कीटनाशक नमूनों की संख्या	प्रयोगशाला संख्या
82	512	4

कंपनीवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 (अ) पर है. (ख) उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला रायपुर द्वारा विश्लेषण में अमानक पाए गये कुल 115 नमूनों में से 39 नमूने केन्द्र सरकार के रिफरल लैब द्वारा पुनर्विश्लेषण में मानक घोषित करने के उपरांत 14 कंपनियों के 76 नमूने अमानक पाए गये. विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 पर है. प्रयोगशाला के विश्लेषण में 20 कंपनियों के कुल 25 कीटनाशक अमानक स्तर के पाये गये. विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 (अ) पर है. (ग) भारत सरकार द्वारा उर्वरकों पर देय अनुदान प्राप्ति हेतु कंपनी द्वारा प्रस्तुत देयक में अमानक स्कंध के अनुदान कटौती प्रस्तावित की गई. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा अमानक पाए गए उर्वरक की देयक में से रु. 16,81,882.00 की कटौती की गई है. विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 पर है. इसी प्रकार कीटनाशक औषधि के पाये गये अमानक नमूनों के लिये मेसर्स किलप्ले पेस्टीसाईड इंदौर के विरुद्ध थाने में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई. विश्लेषण में अमानक पाये गये बैच नंबर के कीटनाशक औषधि का विक्रय प्रतिबंध किया गया.

औद्योगिक क्षेत्र के विद्युत देयकों के बकायादारों से वसूली की कार्यवाही

16. (क्र. 107) **श्री देवजी भाई पटेल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उरला, सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र के किन-किन उद्योग/कारखानों के बिजली बिल (विद्युत देयक) 31 अक्टूबर, 2011 की स्थिति में रुपये एक लाख से अधिक का बकाया है और कब से ? (ख) कंडिका “क” के बकायादारों से वसूली की क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? (ग) क्या यह सही है कि कंडिका “क” के बकायादारों के विद्युत कनेक्शन काट दिए गए हैं ? यदि हां, तो उन उद्योगों के नाम बतावें ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) 31 अक्टूबर 2011 की स्थिति में उरला व सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र के 16 उद्योग/कारखानों से बिजली बिल के अंतर्गत राशि रुपये एक लाख से अधिक का बकाया है. बकाया राशि व अवधि की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शाई गई है. (ख) उत्तरांश “क” के परिप्रेक्ष्य में बकायादारों के विद्युत कनेक्शन काट दिये गये हैं. वसूली हेतु की गई कार्यवाही का विवरण † संलग्न परिशिष्ट के कालम-6 में दर्शाया गया है. (ग) जी हां. उद्योगों के नाम † संलग्न परिशिष्ट में दर्शाए गए हैं.

कसडोल विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कृषकों को ट्यूबवेल हेतु प्रदत्त स्थायी/अस्थायी विद्युत कनेक्शन

17. (क्र. 118) **श्री राजकमल सिंघानिया** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र कसडोल के विकासखण्ड कसडोल, पलारी एवं बलौदाबाजार के अंतर्गत आर.आई. सर्किल लवन में वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 में कितने कृषकों ने ट्यूबवेल हेतु अस्थायी एवं स्थायी विद्युत कनेक्शन का आवेदन दिया ? (ख) कितने कृषकों को विद्युत कनेक्शन दिया गया ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) विधान सभा क्षेत्र कसडोल के विकासखंड कसडोल, पलारी एवं बलौदाबाजार के अंतर्गत आर.आई. सर्किल लवन में वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 में क्रमशः 296, 265 एवं 419 अस्थायी तथा 153, 272 एवं 149 स्थायी पंप कनेक्शन हेतु कृषकों से आवेदन प्राप्त हुए. (ख) प्रश्नाधीन अवधि में प्राप्त पम्प कनेक्शनों के आवेदनों के विरुद्ध कुल 980 अस्थायी एवं 368 स्थायी पम्प कनेक्शन जारी किए गए.

कसडोल विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत संचालित छात्रावास एवं आश्रम हेतु भवन व्यवस्था

18. (क्र. 119) **श्री राजकमल सिंघानिया** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र कसडोल के विकासखण्ड कसडोल, पलारी एवं बलौदाबाजार के अंतर्गत आर.आई.सर्किल लवन में अनुसूचित जाति, जनजाति छात्रावास एवं आश्रम कहां-कहां संचालित हैं ? इनमें किस-किस आश्रम में कितने पद स्वीकृत हैं एवं वर्तमान में कितने पद भरे हुए हैं ? कितने पद रिक्त हैं ? (ख) कौन-कौन से छात्रावास/आश्रम का स्वयं का भवन है एवं कितने भवन विहीन हैं ? भवन विहीन छात्रावास एवं आश्रमों को नये भवन उपलब्ध कराने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ? (ग) कसडोल विधान सभा क्षेत्र में कितने अनुसूचित जाति, आदिमजाति के छात्रावास एवं आश्रम की मांग कहां-कहां के लिए है, एवं स्वीकृति के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**आदिमजाति विकास मंत्री** (श्री केदार कश्यप) : (क) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” एवं “ब” पर है. (ख) स्वयं के भवन युक्त छात्रावास/आश्रमों की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “स” पर है एवं 10 छात्रावास/आश्रम भवन विहीन हैं. भवन विहीन छात्रावास एवं आश्रमों के लिये आगामी वर्षों में बजट उपलब्धता के आधार पर भवन निर्माण की स्वीकृति की कार्यवाही की जा सकेगी. (ग) 09 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रावास की मांग निम्न स्थानों के लिए की गई है :—

क्र.	स्थान का नाम	मांग का विवरण
1.	अहिल्दा	प्री मै. अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास
2.	मानाकोनी	प्री मै. अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास
3.	डाढ़ाखार	प्री मै. अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास
4.	बांसाबिनौरी	प्री मै. अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास
5.	डमरू	प्री मै. अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास
6.	डमरू	प्री मै. अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास
7.	बोरसी	प्री मै. अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास
8.	रोहासी	प्री मै. अनुसूचित जाति बालक छात्रावास
9.	लक्षणपुर	प्री मै. अनुसूचित जाति बालक छात्रावास

आश्रम की मांग किसी भी स्थान के लिए प्राप्त नहीं हुआ है. प्रस्ताव का परीक्षण कर जिला कलेक्टर के अभिमत पश्चात् उपलब्ध कराने हेतु विभागीय जिला अधिकारी को निर्देशित किया गया है.

सेवानिवृत्ति के बाद कार्यरत आई.ए.एस.

19. (क्र. 122) **श्री मोहम्मद अकबर** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भारतीय प्रशासनिक सेवा के कौन-कौन से अधिकारी सेवा निवृत्त होने के उपरान्त किन-किन पदों पर कब-कब से कहां-कहां, किस-किस आधार पर कार्यरत हैं ? (ख) उक्त में से अलग-अलग कहां कहां कार्यरत किनको वित्तीय एवं अपील सुनने का अधिकार किन नियमों के अंतर्गत प्रदान किया गया है ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) एवं (ख) जानकारी परिशिष्ट पर † संलग्न है.

आई.ए.एस. अधिकारियों की विदेश यात्राएं

20. (क्र. 123) **श्री मोहम्मद अकबर** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2009, 2010 एवं 2011 में भारतीय प्रशासनिक सेवा के किन-किन अधिकारियों ने कहां-कहां की विदेश यात्राएं किन-किन कार्यों हेतु कितने-कितने दिन की अनुमति/बिना अनुमति के की है तथा यात्रावार, मदवार कुल कितनी-कितनी राशि व्यय की गई है ? (ख) उक्त यात्राओं से संबंधित कार्यों के यात्रावार, कार्यवार क्या-क्या परिणाम सामने आये ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) एवं (ख) जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “अ”, “ब” एवं “स” पर है.

जिला महासमुंद में सिंचाई पम्प कनेक्शन प्रदाय हेतु लंबित आवेदन

21. (क्र. 126) **श्री अग्नि चन्द्राकर** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला महासमुन्द में माह अप्रैल से 23-11-2011 तक कितने कृषकों द्वारा प्रोसेस फीस जमा कर आवेदन जमा किये गये हैं ? कितने आवेदन स्वीकृत किये गये ? कितने आवेदकों को कनेक्शन दिये गये कितने लंबित है ? (ख) पम्प कनेक्शन देने की प्रक्रिया क्या है ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) जिला महासमुन्द में माह अप्रैल से 23-11-2011 तक कुल 1116 कृषकों द्वारा प्रोसेसिंग फीस जमा कर आवेदन जमा किये गये हैं, जिनमें से 61 आवेदन दस्तावेजों के अभाव अथवा औपचारिकता पूर्ण नहीं करने के कारण में निरस्त किये गये हैं. 308 आवेदन स्वीकृत किये गये. 188 कनेक्शन दिये गये तथा 867 आवेदन लंबित हैं. (ख) सिंचाई पंप कनेक्शन हेतु कृषक द्वारा भूमि के नक्शे एवं पांचसाला खसरा की नकल सहित कुंआ/नलकूप में जल की उपलब्धता संबंधी घोषणा एवं संयुक्त खाते में जमीन होने पर अन्य सभी खातेदारों की सहमति बाबत प्रमाण पत्र सहित निर्धारित प्रारूप में प्रोसेसिंग शुल्क के भुगतान के साथ आवेदन लिया जाता है. आवेदन का पंजीयन करने के उपरांत विभाग के द्वारा स्थल का मुआयना/सर्वे कर पंप कनेक्शन जारी करने में लाईन विस्तार के कार्य/सर्विस लाइन आदि का विवरण प्राप्त कर प्राक्कलन तैयार किया जाता है. सक्षम अधिकारी से प्राक्कलन की स्वीकृति प्राप्त किया जाकर संबंधित आवेदक को मांग पत्र जारी किया जाता है एवं भुगतान प्राप्त होने पर लाइन विस्तार के कार्य पूर्ण होने पर अथवा सर्विस वायर लगाकर विद्युत कनेक्शन जारी किया जाता है.

जिला महासमुंद में माडा पैकेट से कराये गये कार्यों का सत्यापन

22. (क्र. 127) **श्री अग्नि चन्द्राकर** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महासमुन्द जिले में वर्ष 2009-10 से दिनांक 23-11-2011 तक माडा पैकेट क्रमांक 1, 2 से कितनी राशि के कौन-कौन कार्य किन-किन ग्रामों में कराये गये ? (ख) उक्त कार्य किन-किन एन.जी.ओ. के द्वारा कराये गये हैं ? क्या कार्यों का सत्यापन किया गया है ? यदि हां तो दिनांक सहित बतायें ?

**आदिमजाति विकास मंत्री** (श्री केदार कश्यप) : (क) माडा पैकेट क्रमांक 1 की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “एक” में तथा माडा पैकेट क्रमांक 2 की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “दो” में है. (ख) माडा द्वारा क्रियान्वयन एजेन्सी संबंधित शासकीय विभाग को नियुक्त किया जाता है. कुछ शासकीय विभागों द्वारा कतिपय कार्य एन.जी.ओ. से कराये गये हैं. जिसका विवरण माडा पैकेट क्रमांक 1 की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “तीन” में तथा माडा पैकेट क्रमांक 2 की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “चार” में है. कार्यों के सत्यापन हेतु सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास महासमुंद के पत्र क्रमांक 2430 दिनांक 25-11-2011 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदारों को लिखा गया है.

रायगढ़ जिले में पंचायतों को जारी रायल्टी बुक एवं प्राप्त राजस्व

23. (क्र. 144) **डॉ. शक्राजीत नायक** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले में किस-किस स्थान पर किस-किस पंचायत को रेत बिक्री के लिए विभाग द्वारा रायल्टी बुक 01 अप्रैल, 2009 से 30 नवम्बर, 2011 तक जारी किया गया ? पंचायतवार कितनी-कितनी राशि आय के रूप में प्राप्त हुई ? (ख) विभिन्न स्पंज आयरन/पावर प्लांट उद्योगों में महानदी एवं मांड नदी से बड़ी मात्रा में रेत निकालने के लिए किस-किस पंचायत या ठेकेदार को रायल्टी परमिट बुक कितना-कितना जारी किया गया एवं उससे कितनी-कितनी राशि की आय विभाग या पंचायत को उक्त अवधि में माहवार प्राप्त हुई ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) रायगढ़ जिले में खनिज विभाग द्वारा 01 अप्रैल, 2009 से 30 नवम्बर, 2011 तक पंचायतों को जारी रायल्टी बुक एवं ग्राम पंचायतवार आय के रूप में प्राप्त राशि की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है। (ख) खनिज साधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना दिनांक 02 मार्च, 2006 द्वारा गौण खनिज रेत के उत्खनन एवं व्यवसाय के विनियमन हेतु निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त नियम के तहत रेत खदानों के संचालन एवं रायल्टी वसूली के सम्पूर्ण अधिकार ग्राम पंचायतों/जनपद पंचायतों/नगरीय निकाय को दिये गये हैं। रेत परिवहन हेतु ग्राम पंचायतों/जनपद पंचायतों को खनिज विभाग से रेत परिवहन हेतु रायल्टी बुक (अभिवहन पास) ही प्राप्त करना होता है। खनिज विभाग द्वारा किसी उद्योग विशेष के लिए महानदी एवं मांड नदी से रेत निकालने हेतु किसी ग्राम पंचायत या ठेकेदार को रायल्टी बुक सीधे जारी नहीं किया गया है।

जिला रायगढ़ में कृषि ट्यूबवेल पंप की स्थापना हेतु प्रदत्त अनुदान

24. (क्र. 145) **डॉ. शक्राजीत नायक** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले के विभिन्न विकासखंड में वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में दिनांक 30-11-2011 तक कितने किसानों को स्वयं का खेत में ट्यूबवेल खनन एवं पंप स्थापना के लिए कितना-कितना अनुदान दिया गया ? (ख) शाकम्भरी योजना के तहत रायगढ़ जिले के तहत रायगढ़ जिले के विभिन्न विकासखंडों में उपरोक्त 03 वर्षों में कितने किसानों को कितने-कितने मूल्य का डीजल/केरोसीन विद्युत पंप पर कितना-कितना अनुदान दिया गया है ?

**कृषि मंत्री** (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनांतर्गत प्रश्नाधीन अवधि में रायगढ़ जिले के विभिन्न विकासखंडों के कृषकों को ट्यूबवेल खनन एवं पंप स्थापना हेतु वर्षवार निम्नानुसार अनुदान दिया गया है :-

क्रमांक	वर्ष	कृषक संख्या	दिया गया अनुदान (राशि रु. में)
1.	2009-10	449	1,29,69,978
2.	2010-11	560	1,32,89,292
3.	2011-12	150	41,18,903
(30-11-2011 तक)			
<b>योग</b>		<b>1159</b>	<b>3,03,78,173</b>

(ख) प्रश्नांश “क” की अवधि में शाकम्भरी योजना के तहत रायगढ़ जिला अंतर्गत विभिन्न विकासखंडों में निम्नानुसार कृषकों को उनके सम्मुख दर्शाये मूल्य पर अनुदान राशि दी गई :-

क्र.	वर्ष	कृषक संख्या	वितरित डीजल/केरोसीन/ विद्युत पंप का कुल मूल्य (रु. में)	दी गई कुल अनुदान राशि (रु. में)
1.	2009-10	1213	2,33,72,736	1,73,26,569
2.	2010-11	1547	3,06,32,192	2,27,15,745
3.	2011-12	2206	4,53,94,058	3,22,04,721
(30-11-2011 तक)				
<b>योग</b>		<b>4966</b>	<b>9,93,98,986</b>	<b>7,22,47,035</b>

बलौदाबाजार वितरण संभाग अंतर्गत लोडसेडिंग से विद्युत कटौती

25. (क्र. 166) **डॉ. शिवकुमार डहरिया** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बलौदाबाजार विद्युत वितरण संभाग के अंतर्गत बिलाईगढ़ एवं कसडोल विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में लोड सेडिंग के तहत माह जुलाई 2011 से 15 नवम्बर, 2011 तक कब-कब, कितने-कितने समय के लिए विद्युत कटौती की गई ? विद्युत वितरण केन्द्रों के नाम, तिथि एवं समय सहित बतावें ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : राज्य की विद्युत प्रणाली में अपरिहार्य तकनीकी कारणों से विद्युत की मांग व उपलब्धता में सीमा से अधिक असंतुलन होने के कारण माह जुलाई 2011 से 15 नवम्बर 2011 तक बलौदाबाजार विद्युत वितरण संभाग के अन्तर्गत बिलाईगढ़ विधान सभा क्षेत्र के सरसीवा, भटगांव एवं बिलाईगढ़ वितरण केन्द्र के ग्रामों में कुल 79 घण्टे 02 मिनट तथा कसडोल विधान सभा क्षेत्र के पलारी, लवन, कसडोल एवं बलौदाबाजार (ग्रामीण) वितरण केन्द्रों के ग्रामों में कुल 106 घण्टे 43 मिनट के लिए ग्रिड की सुरक्षा व संतुलन हेतु लोड नियंत्रण करने के लिए मांग को रेगुलेट किया गया. वितरण केन्द्रवार, तिथि एवं समय सहित जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शाई गई है.

विदेश यात्राओं में व्यय राशि

26. (क्र. 198) **श्री धर्मजीत सिंह** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माह जनवरी 2011 से लेकर 24 नवम्बर, 2011 तक की अवधि में माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री, संसदीय सचिव एवं छत्तीसगढ़ शासन के सचिव एवं अन्य प्रथम श्रेणी के अधिकारी कौन-कौन लोग कब-कब विदेश यात्रा पर गये नाम, पदनाम, तिथि एवं देश के नाम सहित यह बतायें कि यात्रा का उद्देश्य क्या था ? विवरण दें ? (ख) प्रश्न (क) में पूछे गये विदेश यात्रा में छत्तीसगढ़ शासन की कितनी राशि व्यय की गई, नाम, पदनाम, सहित विवरण दें ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) एवं (ख) जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

प्रदेश के शासकीय सेवकों के विरुद्ध ई.ओ.डब्ल्यू. में दर्ज प्रकरण

27. (क्र. 199) **श्री धर्मजीत सिंह** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2009 से लेकर वर्ष 2011 के माह अक्टूबर तक छत्तीसगढ़ प्रदेश में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ई.ओ.डब्ल्यू.) द्वारा किन-किन शासकीय सेवकों के यहां छापे मारकर आय से अधिक सम्पत्ति के प्रकरण बनाये गये हैं ? वर्षवार, नाम, पदनाम सहित राशि का विवरण दें ? (ख) वर्ष 2009 से लेकर माह अक्टूबर, 2011 तक की स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कौन-कौन से विभाग की आर्थिक अनियमितताओं की जांच ई.ओ.डब्ल्यू. से कराने का आदेश दिया गया है ? विभाग का नाम प्रकरण का नाम, जांच हेतु आदेश की तिथि सहित विवरण दें ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) वर्ष 2009 से लेकर वर्ष 2011 के माह अक्टूबर तक छत्तीसगढ़ प्रदेश में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ई.ओ.डब्ल्यू.) द्वारा 14 शासकीय सेवकों के यहां छापे मारकर आय से अधिक सम्पत्ति के प्रकरण बनाये गये हैं, विस्तृत जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर है. (ख) वर्ष 2009 से लेकर माह अक्टूबर, 2011 तक की स्थिति में गृह विभाग (जिला पंचायत, कांकेर में शिक्षा कर्मियों की भर्ती में हुई अनियमितता की जांच), से प्राप्त प्रकरण इस विभाग के पत्र दिनांक 22-07-2009 द्वारा ब्यूरो को जांच करने की अनुमति दी गई है, जिसे ब्यूरो में अपराध क्रमांक 51/2009, धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी 34 भादवि. एवं 13 (1) (डी) 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अन्तर्गत दिनांक 07-12-2009 को अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है. श्री बी.एल. अग्रवाल, भारतीय प्रशासनिक सेवा के विरुद्ध महानिदेशक आयकर विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र दिनांक 17-02-2010 द्वारा ब्यूरो को जांच करने की अनुमति दी गई है, जिसे ब्यूरो में अपराध क्रमांक 06/2010, धारा 13 (1) (ई) 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 सहपठित धारा 3 बेनामी संव्यवहार अधिनियम 1988 के अन्तर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है. वर्तमान में दोनों प्रकरण विवेचनाधीन है.

राजनांदागांव में नल जल योजना एवं स्थल जल योजना के स्वीकृत प्रस्ताव एवं व्यय राशि

28. (क्र. 204) **श्री भोलाराम साहू** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदागांव जिले में वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में विकासखंडवार कितने-कितने नल जल योजना एवं स्थल जल योजना के प्रस्ताव स्वीकृत किये गए हैं एवं उसके लिये कितनी-कितनी राशि किस-किस मद से खर्च की जा रही है ? (ख) खुज्जी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे कितने ग्राम

हैं जहां निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, किन्तु योजना संचालित नहीं हो रही है एवं इसका क्या कारण है, ग्रामवार पंचायतवार विकासखंडवार जानकारी प्रदान करें ?

**आदिमजाति विकास मंत्री** (श्री केदार कश्यप) : (क) राजनांदगांव जिले में वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में स्वीकृत नलजल प्रदाय योजना एवं स्थल जल प्रदाय योजना का विकासखण्डवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शित अनुसार. स्वीकृत नलजल प्रदाय एवं स्थल जल प्रदाय योजनाओं में मदवार खर्च की गयी राशि की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” में दर्शित अनुसार. (ख) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “स” में दर्शित अनुसार.

राजनांदगांव जिले में अवैध उत्खनन एवं रायल्टी चोरी की प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

29. (क्र. 205) **श्री भोलाराम साहू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राजनांदगांव जिले में शासन को वर्ष 2011-12 में दिनांक 31-10-2011 की स्थिति तक अवैध उत्खनन एवं रायल्टी चोरी संबंधी कितनी शिकायतें किस-किस के द्वारा प्राप्त हुई हैं ? उक्त शिकायतों की जांच किस सक्षम अधिकारी से करवाई गई है, और शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है ? कितने शिकायतों का निराकरण लंबित है एवं निराकृत प्रकरणों में क्या शिकायतकर्ता को कृत कार्यवाही से अवगत कराया गया है ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : राजनांदगांव जिले में वर्ष 2011-12 में दिनांक 31-10-2011 की स्थिति अवैध उत्खनन एवं रायल्टी चोरी से संबंधी 08 शिकायतें प्राप्त हुई हैं. उक्त शिकायतों में से 05 शिकायतों का निराकरण कर की गई कार्यवाही से शिकायतकर्ता को अवगत कराया गया है. शेष 03 प्रकरणों पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. प्रकरणवार जानकारी परिशिष्ट पर †† संलग्न है.

-----

## तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट “एक”

[ तारांकित प्रश्न संख्या 02 (क. 116) के भाग (ग) की जानकारी ]

प्रपत्र “अ”

**31 अक्टूबर 2011 की स्थिति में रायपुर जिले के कसडोल विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायतों के ग्रामों/मजरा टोलों की सूची जहां विद्युतीकरण कार्य पूर्ण किये गये**

क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	ग्राम का नाम (3)
1.	सरसेनी	1 सरसेनी
2.	चूचरूंगपुर	2 चूचरूंगपुर
3.	गूमा	3 गूमा
4.	सैहा	4 सैहा 5 बेल्ला
5.	गितकेरा	6 गितकेरा
6.	औरासी	7 अमलीडीह 8 छिराही 9 औरासी
7.	गाड़ाभाटा	10 गाड़ाभाटा
8.	बोड़तरा	11 बोड़तरा 12 टीला
9.	सिंघोरा	13 सर्रा 14 सिंघोरा
10.	देवसूंद्रा	15 देवसूंद्रा
11.	साराडीह	16 साराडीह 17 छेरकाडीह
12.	भालूकोना	18 भालूकोना
13.	जारा	19 जारा
14.	मुड़पार	20 मुड़पार 21 संडी बस्ती

(1)	(2)	(3)
15.	खैरा	22 केशला क 23 खैरा
16.	गैतरा	24 गाड़ाकुसमी
17.	जर्वे	25 जर्वे
18.	कोदवा	26 कोदवा
19.	ससहा	27 ससहा
20.	गोड़ा	28 गोड़ा
21.	गिरा	29 पठारीडीह 30 गिरा
22.	सुंद्रावन	31 सुद्रावन
23.	साहड़ा	32 कौआडीह 33 साहड़ा
24.	बोहारडीह	34 बोहारडीह
25.	देवगॉव	35 मोहागॉव 36 देवगॉव
26.	वटगन	37 जुनवानी 38 वटगन
27.	गिधपुरी	39 गिधपुरी
28.	मलपूरी	40 मलपूरी 41 भूरवाडीह
29.	बिजराडीह	42 बिजराडीह 43 बोडा 44 मोहनी
30.	रिवाडीह	45 रिवाडीह
31.	खपरी	46 तमोरी
32.	भवानीपुर	47 भवानीपुर
33.	कौड़िया	48 कौड़िया
34.	कुकदा	49 घोटिया 50 कुकदा 51 पहंदा

(1)	(2)	(3)
35.	कुसमी	52 कुसमी
36.	घिरघोल	53 घिरघोल
37.	बोरतरा	54 सकरी (द)
38.	दतान (प)	55 दतान (प)
39.	गातापार	56 गातापार
40.	कोसमंदी	57 कोसमंदी
41.	अमेरा	58 अमेरा
42.	रसौटा	59 रसौटा
43.	बिनौरी	60 बिनौरी
44.	छड़िया	61 छड़िया
45.	कोसमंदा	62 कोसमंदा 63 रामपुर
46.	छेरकापुर	64 छेरकापुर
47.	कोनारी	65 कोनारी 66 सिरसाही
48.	मल्लिन	67 मोहतरा 68 मल्लिन
49.	तिल्दा	69 गदहीडीह
50.	लच्छनपुर	70 लच्छनपुर
51.	दतान	71 दतान
52.	धमनी	72 धमनी
53.	खयरी	73 खयरी
54.	सलौनी	74 सलौनी
55.	सोनारदेवरी	75 सोनारदेवरी
56.	बांसबिनौरी	76 अहमदपुर 77 कानाकोट

(1)	(2)	(3)
57.	अमेठी	78 अमेठी 79 खेलवारडीह 80 टेमरी
58.	रोहांसी	81 रोहांसी 91 जोराडबरी
59.	बलौदी	82 बलौदी
60.	खपरी	83 खपरी
61.	चोरहाडीह	84 चोरहाडीह
62.	टिपावन	85 टिपावन
63.	ओड़ान	86 ओड़ान
64.	धौराभाठा	87 सेमरिया
65.	दतरेगी	88 दतरेगी
66.	चरौदा	89 चरौदा
67.	बम्हनी	90 बम्हनी
68.	टेमरी	92 टेमरी
69.	सेमरिया	93 मालीडीह 94 सेमरिया
70.	मोहतरा	95 गोंधा
71.	चरौदा	96 देवरीखुर्द
72.	मल्दा	97 मल्दा
73.	मरकड़ा	98 मल्दी 99 थारहीडीह
74.	बैजनाथ	100 बैजनाथ
75.	सेल	101 चंदलीडीह
76.	बगार	102 भरखा
77.	खर्सी	103 पचपेड़ी

(1)	(2)	(3)
78.	सेमराडीह	104 सेमराडीह
79.	पनगाँव	105 पनगाँव
80.	भरसेला	106 घूलघूल 107 भरसेला
81.	लाहोद	108 लाहोद
82.	गिंदोला	109 गिंदोला 110 धौराभाटा
83.	कारी	111 कारी
84.	बिटकुली	112 बिटकुली 113 धनगाँव
85.	खटियापाटी	114 खटियापाटी 115 सुढेली 116 सूढेला
86.	डोटोपार	117 डोटोपार 118 लवनबन
87.	खैँदा	119 बोईरडीह 120 खैँदा
88.	नवापारा	121 नवापारा 122 मुसवाठोढ़ी
89.	डमरू	123 खर्चा 124 डमरू
90.	ताराशिव	125 ताराशिव 126 अमलकुंडा 127 मिश्राइनडीह
91.	पैजनी	128 कसियारा 129 पैजनी
92.	चिचिरदा	130 चिचिरदा
93.	जूड़ा	131 जूड़ा
94.	बरदा	132 बरदा

(1)	(2)	(3)
95.	मुंडा	133 मुंडा
96.	चिरपोटा	134 चिरपोटा
97.	पंडरिया	135 परसाडीह 136 पंडरिया 137 बाजारभाटा
98.	अहिल्दा	138 अहिल्दा
99.	कोरदा	139 कोरदा
100.	सरखोर	140 सरखोर 141 गंगई
101.	कोयदा	142 कोयदा
102.	चंगोरी	143 पैसर 144 चंगोरी 145 सूनसूनिया
103.	सेमरिया	146 सेमरिया 147 खम्हरिया
104.	मरदा	148 मरदा
105.	सिरियाडीह	149 सिरियाडीह
106.	करदा	150 करदा
107.	डोंगरा	151 डोंगरा
108.	तिल्दा	152 तिल्दा
109.	डोंगरीडीह	153 डोंगरीडीह 154 परसापाली
110.	सिंघारी	155 सिंघारी
111.	हरदी	156 हरदी
112.	तुरमा	157 अमलडीहा
113.	चितावर	158 चितावर
114.	कोलिहा	159 कोलिहा 160 सर्वाडीह

---

(1)	(2)		(3)
115.	जामडीह	161	जामडीह
116.	बगबुड़ा	162	बगबुड़ा
117.	खैन्दा	163	बम्हनपुरी
		164	खैदा
118.	धाराशिव	165	धाराशिव
119.	कुम्हारी	166	कुम्हारी
		167	ढाबाडीह
		168	कैलाशगढ़
120.	खैरा	169	पहंदा

---

## प्रपत्र “ब”

**31 अक्टूबर 2011 की स्थिति में रायपुर जिले के कसडोल विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायतों के ग्रामों/मजरा टोलों की सूची जिनके विद्युतीकरण कार्य शेष हैं**

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	योजना के अनुसार प्रस्तावित कार्य			
			एच. टी. लाईन (किमी)	टांसफार्मरों की संख्या	एल. टी. लाईन (किमी)	बी. पी. एल. कनेक्शनों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	पंडरिया	1 परसाडीह	0.2	1	0.4	0
2.	खपरी क	2 खपरी क 3 परसवानी	0.2 0.0	2 1	0.2 0.2	0 0
3.	बोईरडीह	4 बोईरडीह	0.2	1	0.2	8
4.	फुंडरडीह	5 फुंडरडीह 6 पथरचूवा	0.0 0.7	2 1	0.3 0.2	0 0
5.	सेमराडीह	7 सेमराडीह 8 रेगाडीह	0.2 0.0	1 1	0.2 0.3	0 3
6.	सकरी (स)	9 सकरी (स)	0.0	2	0.5	0
7.	खरतौरा	10 खरतौरा	0.0	1	0.3	0
8.	सकरी (क)	11 सुंदरी क	0.0	1	0.3	0
9	गबौद (क)	12 गबौद (क) 13 सुंदरी	0.0 0.0	0 0	0.2 0.2	17 0
10.	सुन्द्रावन	14 मतवारी	0.0	0	0.2	0
11.	सिसदेवरी	15 सिसदेवरी	0.2	1	0.6	6
12.	बोहरडीह	16 लटेरा	0.2	1	0.2	0
13.	गैतरा	17 गैतरा	0.1	2	0.5	31
14.	हरिनभट्टा	18 हरिनभट्टा	0.2	1	0.2	40
15.	तेलासी	19 तेलासी	0.2	1	0.2	0
16.	खपरी (व)	20 खपरी (व)	0.0	0	0.3	0
17.	देवगांव	21 जुनवानी	0.2	1	0.2	0
18.	कौडिया	22 जंगलोर	0.2	1	0.2	25
19.	गातापार	23 अछोली	0.2	1	0.7	11
20.	खैरा	24 केशला	0.0	0	0.4	9

(1)	(2)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	
21.	सहाडा	25	कौआडीह	0.0	0	0.0	11
22.	छडिया	26	छेरकाडीह	0.3	2	0.4	0
23.	मल्लीन	27	गबौद (र)	0.0	0	0.4	0
24.	तिल्दा	28	तिल्दा	0.3	1	0.2	0
25.	सोनरदेवरी	29	धौराभाटा	0.4	1	0.2	0
26.	धमनी	30	मुड़ियाडीह	0.6	2	0.1	0
27.	बांसबिनौरी	31	बांसबिनौरी	0.0	0	0.1	0
28.	सीतापार	32	सीतापार	0.2	1	0.5	13
		33	लरिया	0.2	1	0.2	11
29.	अमेठी	34	खैरा	0.1	1	0.7	0
30.	टीपावन	35	नवागांव	0.2	1	0.4	0
		36	लकड़िया	0.0	1	0.2	0
31.	नगर पंचायत	37	पलारी	0.2	3	0.4	78
32.	धौराभाटा	38	धौराभाटा	0.3	2	0.8	50
33.	अर्जूनी	39	अर्जूनी	0.0	1	0.9	23
34.	बल्दाकछार	40	बल्दाकछार	1.2	1	0.5	68
		41	खैरा	0.4	1	0.1	24
35.	औरार्ड	42	औरार्ड	0.0	0	1.2	1
		43	बरबसपुर	0.0	0	0.3	2
36.	पिपरछेड़ी	44	मुढीपार	0.0	1	0.3	4
		45	पिपरछेड़ी	0.6	2	0.6	23
		46	सुकदा	0.6	1	0.5	64
37.	पुटपुरा	47	दौनाझर	0.0	1	0.1	4
		48	भदोरा	0.0	0	0.4	4
		49	पुटपुरा	0.6	1	1.2	43
38.	पैरागुड़ा	50	पैरागुड़ा	0.0	1	0.5	0
39.	परसदा	51	ठाकुरदिया	0.0	1	0.1	4
		52	परसदा	0.1	1	0.5	11
		53	नंदनिया	0.4	1	1.1	29
40.	बोरसी	54	बोरसी	0.2	2	1.2	32
		55	बकला	0.0	1	0.1	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
41.	कुरमुडी	56	कुरमुडी	4.0	1	0.9	16
		57	फुरफुंदी	6.0	1	1.5	31
42.	बगार	58	बगार	0.0	0	0.4	7
43.	टेमरी	59	नारायणपुर	0.2	2	0.1	2
		60	नवापारा	0.0	1	0.4	0
44.	खर्वे	61	खर्वे	0.0	1	0.4	99
45.	कोसमसरा	62	कोसमसरा	0.0	0	0.5	10
46.	बम्हनी	63	करहा	0.0	1	0.2	3
47.	हटौद	64	हटौद	0.5	2	0.4	151
48.	असनीद	65	असनीद	0.6	2	0.2	125
49.	खर्री	66	खर्री	0.0	0	0.4	45
50.	बिलारी	67	बिलारी	1.0	1	0.5	15
		68	बैंगनडबरी	0.3	1	0.6	28
51.	दर्दा	69	चकरवाय	0.0	1	0.3	16
		70	दर्दा	0.0	0	0.1	37
		71	चांटीपाली	0.0	0	0.3	2
52.	मोहतारा	72	मोहतारा	0.0	0	0.3	5
		73	रानीमोहतारा	0.0	0	0.1	0
		74.	चिरपोल	0.0	1	0.0	0
53.	चरौदा	75	चरौदा	0.0	0	0.5	74
54.	कोट स	76	कोट स	0.0	0	0.6	73
		77	छांछी	0.0	0	0.3	10
55.	छरछेद	78	छरछेद	0.1	1	1.0	39
56.	देवरीकला	79	देवरीकला	0.2	1	0.5	54
		80	सोनईडीह	0.0	0	0.2	16
		81	मुड़ियाडीह	0.0	0	0.1	10
57.	साबर	82	साबर	0.9	1	1.4	99
58.	सर्वा	83	सर्वा	0.0	1	0.1	36
59.	सिनोधा	84	सिनोधा	0.0	0	0.1	19
		85	भदरा	0.0	0	0.1	0
60.	छेछर	86	छेछर	0.0	1	0.2	70

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
61.	मल्दा	87	मुढीपार	0.0	0	0.1	8
		88	पिकरी	0.0	0	0.4	10
62.	मड़कड़ा	89	मड़कड़ा	0.0	0	0.3	60
63.	झबड़ी	90	झबड़ी	0.0	1	1.0	40
64.	खैरा	91	खैरा	0.0	0	0.7	25
65.	कटगी	92	सरवानी	1.2	1	1.2	0
		93	कटगी	0.0	1	0.4	14
66.	सेल	94	सेल	0.0	0	0.1	117
67.	आमाकोहा	95	मोतीपुर	1.0	1	0.7	4
		96	आमाकोहा	0.0	1	0.7	0
		97	भवरीद	0.0	0	0.0	4
68.	पिसीद	98	पिसीद	0.0	1	0.2	71
69.	खुरमुडी	99	झालपानी	13.0	1	0.7	17
70.	भिंभोरी	100	गुड़ागढ़	4.0	1	1.4	0
		101	भिंभोरी	4.0	2	1.3	0
		102	बफरा	3.0	1	0.7	0
		103	तुरतुरिया	5.0	1	1.1	0
		104	अल्दा	0.0	0	0.0	8
71.	पुटपुरा	105	घिरघोल	0.0	0	0.1	24
72.	नवागांव	106	कोठारी	0.1	1	0.1	0
		107	तालदादर	0.2	1	0.4	46
		108	नवागांव	0.0	0	0.6	0
73.	देवतराई	109	पोंडी	0.0	0	0.1	11
74.	महराजी	110	कुकरीकोना	0.1	1	0.1	0
75.	पिपरछेड़ी	111	भोथई	0.1	1	0.2	0
76.	खान	112	तालाझर	0.1	1	0.3	16
77.	भदरा	113	भदरा	0.1	1	0.4	8
78.	खैन्दा	114	सेमराडीह	0.3	1	1.4	0
79.	बरदा	115	ढनढनी	0.0	1	0.4	4
80.	चिरपोटा	116	खम्हारडीह	0.0	0	0.3	9
81.	अमलीडीह	117	अमलीडीह	0.3	3	0.8	9

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
82.	तिल्दा	118	लाटा	0.3	2	0.2	5
83.	सिंघारी	119	भालूकोना	0.8	1	0.6	7
84.	नगर पंचायत	120	लवन	0.3	2	0.2	50
85.	कोहरौद	121	कोहरौद	0.0	1	0.1	19
86.	तुरमा	122	तुरमा	0.0	0	0.0	15
87.	खैरा	123	खैरा	0.0	1	0.4	8
<b>योग</b>				<b>58.1</b>	<b>105</b>	<b>51.8</b>	<b>2351</b>

## परिशिष्ट "दो"

[ तारांकित प्रश्न संख्या 04 (क. 172) के भाग (क) एवं (ग) की जानकारी ]

## प्रपत्र "अ"

## हरित कान्ति योजना अंतर्गत वर्ष 2011-12 में जिलेवार आवंटित राशि

क्र. (1)	जिला (2)	आवंटित राशि लाख में (3)
1.	रायपुर	203.45
2.	महासमुन्द	206.70
3.	धमतरी	232.22
4.	दुर्ग	295.69
5.	राजनांदगांव	93.77
6.	कबीरधाम	31.63
7.	बिलासपुर	455.14
8.	कोरबा	44.79
9.	जांजगीर	56.68
10.	रायगढ़	86.74
11.	सरगुजा	224.76
12.	कोरिया	61.80
13.	जशपुर	88.98
14.	जगदलपुर	328.83
15.	दंतेवाड़ा	29.00
16.	नारायणपुर	59.60
17.	बीजापुर	41.73
18.	कांकेर	218.50
	<b>योग</b>	<b>2760.00</b>

## प्रपत्र "ब"

**हरित कान्ति विस्तार योजना अंतर्गत खरीफ 2011 में महासमुन्द जिले में लिये गये फसलों की  
विकासखण्डवार जानकारी**

क्र. (1)	घटक (2)	विकासखण्ड (3)	फसल (4)	रकबा (हे.) (5)
1.	धान वृहद प्रदर्शन	महासमुंद	धान	1000.00
		बागबहरा		1000.00
		पिथौरा		1000.00
		बसना		1000.00
		सरायपाली		1000.00
		<b>योग</b>		<b>5000.00</b>
2.	वन अधिकार पट्टेधारी कृषकों को बीज खाद प्रदाय	बागबहरा	धान	156.00
		पिथौरा		59.20
		बसना		67.60
		सरायपाली		30.80
		<b>योग</b>		<b>313.60</b>
3.	हाइब्रिड धान प्रदर्शन	महासमुंद	धान	80.00
		बागबहरा		80.00
		पिथौरा		80.00
		बसना		80.00
		सरायपाली		80.00
		<b>योग</b>		<b>400.00</b>

परिशिष्ट "तीन"

[तारकित प्रश्न संख्या 05 (क. 120) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

प्रपत्र "अ"

छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि. (सी. एम. डी. सी.) के पास डोलोमाइट, लौह अयस्क, बाक्ससाइट एवं कोयले की खदानें, उनमें किए जा रहे उत्खनन कार्य किन्के द्वारा एवं कब से किया जा रहा है का विवरण :-

क्र.	खनिज का नाम		खदान का विवरण		उत्खनन का स्वरूप	पार्टी का नाम जिनके द्वारा उत्खनन कार्य किया जा रहा है (8)	उत्खनन कार्य कब से किया जा रहा है का विवरण (9)
	(1)	(2)	(3)	(4)			
1.	बॉक्साइट	सीतापुर	बरीमा	सीतापुर	सरगुजा	80.414	ठेका अनुबंध दिनांक 04-01-2007
2.	बॉक्साइट	बरीमा	बरीमा	सीतापुर	सरगुजा	4.610	कंपनी लि. (बाल्को), तहत दिनांक दिनांक तक.
3.	बॉक्साइट	बरीमा	बरीमा	सीतापुर	सरगुजा	4.764	(नमदापुर, रकबा 47.812 हे. को छोड़कर),
4.	बॉक्साइट	बरीमा	बरीमा	सीतापुर	सरगुजा	4.304	
5.	बॉक्साइट	केसरा	केसरा	सीतापुर	सरगुजा	4.900	
6.	बॉक्साइट	नर्मदापुर	नर्मदापुर	सीतापुर	सरगुजा	47.812	
7.	बॉक्साइट	केसरा	केसरा	सीतापुर	सरगुजा	9.300	में भारत एल्युमिनियम कोरबा.
8.	बॉक्साइट	केसरा	केसरा	सीतापुर	सरगुजा	20.340	मे. आर. के. ट्रांसपोर्ट कंपनी, दुर्ग.
9.	बॉक्साइट	केसरा	केसरा	सीतापुर	सरगुजा	13.130	
10.	बॉक्साइट	नागाडांड (बिसरपानी)	नागाडांड (बिसरपानी)	सीतापुर	सरगुजा	12.106	पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण से अब तक इन खदानों में उत्खनन कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है.
11.	बॉक्साइट	बरीमा	बरीमा	सीतापुर	सरगुजा	54.268	
12.	बॉक्साइट	बुधियारमारी कांकर	बुधियारमारी कांकर	उत्तर	संयुक्त उपक्रम कंपनी	3.205	दिनांक 05-05-2003 से तक.
13.	बॉक्साइट	बुधियारमारी कांकर	बुधियारमारी कांकर	उत्तर	संयुक्त उपक्रम कंपनी	3.205	मे. केशकाल जी. एन. इंडिया बॉक्साइट. माईन्स एंड मिनरल्स लि.

30-09-2007

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
14.	बॉक्सआईट	कुदरवाही	केशकाल	बस्तर	20.000	संयुक्त उपक्रम कंपनी के माध्यम से.	मे. केशकाल जी. एन. इंडिया बॉक्सआईट माइन्स एंड मिनरल्स लि.	पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण से अब तक इन खदानों में उत्खनन कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है.
15.	बॉक्सआईट	कुदरवाही	केशकाल	बस्तर	7.280	संयुक्त उपक्रम कंपनी के माध्यम से.	मे. केशकाल जी. एन. इंडिया बॉक्सआईट माइन्स एंड मिनरल्स लि.	पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त, भू-प्रवेश एवं कार्यानुमति जिलाध्यक्ष कार्यालय (खनिज शाखा) से प्राप्त नहीं होने के कारण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका है.
16.	बॉक्सआईट	पंडरापाट	बगीचा	जशपुर	13.293	उत्खनन पद्धति के संबंध में अब तक निर्णय नहीं लिया गया है.	मे. केशकाल जी. एन. इंडिया बॉक्सआईट माइन्स एंड मिनरल्स लि.	वन विभाग की आपत्ति के कारण कार्यानुमति प्राप्त नहीं होने के कारण से उत्खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका है.
17.	बॉक्सआईट	पंडरापाट	बगीचा	जशपुर	27.320			
18.	बॉक्सआईट	पंडरापाट	बगीचा	जशपुर	12.350	उत्खनन पद्धति के संबंध में अब तक निर्णय नहीं लिया गया है.	मे. केशकाल जी. एन. इंडिया बॉक्सआईट माइन्स एंड मिनरल्स लि.	वन विभाग की आपत्ति के कारण अनुबंध की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने के कारण उत्खनन कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है.
19.	बॉक्सआईट	पंडरापाट	बगीचा	जशपुर	4.576			
20.	बॉक्सआईट	पंडरापाट	बगीचा	जशपुर	2.832			
21.	बॉक्सआईट	दलदली	बोडला	कबीरधाम	5.313	उत्खनन पद्धति के संबंध में अब तक निर्णय नहीं लिया गया है.	मे. केशकाल जी. एन. इंडिया बॉक्सआईट माइन्स एंड मिनरल्स लि.	पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अब तक उत्खनन कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
22.	डोलोमाईट	कोहका- कोरवाय	साजा	दुर्ग	22.150	-	-	खदान में उपलब्ध डोलोमाईट निम्न गुणवत्ता का होने के कारण से वर्तमान में इसका बाजार उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण से अब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है.

## प्रपत्र "ब"

## प्रश्नांश "क" परिप्रेक्ष्य में खदानों से वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 में प्राप्त आय का विवरण :-

क्र.	खनिज का नाम	खदान का विवरण			2008-09 (आय लाख रु. में)			2009-10 (आय लाख रु. में)			2010-11 (आय लाख रु. में)						
		ग्राम	तहसील	जिला	रकबा (हे. में.)	सी. एम. डी. सी. की प्राप्ति	राज्य शासन की प्राप्ति	*अन्य प्राप्ति	कुल प्राप्ति	सी. एम. डी. सी. की प्राप्ति	राज्य शासन की प्राप्ति	*अन्य प्राप्ति	कुल प्राप्ति				
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.	बॉक्साईट	बरीमा	सीतापुर	सरगुजा	80.414	138.35	78.05	21.26	237.66	148.83	103.22	25.63	277.68	140.04	109.61	28.59	278.24
2.	बॉक्साईट	बरीमा	सीतापुर	सरगुजा	11.705	20.78	8.21	2.69	31.68	31.56	23.03	5.60	60.19	51.89	39.87	10.48	102.24
3.	बॉक्साईट	बरीमा	सीतापुर	सरगुजा	4.610	9.05	7.13	1.68	17.86	36.69	17.68	5.20	59.57	35.83	26.38	7.05	69.26
4.	बॉक्साईट	बरीमा	सीतापुर	सरगुजा	4.764	11.98	9.02	2.17	23.17	47.42	23.78	6.86	78.06	45.22	33.97	9.01	88.20
5.	बॉक्साईट	बरीमा	सीतापुर	सरगुजा	4.304	7.91	6.12	0.88	14.91	38.18	20.31	5.69	64.18	37.22	16.45	4.08	57.75
6.	बॉक्साईट	केसरा	सीतापुर	सरगुजा	4.900	6.88	2.71	0.89	10.48	24.29	15.07	3.93	43.29	22.88	17.42	4.59	44.89
7.	बॉक्साईट	नर्मदापुर	सीतापुर	सरगुजा	47.812	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
8.	बॉक्साईट	केसरा	सीतापुर	सरगुजा	9.000	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
9.	बॉक्साईट	केसरा	सीतापुर	सरगुजा	20.340	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
10.	बॉक्साईट	केसरा	सीतापुर	सरगुजा	13.130	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
11.	बॉक्साईट	नागाडांड	सीतापुर	सरगुजा	12.106	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
			(बिसरपानी)														
12.	बॉक्साईट	बरीमा	सीतापुर	सरगुजा	54.268	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
13.	बॉक्साईट	बुधियारमारी	कांकर	उत्तर बस्तर	3.205	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
14.	बॉक्साईट	कुदारवाही	केशकाल	बस्तर	20.000	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
15.	बॉक्साईट	कुदारवाही	केशकाल	बस्तर	7.280	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
16.	बॉक्साईट	पंडरापाट	बगीचा	जशपुर	13.293	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
17.	बॉक्साईट	पंडरापाट	बगीचा	जशपुर	27.320	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
18.	बॉक्साईट	पंडरापाट	बगीचा	जशपुर	12.350	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
19.	बॉक्साईट	पंडरापाट	बगीचा	जशपुर	4.576	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
20.	बॉक्साईट	पंडरापाट	बगीचा	जशपुर	2.892	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
21.	बॉक्साईट	दलदली	बोडला	कबीरधाम	5.313	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
22.	डोलोमाईट	कोहका-	साजा	दुर्ग	22.150	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
			कोरवाय														
					<b>कुल योग</b>	<b>194.95</b>	<b>111.24</b>	<b>29.57</b>	<b>335.76</b>	<b>326.97</b>	<b>203.09</b>	<b>52.91</b>	<b>582.97</b>	<b>333.08</b>	<b>243.70</b>	<b>63.80</b>	<b>640.58</b>

\* विक्रयकर, पंचायत कर एवं पर्यावरण व अधोसंरचना विकास उपकर राशि.

## परिशिष्ट "चार"

[ तारांकित प्रश्न संख्या 06 (क. 12) के भाग (ख) की जानकारी ]

## बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2010-11 में विकास कार्य हेतु ग्राम पंचायतवार वितरित राशि का विवरण

क्रमांक (1)	तहसील (2)	ग्राम पंचायत का नाम (3)	राशि (रूपयों में) (4)
1.	बेमेतरा	गुनरबोड़	6000.00
2.	बेमेतरा	पीपरभट्टा	12000.00
3.	बेरला	खम्हरिया	3520.00
4.	बेरला	खर्वा	42600.00
5.	बेरला	बेरलाकला	185060.00
6.	बेरला	कंडरका	229250.00
7.	बेरला	भालेसर	184060.00
8.	बेरला	सोंढ	32000.00
9.	बेरला	देवरी	12000.00
10.	बेरला	टेमरी	58400.00
11.	बेरला	लाटा	38452.00
12.	धमधा	कंदई	5300.00
13.	धमधा	मोहरेंगा	157500.00
14.	धमधा	पेण्डरीतराई	900000.00
<b>योग</b>			<b>1866142.00</b>

## परिशिष्ट “पांच”

[ तारांकित प्रश्न संख्या 08 (क. 194) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

## प्रपत्र “अ”

वर्ष 2009 से वर्ष 2011 तक लोरमी विधानसभा क्षेत्र के लिये विधायक निधि से ट्यूबवेल खनन हेतु स्वीकृत ग्रामों की सूची

क.	ग्राम का नाम	विधानसभा क्षेत्र	स्वीकृत ट्यूबवेल की संख्या	ट्यूबवेल स्वीकृति का दिनांक	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	गैलूगांव	लोरमी	01	20-10-2009	
2.	सूरजपुरा	लोरमी	01	10-02-2010	
3.	बरमपुर	लोरमी	01	20-10-2009	
4.	घोघापारा	लोरमी	01	11-11-2009	
5.	मारुकापा	लोरमी	01	10-02-2010	
6.	केस्तरपुर	लोरमी	01	10-02-2010	
7.	नवलपुर	लोरमी	01	10-02-2010	
8.	भरतपुर	लोरमी	01	16-06-2010	
9.	चंदली	लोरमी	01	16-06-2010	
10.	थेम्हापार	लोरमी	01	03-10-2010	
11.	ठरकपुर	लोरमी	01	03-10-2010	
12.	कुधुरताल	लोरमी	01	10-02-2010	

## प्रपत्र “ब”

वर्ष 2009 से वर्ष 2011 तक लोरमी विधानसभा क्षेत्र के लिये विधायक निधि से ट्यूबवेल खनन हेतु स्वीकृत ग्रामों की जानकारी

क्र.	ग्राम का नाम	विधानसभा क्षेत्र	ट्यूबवेल खनन		रिमार्क
			पूर्ण	अपूर्ण	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	बरमपुर	लोरमी	पूर्ण	—	
2.	घोघापारा	लोरमी	पूर्ण	—	
3.	मारुकापा	लोरमी	पूर्ण	—	
4.	केस्तरपुर	लोरमी	पूर्ण	—	
5.	ठरकपुर	लोरमी	पूर्ण	—	
6.	नवलपुर	लोरमी	पूर्ण	—	
7.	थेम्हापारा	लोरमी	पूर्ण	—	
8.	गैलूगांव	लोरमी	—	अपूर्ण	
9.	सूरजपुरा	लोरमी	पूर्ण	—	
10.	चंदली	लोरमी	—	अपूर्ण	
11.	भरतपुर	लोरमी	—	अपूर्ण	
12.	कुधुरताल	लोरमी	पूर्ण	—	

## परिशिष्ट "छः"

[ तारांकित प्रश्न संख्या 11 (क. 05) के भाग (क) की जानकारी ]

## राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत विधान सभा क्षेत्र खरसिया में विकासखण्डवार/ग्रामवार विद्युतीकरण की स्थिति

क्र. (1)	विकासखण्ड का नाम (2)	गांव का नाम (3)	विद्युतीकरण की स्थिति (4)
1.	खरसिया	बगझर	पूर्ण
2.		करुवाडीह	पूर्ण
3.		कसाईपाली	पूर्ण
4.		खम्हार	पूर्ण
5.		कोठीकुण्डा	पूर्ण
6.		गांड़ापाली	पूर्ण
7.		साजापाली	पूर्ण
8.		नगोंई	पूर्ण
9.		नंदगांव	पूर्ण
10.		तुमीडीह	पूर्ण
11.		डेराडीह	पूर्ण
12.		पतरापाली	पूर्ण
13.		छोटेदेवगांव	पूर्ण
14.		बिंझकोट	पूर्ण
15.		तेंदूमुडी	पूर्ण
16.		बांसमुड़ा	पूर्ण
17.		औरदा	पूर्ण
18.		गिंडोला	पूर्ण
19.		सेंदरीपाली	पूर्ण
20.		खैरपाली	पूर्ण
21.		सलिहाभांठा	पूर्ण
22.		लोढ़ाझर	पूर्ण
23.		बिलासपुर	पूर्ण
24.		दरी	पूर्ण
25.		बासनपाली	पूर्ण
26.		किरीतमाल	पूर्ण
27.		टाड़ापारा	पूर्ण
28.		भूपदेवपुर	पूर्ण
29.		खड़गांव	कार्य प्रगति पर
30.		मीनगांव	कार्य प्रगति पर
31.		जोबी	कार्य प्रगति पर
32.		काफरमार	कार्य प्रगति पर
33.		कुरु	कार्य प्रगति पर
34.		केवाली	कार्य प्रगति पर
35.		कटौद	कार्य प्रगति पर
36.		गोरपार	कार्य प्रगति पर
37.		बर्वा	कार्य प्रगति पर
38.		फरकानारा	कार्य प्रगति पर
39.		चीताकठर्रा	कार्य प्रगति पर

(1)	(2)	(3)	(4)
40.	खरसिया	छोटेपन्डरमुड़ा	कार्य प्रगति पर
41.		छिरपानी	कार्य प्रगति पर
42.		अगासमार	कार्य प्रगति पर
43.		बरगढ़	कार्य प्रगति पर
44.		पलगढ़ा	कार्य प्रगति पर
45.		उल्दा	कार्य प्रगति पर
46.		देहजरी	कार्य प्रगति पर
47.		भालुनारा	कार्य प्रगति पर
48.		गुरदा	कार्य प्रगति पर
49.		नवरंगपुर	कार्य प्रगति पर
50.		छोटेजामपाली	कार्य प्रगति पर
51.		कुकरीचोली	कार्य प्रगति पर
52.		ढिमानी	कार्य प्रगति पर
53.		लोधिया	कार्य प्रगति पर
54.		सरवानी	कार्य प्रगति पर
55.		सूती	कार्य प्रगति पर
56.		परसकोल	कार्य प्रगति पर
57.		बोतल्दा	कार्य प्रगति पर
58.		आमाडोल	कार्य प्रगति पर
59.		जामझोर	कार्य प्रगति पर
60.		चोढ़ा	कार्य प्रगति पर
61.		जवलपुर	कार्य प्रगति पर
62.		झिटीपाली	कार्य प्रगति पर
63.		रसियामुड़ा	कार्य प्रगति पर
64.		भगोराडीह	कार्य प्रगति पर
65.		तिऊर	कार्य प्रगति पर
66.		तुरेकेला	कार्य प्रगति पर
67.		भागोडीह	कार्य प्रगति पर
68.		दुसेकेला	कार्य प्रगति पर
69.		मदनपर	कार्य प्रगति पर
70.		नावागांव	कार्य प्रगति पर
71.		आड़पथरा	कार्य प्रगति पर
72.		पामगढ़	कार्य प्रगति पर
73.		बिंजकोट	कार्य प्रगति पर
74.		बगडेवा	कार्य प्रगति पर
75.		बकेली	कार्य प्रगति पर
76.		झाराडीह	कार्य प्रगति पर
77.		गोपीमहका	कार्य प्रगति पर
78.		मौहापाली	कार्य प्रगति पर
79.		रानीसागर	कार्य प्रगति पर
80.		भालुचुवा	कार्य प्रगति पर
81.		बड़ेडुमरपाली	कार्य प्रगति पर
82.		दरामुड़ा	कार्य प्रगति पर
83.		बड़ेदेवगांव	कार्य प्रगति पर
84.		पुरैना	कार्य प्रगति पर
85.		चारपारा	कार्य प्रगति पर

(1)	(2)	(3)	(4)
86.	खरसिया	हालाहुली	कार्य प्रगति पर
87.		डुमरभांठा	कार्य प्रगति पर
88.		घघरा	कार्य प्रगति पर
89.		मकरी	कार्य प्रगति पर
90.		अंजोरीपाली	कार्य प्रगति पर
91.		बाम्हनपाली	कार्य प्रगति पर
92.		गिधा	कार्य प्रगति पर
93.		कुनकुनी	कार्य प्रगति पर
94.		चपले	कार्य प्रगति पर
95.		बड़ेजामपाली	कार्य प्रगति पर
96.		कुरुभांठा	कार्य प्रगति पर
97.		नहरपाली	कार्य प्रगति पर
98.		सिंघनपुर	कार्य प्रगति पर
99.		छोटेमुड़पार	कार्य प्रगति पर
100.		भैनापारा	कार्य प्रगति पर
101.		कलमी	कार्य प्रगति पर
102.		टेमटेमा	कार्य प्रगति पर
103.		कनमुरा	कार्य प्रगति पर
104.		आमापाली	कार्य प्रगति पर
105.		बेन्दोझरिया	कार्य प्रगति पर
106.		कुकरीझरीया	कार्य प्रगति पर
107.		रकसापाली	कार्य प्रगति पर
108.		सोनबरसा	कार्य प्रगति पर
109.		आड़ाझर	कार्य प्रगति पर
110.		बसनाझर	कार्य प्रगति पर
111.		पण्डरीपानी	कार्य प्रगति पर
112.		फूलबंधिया	कार्य प्रगति पर
113.		मुरा	कार्य प्रगति पर
114.		राजपुर	कार्य प्रगति पर
115.		करुमौहा	कार्य प्रगति पर
116.		करपीपाली	कार्य प्रगति पर
117.		सोण्डका	कार्य प्रगति पर
118.		जयमुरा	कार्य प्रगति पर
119.		टांयग	कार्य प्रगति पर
120.		तेलीकोट	कार्य प्रगति पर
121.		पुछियापाली	कार्य प्रगति पर
122.		डोमनारा	कार्य प्रगति पर
123.		परसापाली	कार्य प्रगति पर
124.		भद्रीपाली	कार्य प्रगति पर
125.		भेलवाडीह	कार्य प्रगति पर
126.		रजघट्टा	कार्य प्रगति पर
127.		छोटेडुमरपाली	कार्य प्रगति पर
128.		गाड़ाबोरदी	कार्य प्रगति पर
129.		गोड़बोरदी	कार्य प्रगति पर
130.		कलमीपाट	कार्य प्रगति पर
131.		नावापारा (पु)	कार्य प्रगति पर

(1)	(2)	(3)	(4)
132.	खरसिया	जैमुड़ा	कार्य प्रगति पर
133.		तिलाईपाली	कार्य प्रगति पर
134.		बानीपाथर	कार्य प्रगति पर
135.	रायगढ़	छोटेरामपुर	पूर्ण
136.		जोरापाली	पूर्ण
137.		नन्देली	पूर्ण
138.		बैसपाली	पूर्ण
139.		ननसियां	पूर्ण
140.		छुहीपाली	पूर्ण
141.		केनापाली	पूर्ण
142.		नावापारा	पूर्ण
143.		जुनवानी	पूर्ण
144.		ठाकुरपाली	पूर्ण
145.		बड़पाली	पूर्ण
146.		अरसीपाली	पूर्ण
147.		लिटाईपाली	पूर्ण
148.		कुलबा	पूर्ण
149.		कांटाहरदी	पूर्ण
150.		परसदा	कार्य प्रगति पर
151.		डोंगाढकेल	कार्य प्रगति पर
152.		मुरालीपाली	कार्य प्रगति पर
153.		कुसवाबहरी	कार्य प्रगति पर
154.		केराझर	कार्य प्रगति पर
155.		गढकुरी	कार्य प्रगति पर
156.		कोड़तराई	कार्य प्रगति पर
157.		डोंगीतराई	कार्य प्रगति पर
158.		हरदीझरिया	कार्य प्रगति पर
159.		पण्डरीपानी प.	कार्य प्रगति पर
160.		लेबड़ा	कार्य प्रगति पर
161.		चारभांठा	कार्य प्रगति पर
162.		कांशीचुंवा	कार्य प्रगति पर
163.		कछार	कार्य प्रगति पर
164.		उच्चभिट्टी	कार्य प्रगति पर
165.		बायंग	कार्य प्रगति पर
166.		डूमरपाली	कार्य प्रगति पर
167.		बनहर	कार्य प्रगति पर
168.		गेजामुड़ा	कार्य प्रगति पर
169.		कोसमपाली	कार्य प्रगति पर
170.		पंझर	कार्य प्रगति पर
171.		रानीगुड़ा	कार्य प्रगति पर
172.		उसरौट	कार्य प्रगति पर
173.		जामपाली	कार्य प्रगति पर
174.		बघनपुर	कार्य प्रगति पर
175.		धनागर	कार्य प्रगति पर
176.		कोसमनारा	कार्य प्रगति पर
177.		पतरापाली पू	कार्य प्रगति पर

(1)	(2)	(3)	(4)
178.	रायगढ़	सरडामाल	कार्य प्रगति पर
179.		बोकरामुड़ा	कार्य प्रगति पर
180.		बालमगोड़ा	कार्य प्रगति पर
181.		कुसमुरा	कार्य प्रगति पर
182.		तारापुर	कार्य प्रगति पर
183.		औराभांठा	कार्य प्रगति पर
184.		कुरमापाली	कार्य प्रगति पर
185.		कोतरा	कार्य प्रगति पर
186.		बनसियां	कार्य प्रगति पर
187.		सांगीतराई	कार्य प्रगति पर
188.		मौहापाली	कार्य प्रगति पर
189.		सरवानी	कार्य प्रगति पर
190.		नवागांव	कार्य प्रगति पर
191.		नौरंगपुर	कार्य प्रगति पर
192.		भातपुर	कार्य प्रगति पर
193.		दुलोपुर	कार्य प्रगति पर
194.		साव्हेपाली	कार्य प्रगति पर
195.		तरकेला	कार्य प्रगति पर
196.		पटेलपाली	कार्य प्रगति पर
197.	सहसपुरी	कार्य प्रगति पर	
198.	बरदापुटी	कार्य प्रगति पर	
199.	बसंतपुर	कार्य प्रगति पर	
200.	पुसौर	रैबार	पूर्ण
201.		केनसरा	पूर्ण
202.		बिजना	पूर्ण
203.		बासनपाली	पूर्ण
204.		बोन्दा	पूर्ण
205.		जिलाडी	पूर्ण
206.		सिलाडी	पूर्ण
207.		अमलीपाली	पूर्ण
208.		सेमरा	पूर्ण
209.		तेलीपाली	पूर्ण
210.		चिखली	कार्य प्रगति पर
211.		कंवरिहा	कार्य प्रगति पर
212.		जोगीतराई	कार्य प्रगति पर
213.		बादीमाल	कार्य प्रगति पर
214.		लिंजीर	कार्य प्रगति पर
215.		पुटकापुरी	कार्य प्रगति पर
216.		सुरी	कार्य प्रगति पर
217.		तेतला	कार्य प्रगति पर
218.		बुलाकी	कार्य प्रगति पर
219.		बुनगा	कार्य प्रगति पर
220.		बड़ेभंडार	कार्य प्रगति पर
221.		सारवानी	कार्य प्रगति पर
222.	छोटेभंडार	कार्य प्रगति पर	

(1)	(2)	(3)	(4)
223.	पुसौर	अमलीभौना	कार्य प्रगति पर
224.		जेवरीडीह	कार्य प्रगति पर
225.		कोतमरा	कार्य प्रगति पर
226.		बरपाली	कार्य प्रगति पर
227.		नावापारा (ब)	कार्य प्रगति पर
228.		सिंघपुरी	कार्य प्रगति पर
229.		खपरापाली	कार्य प्रगति पर
230.		रायपाली	कार्य प्रगति पर
231.		रनभांठा	कार्य प्रगति पर
232.		सूपा	कार्य प्रगति पर
233.		ठेंगागुड़ी	कार्य प्रगति पर
234.		तिलगी	कार्य प्रगति पर
235.		कारीछापर	कार्य प्रगति पर
236.		टपरदा	कार्य प्रगति पर
237.		कठली	कार्य प्रगति पर
238.		तुपकधार	कार्य प्रगति पर
239.		गोर्ग	कार्य प्रगति पर
240.		घुघुवा	कार्य प्रगति पर
241.		तोरना	कार्य प्रगति पर
242.		जतरी	कार्य प्रगति पर
243.		कौवाताल	कार्य प्रगति पर
244.		राईतराई	कार्य प्रगति पर
245.		खोखरा	कार्य प्रगति पर
246.		लिटाईपाली	कार्य प्रगति पर
247.		रावनखोंदरा	कार्य प्रगति पर
248.		नावापारा (म)	कार्य प्रगति पर
249.		धनगांव	कार्य प्रगति पर
250.		पचेड़ा	कार्य प्रगति पर
251.		टेका	कार्य प्रगति पर
252.		अमलडीहा	कार्य प्रगति पर
253.		पुसल्दा	कार्य प्रगति पर
254.		शंकरपाली	कार्य प्रगति पर
255.		रूचिदा	कार्य प्रगति पर
256.		सेमीभांवर	कार्य प्रगति पर
257.		जामपाली	कार्य प्रगति पर

## परिशिष्ट “सात”

[ तारांकित प्रश्न संख्या 13 (क. 57) के भाग (ख) की जानकारी ]

## (अ) पूरे राज्य में विक्रय प्रतिबंध किये गये कीटनाशक औषधि कंपनी एवं उत्पाद की जानकारी

क्र. (1)	निर्माता कंपनी का नाम (2)	कीटनाशक दवा का नाम (3)	बैच नंबर (4)
1.	किल प्ले पेस्टीसाईड इंदौर	फोरेट 10% सी. जी.	के. पी. पी. आर-03
2.	रैलीज इंडिया लिमि. प्लाट नं. 3301, जी. आई. डी. सी. अंकलेश्वर (गुज.)	केप्टान 50% डब्ल्यू. पी.	ए. एन. 00708
3.	मे. मेधमनी आर्गेनिक्स 184, जी. आई. डी. सी. इंड. स्टेट, वाटवा, अहमदाबाद, 382445	फोरेट 10% सी. जी.	11/जी/023
4.	मे. नागार्जुन एग्रीकेम, प्लाट नं. 12-ए, लक्ष्मीटावर, नगरजुना हिल्स, पंजगट्टा, हैदराबाद 500082 (अ. प्र.)	डाईक्लोरोवाश, 76% ई. सी. फोरेट 10% सी. जी.	ई. डी. एस. 1104001 एन. 3998
5.	मे. स्वाल कार्पो. लिमि. 167, डॉ. एन्नी बेसन्त रोड, वर्ली, मुम्बई 400018	सल्फर 80% डब्ल्यू. पी. फोरेट 10% सी. जी.	जी. एच. डी. एस. आर. एस. 8001 डी. आई. ए. एम. एस. डब्ल्यू. पी. 078
6.	मे. इंसेक्टीसाईड इंडिया लिमि. ई-443, 444 रिको इंड. एरिया, चौपाकी, जिला अलवर (राज.)	डाईक्लोरोवाश, 76% ई. सी.	सी. 0235
7.	मे. शिवालिक एग्रोकेमि. इंड. ग्रोथ सेंटर, साम्बा जिला जम्मू	डाईक्लोरोवाश, 76% ई. सी. फोरेट 10% सी. जी.	एस. ए. एस. 164 एस. ए. सी. 104
8.	मे. यूनाईटेड फास्फोरस लिमि. गुजरात	फोरेट 10% सी. जी.	एफ. पी. जी. यू. एम. टी/071

## (ब) वर्ष 2011-12 में लायसेंस (विक्रय पंजीयन) निलंबित किये गये विक्रेताओं की सूची

क्र. (1)	जिला (2)	विक्रेता का नाम (3)
1.	रायपुर	नागार्जुन एग्री. के. रायपुर
2.		शिवालिक एग्रो, रायपुर
3.		शिवालिक एग्रो, रायपुर
4.		पाण्डेय बीज भण्डार, भाटापारा
5.		पवन खाद, राजिम, फिंगेश्वर
6.	जांजगीर	अशोका टेडर्स, सक्ती
7.		गौरव बीज भंडार, चांपा
8.		ओमप्रकाश गुप्ता, बलौदा
9.		कृषक जगत, चंद्रपुर, डभरा
10.		हर्षिता कृषि केन्द्र, बाराद्वार, सक्ती

परिशिष्ट "आठ"

[ तारांकित प्रश्न संख्या 14 (क. 124) के भाग (क) की जानकारी ]

वर्ष 2009 से 23-11-2011 तक स्वीकृत शहरी आवर्धन जल प्रदाय योजनाओं की जानकारी

जिला	क.	योजना का नाम	अनुमानित लागत (रु. लाख)	प्रशासकीय स्वीकृत दिनांक	कार्य प्रारंभ दिनांक	टीप
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
दुर्ग	1	दुर्ग आवर्धन जल प्रदाय योजना	7795.00	17-05-2010	अप्रारंभ	निविदा आमंत्रण प्रक्रिया में.
	2	मारो आवर्धन जल प्रदाय योजना	207.05	05-11-2011	अप्रारंभ	निविदा आमंत्रण प्रक्रिया में.
राजनांदगांव	3	राजनांदगांव आवर्धन जल प्रदाय योजना.	6081.00	06-06-2009	जनवरी 2010	कार्य प्रगति पर.
कांकेर	4	पाखांजूर आवर्धन जल प्रदाय योजना	40.00	25-08-2011	अप्रारंभ	निविदा आमंत्रण प्रक्रिया में.
दंतेवाड़ा	5	किरन्दुल आवर्धन जल प्रदाय योजना	616.59	08-03-2010	अप्रारंभ	गत वित्तीय वर्ष में राशि अप्राप्त थी. वर्तमान में शोधन संयंत्र व इंटैकवेल हेतु निविदा आमंत्रित. उच्चस्तरीय जलागार की प्राप्त प्रक्रिया में.
सतही निविदा दर परीक्षण	6	सुकमा आवर्धन जल प्रदाय योजना	424.52	07-02-2011	अप्रारंभ	प्रस्तावित कार्य हेतु निविदा आमंत्रित.
उच्चस्तरीय	7	सिरगिट्टी आवर्धन जल प्रदाय योजना	407.86	18-11-2009	02-05-2011	जलागार की प्राप्त निविदा दर परीक्षण प्रक्रिया में. राईजिंग मेन उच्चस्तरीय टंकी एवं सम्पवेल का कार्य प्रगति पर, डिस्ट्रीब्यूशन हेतु कार्य निविदा प्रक्रिया में.
बिलासपुर	8	तिफरा आवर्धन जल प्रदाय योजना	381.55	08-03-2010	14-07-2011	राईजिंग मेन कार्य प्रगति पर, डिस्ट्रीब्यूशन एवं टंकी का कार्य निविदा प्रक्रिया में.
	9	पथरिया आवर्धन जल प्रदाय योजना	89.60	24-06-2011	अप्रारंभ	निविदा प्रक्रिया में.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
जांजगीर-चांपा	11	सारागांव आवर्धन जल प्रदाय योजना	212.02	19-10-2011	अप्रारंभ	निविदा प्रक्रिया में.
जशपुर	10	जशपुर आवर्धन जल प्रदाय योजना	1171.55	23-02-2011	अप्रारंभ	निविदा प्रक्रिया में.

परिशिष्ट "नौ"

[ तारकित प्रश्न संख्या 15 (क. 48) की जानकारी ]

01 जनवरी, 2010 से 31 दिसम्बर, 2010 तक की गई विदेश यात्रा का विवरण

क.	मान. मुख्यमंत्री/मंत्री/संसदीय सचिव का नाम/पदनाम	अधिकारियों का नाम/पदनाम	यात्रा की तिथि	यात्रा का देश	यात्रा का उद्देश्य	यात्रा का व्यय किसके द्वारा वहन किया गया एवं व्यय राशि (7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	मान. श्री पुन्लाल मोहले, मंत्री	—	02 से 05 मई 10 तक	वेन्कुवर शहर (कनाडा)	अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन में भाग लेने हेतु. (अन्तर्राष्ट्रीय वेयर हाऊसिंग कार्पोरेशन में लॉजिस्टिक वेयर हाऊसिंग के संबंध में)	व्यय—छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम, रायपुर द्वारा— रु. 5,06,573 / —
2.	मान. श्री चन्द्रशेखर साहू, मंत्री	—	22-9-2010 से 27-9-2010	स्पेन	प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन और हस्तांतरण हेतु.	Novedades Agrícolas S. A. Spain शासकीय राशि का उपयोग नहीं किया गया है.
3.	—	श्री राजेश सुकुमार टोप्पो आयुक्त नगर पालिका निगम, भिलाई.	18 से 22 जनवरी 2010 तक.	मोरक्को (फ्रांस)	ASCI (Administrative Staff College of Indi) द्वारा Management of Public Private Partnership in the Urban Water and Sanitation Sector विषय पर आयोजित प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु.	नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा यांत्रिकी प्रकोष्ठ के प्रशिक्षण मद द्वारा राशि रुपये 1,38,948 / —

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	—	श्री एम. आर. सावंत	18 से 29 जनवरी	सिंगापुर	सिंगापुर को-ऑपरेशन	आवास, स्थानीय परिवहन,
प्रशिक्षण		प्राचार्य प्रो. जे. एन. पाण्डे	2010 तक.		प्रोग्राम एवाडर्स द्वारा	शुल्क और भत्ता का वहन
सिंगापुर		उ. मा. वि. रायपुर.			आयोजित कार्यक्रम	सरकार द्वारा तथा यात्रा हेतु
टिकिट					Enhancing Pedagogy skills for Teacher Trainers	एवं उससे संबंधित व्यय स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा में भाग लेने हेतु. कमीशन
यूरोपियन						के अंतर्गत स्ट्रेथनिंग ऑफ अपेक्स बार्डी (एस. सी. ई. आर. मद द्वारा रू.
राज्य साझेदारी कार्यक्रम						
टी/सीमेट)						
32,800 / —						
5.	—	1. श्री आर. एस. विश्वकर्मा	01 से 04 फरवरी	कैपटाउन	Mining Indaba-2010	छ. ग. खनिज विकास निगम
द्वारा		सचिव खनिज साधन विभाग	2010 तक	(दक्षिण अफ्रीका)	में भाग लेने हेतु.	रू. 5,69,622 / —
		2. श्री एस. के. त्रिवेदी				
		प्रभारी संचालक भौमिकी				
		एवं खनिकर्म.				
		1. श्री व्ही. के. मिश्रा,	दि. 07 से 10	टोरंटो	इन्टरनेशनल कन्वेंशन	व्यय राशि रू. 6,25,751 / —
		उप सचिव,				
		खनिज साधन विभाग	मार्च 2010 तक.	(कनाडा)	ट्रेड शो एण्ड इन्वेसटर	संचालनालय भौमिकी तथा
		2. श्री अनुराग दीवान,			एक्सचेंज कार्यक्रम में	खनिकर्म एवं डेव्हलपमेंट
		संयुक्त संचालक,			भाग लेने हेतु.	कार्पोरेशन द्वारा वहन किया
		भौमिकी एवं खनिकर्म.				गया.
		3. श्री पी. एस. यादव,				
		महाप्रबंधक,				
		खनिज विकास निगम.				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.	—	श्री एस. सी. झा, मुख्य वाष्य निरीक्षक, रायपुर.	दि. 15 से 19 फरवरी, 2010	चेकोस्लोवाकिया/ इटली	भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा गठित मूल्यांकन समिति के सदस्य के रूप में कारखानों का भौतिक निरीक्षण.	भारत सरकार, उद्योग मंत्रालय द्वारा.
8.	—	डॉ. आर. के. सिंह, संचालक, छ. ग. राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा, रायपुर.	दि. 16 से 25 फरवरी 2010 तक	यू. के./ स्विटजरलैंड	यू. एन. डी. पी. एवं स्विस एजेंसी द्वारा आयोजित स्टेडी टूर में प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने हेतु.	यू. एन. डी. पी. द्वारा
9.	—	श्री अनुसंग ओझा प्रधान पाठक प्राथ. विद्यालय, तेंदुआ रायपुर एवं 07 अन्य.	26 फर. से 04 मार्च 2010 तक	यू. के.	ब्रिटिश कांसिल द्वारा आयोजित कान्टेक्ट सेमीनार में भाग लेने हेतु.	ब्रिटिश कांसिल द्वारा
10.	—	डॉ. एम. सुधीश, सहायक प्राध्यापक, सीमेंट, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, रायपुर.	15 मार्च से 02 अप्रैल 2010 तक.	यू. एस. ए.	इन्टरनेशनल विजिटर लीडरशिप कार्यक्रम के तहत आयोजित द्वारा. Fostering Primary & Secondary Education for Girls में भाग लेने हेतु.	US Department
11.	—	1. श्री विवेक ढॉड़ प्रमुख सचिव खाद्य विभाग 2. श्री उमेश अग्रवाल प्रबंध संचालक भण्डार गृह निगम	02 से 05 मई 10 तक	वेन्सुवर शहर (कनाडा)	अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन में भाग लेने हेतु.	राज्य भण्डार गृह निगम द्वारा श्री विवेक ढॉड़ के व्यय की राशि रुपये 5,05,718 /—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12.	-	श्री एस. के. शुक्ला, संचालक, केडा	10 से 11 मई 2010	अटलांटा	USA India Business Summit (UIBS) द्वारा आयोजित Summit (UIBS) द्वारा "Renewable energy and Biofuel Development in C. G. and India" के संबंध में Summit में भाग लेने.	USA India Business Summit (UIBS) द्वारा आयोजित Summit (UIBS) द्वारा.
13.	-	श्रीमती सीमा सच्चर, व्याख्याता एवं अन्य 06 व्याख्याता/ शिक्षक	19 से 28 मई 2010	जापान	The Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youths Programme में भाग लेने हेतु.	भारत सरकार/जापान सरकार द्वारा.
14.	-	श्री अजय सिंह, प्रमुख सचिव, वित्त एवं योजना विभाग	(1) 1 से 5 जून 2010	कुआलालपुर (मलेशिया)	Sharing Experience and Understanding Perspective of Key Stakeholders in PPPs में भाग लेने हेतु.	आने-जाने तथा प्रासंगिक व्यय का वहन संस्थागत वित्त संचालनालय द्वारा तथा अन्य समस्त व्यय (पंजीयन शुल्क, होटल, आदि) का वहन कामन वेल्थ सचिवालय द्वारा राशि रुपये 1,48,766 / -
			(2) दिनांक 18-10-2010 से 23-10-2010 तक.	यूनाइटेड किंगडम	राज्यों की वित्तीय व्यवस्था विषय पर आयोजित 6 वें कामनवेल्थ कार्यपालिक कार्यक्रम में भाग लेने हेतु.	यात्रा पर होने वाले प्रशिक्षण शुल्क, आवासीय व्यवस्था तथा भोजन पर होने वाले व्यय का वहन कामनवेल्थ सचिवालय द्वारा वहन किया गया तथा कार्यक्रम में भाग लेने हेतु की जाने वाली यात्रा (रायपुर से नईदिल्ली तथा नईदिल्ली से यूनाइटेड किंगडम आने-जाने पर होने वाला व्यय) एवं यूनाइटेड किंगडम में की जाने वाली स्थानीय यात्राओं पर होने वाला समस्त व्यय राज्य शासन द्वारा राशि रुपये

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15.	—	श्री साजिद मेमन, सहायक संचालक, महिला एवं बाल विकास संचालनालय.	21 दिन तक की अनुमति	साऊदी अरब प्रवास	हज में BST के कार्य हेतु	छ. ग. राज्य हज कमेटी द्वारा रु. 61,930 /—
16.	—	श्री संजय अलंग, संयुक्त सचिव, राजस्व विभाग	19 से 30 जुलाई 2010	सिंगापुर	अन्तर्राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन विषय पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु.	समस्त व्ययों का वहन जापान एवं सिंगापुर सरकार द्वारा.
17.	—	श्री अमिताभ खंडेलवाल, संचालक, संस्थागत वित्त	दिनांक 3 अगस्त से 13 अगस्त 2010	जर्मनी	Capacity Building Programme on monitoring and evaluation of Externally Aided Projects पर आयोजित प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु.	समस्त व्ययों का वहन 'InWent' संस्था, जर्मनी द्वारा.
18.	—	श्री. डी. के. सोनकुसले, कार्यपालन अभियंता, महानदी गोदावरी कछार, रायपुर	02 अगस्त से 10 सितंबर, 2010 तक	डेनमार्क	Decision Support System (Planning) for IWR Planning and Management विषयक प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु.	समस्त व्ययों का वहन Danida Fellowship Centre Denmark द्वारा.
19.	—	श्री विकास शील, सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	28 से 30 जुलाई 2010 तक	चियापास, मैक्सिको	Localising MDGs : Local Agendas for Human Development विषय पर आधारित सेमीनार में भाग लेने हेतु.	समस्त व्यय का वहन UNDP, India द्वारा.
20.	—	1. श्री जवाहर श्रीवास्तव सचिव, छ. ग. शासन, नगरीय प्रशासन विभाग	26 सितंबर से 08 अक्टूबर 2010 तक	लंदन, कोपनहेगन, मैक्सिको एवं बोगोटा	GEF-SUPT World Bank Study Tour में भाग लेने हेतु.	प्रवास पर होने वाले व्यय का वहन GEF Grant एवं Hudco के RD Grant Fund द्वारा समस्त व्यय की राशि रुपये 25,97,454 /—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2. श्री एस. एस. बजाज, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एनआरडीए	26 सितंबर से 08 अक्टूबर 2010 तक.	लंदन, कोपनहेगन मैक्सिको एवं बोमोटा		
		3. श्री एल. के. पाणिग्राही, मुख्य अभियंता, प्रोजेक्ट, पीआईयू (एसयूटीपी)	30-9-2010 से 8-10-2011 तक	बगोटा ल्याया दुबई, साओपालो, पनामा सिटी, मैक्सिको सिटी		
		4. श्री एस. आर. श्रीवास्तव मुख्य अभियंता (अभियांत्रिक), पीआईयू (एसयूटीपी)	30-9-2010 से 8-10-2011 तक			
		5. श्री ए. आर. गुप्ता, कार्यकारी अभियंता एवं प्रबंधन अधिकारी, पीआईयू (एसयूटीपी)	30-9-2010 से 8-10-2011 तक			
21.	-	श्री अंबलगन पी., संचालक, स्वास्थ्य सेवायें	दिनांक 31-08-10 से 09-09-2010 तक	सिंगापुर	Pan-Commonwealth PPP प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु.	उक्त यात्रा पर होने वाले समस्त व्यय का वहन सिंगापुर सहयोग कार्यक्रम एवं CFITC द्वारा किया गया तथा आने-जाने का व्यय का वहन यूरोपियन संघ राज्य साझेदारी कार्यक्रम (पार्टनरशिप प्रोग्राम) द्वारा राशि रूपये
22.	-	श्री देवेन्द्र वर्मा, सचिव विधान सभा सचिवालय	दिनांक 5 से 19 सितंबर 2010 तक	नेरोबी, चीन, जापान, इजिप्ट प्रवास	56वें कामनवेल्थ संसदीय कान्फ्रेंस में भाग लेने एवं अध्ययन यात्रा हेतु.	समस्त व्यय का वहन छ. ग. विधान सभा सचिवालय द्वारा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
23.	—	श्री प्रसन्ना आर., कलेक्टर जिला-बीजापुर	दिनांक 14-09-10 से 16-09-2010 तक	बैंकाक	Protecting Access to Education In Difficult Circumstances कार्यक्रम में भाग लेने हेतु.	व्यय का वहन यूनिसेफ द्वारा
24.	—	डॉ. एम. पी. पाण्डेय, कुलपति, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर.	दिनांक 9-11 नवंबर 2010 तक	हनोई वियतनाम	International Rice Research Institute (IRRI), फिलिपीन्स द्वारा आयोजित International Rice Congress में भाग लेने हेतु.	समस्त व्ययों का वहन 'International Rice Research Institute (IRRI)' फिलिपीन्स द्वारा.
25.	—	श्री एल. के. शर्मा, संकाय सदस्य, संचार, सूचना एवं शिक्षा	दिनांक 1 से 10 नवंबर 2010 तक	कोलंबो	NIRD and CIRDAP collaborative International Training Course on Management of Rural Drinking Water and Sanitation Projects विषयक प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु.	समस्त व्ययों का वहन 'CIRDAP, Dhaka' संस्था द्वारा.
26.	—	श्री एस. सी. झा, मुख्य वाष्प निरीक्षक, रायपुर.	दि. 15 से 19 फरवरी 2010	चेकोस्लोवाकिया/ इटली	भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा गठित मूल्यांकन समिति के सदस्य के रूप में कारखानों का भौतिक निरीक्षण	भारत सरकार, उद्योग मंत्रालय द्वारा.
27.	—	1. श्री एम. डी. कावरे, महाप्रबंधक-प्रशासन एनआरडीए, रायपुर 2. श्री बी. के. लाल, महाप्रबंधक-वित्त एनआरडीए, रायपुर	दि. 12 से 17 अप्रैल, 2010	सिंगापुर, मलेशिया, थाइलैंड	एक्सव्यूटिव्ह डेव्लपमेंट प्रोग्राम ऑन साऊथ ईस्ट एशियन मॉडल्स ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर फेसिलिटीज फार इण्डिया सिटीज.	हुडको के आएनडी मद से रु. 3,67,368 /—

## परिशिष्ट “दस”

[ तारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्र. 159) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

## प्रपत्र “अ”

## (क) विकासखण्डवार आयोजित कृषक सम्मेलन की जानकारी जिला-रायपुर

क्र.	विकासखण्ड	सम्मेलन संख्या	तिथि	स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>वर्ष 2010-11</b>				
1.	देवभोग	01	12-04-10	मूंगझर
2.	धरसीवा	02	15, 16 सितम्बर 2010. 13-11-10	धनेली (माना) नीलजा
3.	अभनपुर	03	21-11-10 06-01-11 09-02-11	धुसेरा खट्टी धुसेरा
4.	फिंगेश्वर	02	15-11-10 20-03-11	बकली बकली
5.	तिल्दा	02	04-12-10 22-01-11	सांकरा परसदा
6.	ब. बाजार	02	17-12-10 18-01-11	करमदा अर्जुनी
7.	मैनपुर	02	05-01-11 14-02-11	धुर्वागुढ़ी जाड़ापदर
8.	छुरा	01	08-01-11	कोसमबुड़ा
9.	कसडोल	01	18-02-11	कसडोल
10.	गरियाबंद	01	04-03-11	गरियाबंद
<b>योग</b>		<b>17</b>		

## वर्ष 2011-12

1.	बिलाईगढ़	01	20-04-11	पवनी
2.	आरंग	01	17-05-11	कुम्हारी

2011

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	पलारी	01	21-10-11	पडारीडीह
4.	भाटापारा	01	09-11-11	मोपर
5.	सिमगा	01	10-11-11	पौसरी
6.	फिंगेश्वर	01	11-11-11	बरुला
7.	तिल्दा	01	18-11-11	सिलपट्टी
8.	बलौदा बाजार	01	23-11-11	सोनाडीह
<b>योग</b>		<b>08</b>		
<b>महायोग</b>		<b>25</b>		

## प्रपत्र “ब”

(ख) विकासखण्डवार पूर्णतः एवं आंशिक अनुदान पर कृषि उपकरण एवं मोटर पंप मोटर पंप वितरण की जानकारी  
जिला रायपुर

पंप	क्र.	वि. ख. नाम	पूर्णतः अनुदान पर वितरण				आंशिक अनुदान पर वितरण			
			कृषि उपकरण		मोटर पंप		कृषि उपकरण		मोटर	
(1)	(2)	(3)	संख्या	कृषक संख्या	संख्या	कृषक संख्या	संख्या	कृषक संख्या	संख्या	कृषक संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>वर्ष 2010-11</b>										
1.	देवभोग	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	धरसीवा	-	-	-	-	2	2	2	2	2
3.	अभनपुर	-	-	-	-	7	7	4	4	4
4.	फिंगेश्वर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	तिल्दा	-	-	-	-	1	1	-	-	-
6.	बलौदा बाजार	-	-	-	-	8	8	3	3	3
7.	मैनपुर	-	-	-	-	8	8	3	3	3
8.	छुरा	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	कसडोल	-	-	-	-	-	-	32	32	32
10.	गरियाबंद	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>योग</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>44</b>
<b>वर्ष 2011-12</b>										
11.	बिलाईगढ़	-	-	-	-	5	5	-	-	-
12.	आरंग	-	-	-	-	-	-	2	2	2
13.	पलारी	-	-	-	-	3	3	-	-	-
14.	भाटापारा	-	-	-	-	6	6	-	-	-
15.	सिमगा	15	15	-	-	5	5	-	-	-
16.	फिंगेश्वर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	तिल्दा	-	-	-	-	9	9	-	-	-
18.	बलौदा बाजार	-	-	-	-	-	-	13	13	13
	<b>योग</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
	<b>महायोग</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>59</b>

2011

## परिशिष्ट “ग्यारह”

[ तारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 128 ) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

**राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत वर्ष 2012 तक राजिम विधान सभा क्षेत्र के बी. पी. एल. परिवारों को एकलबत्ती कनेक्शन प्रदाय किये जाने का लक्ष्य एवं लक्ष्य के विरुद्ध दिये गये एवं शेष कनेक्शनों की जानकारी.**

क्र.	ग्राम का नाम	बी. पी. एल. कनेक्शन प्रस्तावित	बी. पी. एल. कनेक्शन जारी किया गया	शेष बी. पी. एल. कनेक्शन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	हथखोज	31	31	0
2.	पोखरा	33	33	0
3.	परसदाजोशी	36	36	0
4.	खपरी	4	4	0
5.	पसौद	24	24	0
6.	सिरीकला	15	15	0
7.	लचकेरा	16	16	0
8.	सोनेसिल्ली	28	16	12
9.	कोसमखुंटा	20	20	0
10.	भेण्डरी	1	1	0
11.	पथरी	15	15	0
12.	सरगोड	4	4	0
13.	रजकट्टी	24	14	10
14.	बम्हनदेही	15	5	10
15.	बनगवा	10	10	0
16.	गुडरदेही	18	11	7
17.	तरजुंगा	9	9	0
18.	खैरझिटी	7	7	0
19.	बोरिद	16	16	0
20.	सरकडा	25	25	0
21.	खुडसा	3	3	0
22.	बिनौरी	17	17	0
23.	पुरेना	15	15	0
24.	बिडोरा	7	4	3
25.	परसदाकला	72	72	0
26.	पाली	25	25	0
27.	पेन्द्रा	10	10	0
28.	रोबा	32	32	0
29.	भसेरा	32	32	0
30.	रक्सा	25	25	0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
31.	बासीन	47	47	0
32.	बरभाठा	37	37	0
33.	रावन	19	19	0
34.	अरन्ड	52	52	0
35.	धमनी	4	4	0
36.	पितईबंद	38	30	8
37.	बकली	36	30	6
38.	कुम्ही	52	19	33
39.	चौबेबांधा	12	12	0
40.	सिंधौरी	23	23	0
41.	बरोंडा	37	37	0
42.	लफंदी	32	25	7
43.	धुमा	14	4	10
44.	चचौद	1	1	0
45.	कोमा	23	23	0
46.	किरवई	28	28	0
47.	पिपरछेडी	1	1	0
48.	बेलटुकरी	29	26	3
49.	भैसातरा	4	4	0
50.	बोरसी	51	46	5
51.	मडवाडीह	3	3	0
52.	खेली	3	3	0
53.	बिजली	14	14	0
54.	कौदकेरा	60	60	0
55.	रोहिना	52	26	26
56.	परतेवा	39	26	13
57.	जेंजरा	92	49	43
58.	सुरसाबांधा	36	22	14
59.	कुरूसकेरा	28	15	13
60.	तरा	60	5	55
61.	कोपरा	83	83	0
62.	भेन्डी	20	14	6
63.	पंडरीतराई	7	7	0
64.	खेली	7	7	0
65.	लोहरसी	52	36	16
66.	धुरसा	22	22	0
67.	देवरी	31	31	0
68.	टेकारी	35	35	0

2011

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
69.	तरीघाट	25	25	0
70.	सहसपुर	5	5	0
71.	कसेरूडीह	1	1	0
72.	सिरीखुर्द	6	6	0
73.	चरभटठी	5	5	0
74.	कुंडेल	29	29	0
75.	चरौदा	14	14	0
76.	छुईहा	8	8	0
77.	जमाही	9	9	0
78.	जोगीडीपा	13	13	0
79.	बोडकी	9	9	0
80.	फुलझर	9	9	0
81.	बेलर	21	21	0
82.	पतोरी	10	10	0
83.	घोघरा	6	6	0
84.	पतोरा	33	28	5
85.	गनियारी	9	9	0
86.	सेन्दर	16	16	0
87.	परसट्ठी	19	8	11
88.	बारूला	9	9	0
89.	खुटेरी	16	16	0
90.	देवगांव	9	9	0
91.	नांगझर	73	0	73
92.	धरमपुर	23	23	0
93.	घोघरा	23	23	0
94.	नरतोरा	30	17	13
95.	नांगझर	31	0	31
96.	नागिनबाहरा	13	0	13
97.	खरखरा	20	19	1
98.	खडमा	43	0	43
99.	नवापारा	26	26	0
100.	नवापारा	13	0	13
101.	नवाडीह	28	0	28
102.	नवगई	30	0	30
103.	खट्टी	14	6	8
104.	खट्टी	11	0	11
105.	अमेठी	30	30	0
106.	द्वारतरा	28	0	28

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
107.	बम्हनी	22	0	22
108.	बीजापाली	17	0	17
109.	टोनहीडबरी	18	5	13
110.	अतरमरा	40	0	40
111.	टेंगनाभाठा	20	0	20
112.	बोरियाझर	76	21	55
113.	बोडराबांधा	23	23	0
114.	गायडबरी	11	0	11
115.	बोडराबांधा	140	0	140
116.	बेहराडीह	31	18	13
117.	गोंदलबाहरा	34	0	34
118.	कुरूकेरा	43	0	43
119.	गोनबोरा	41	21	20
120.	कुडेमा	13	3	10
121.	करकरा	10	0	10
122.	करचाली	11	0	11
123.	कांदागडी	10	10	0
124.	कांटाखुसरी	109	0	109
125.	कारीदादर	25	14	11
126.	कोरायी	27	0	27
127.	कोसमबुडा	11	11	0
128.	कोसमी	30	22	8
129.	कोसमपानी	37	0	37
130.	कसहीबाहरा	42	11	31
131.	कसेकेरा	34	0	34
132.	कछारडीह	65	0	65
133.	कुरूद	45	0	45
134.	कुक्दा	38	0	38
135.	कुम्हरामरा	24	0	24
136.	कुटेना	40	0	40
137.	केंवटीझर	32	12	20
138.	कनेसर	16	0	16
139.	मातरबाहरा	10	4	6
140.	मोहतरा	66	0	66
141.	मडेली	17	0	17
142.	मुरमुरा	59	0	59
143.	मुड़ागांव	62	0	62
144.	बिरनीबाहरा	25	0	25

2011

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
145.	पिपरहट्टा	40	0	40
146.	पिपरछेडी	80	35	45
147.	विजयपुर	19	18	1
148.	विजयनगर	40	9	31
149.	चितामाडा	32	0	32
150.	फिंगेश्वरी	1	0	1
151.	तिलाईदादर	72	13	59
152.	तिलाईदादर	41	0	41
153.	हरदी	62	30	32
154.	भरूवामुडा	30	0	30
155.	भैरा	86	27	59
156.	भैसामुडा	39	0	39
157.	पंडरीपानी	38	38	0
158.	पंडरीपानीकमार	65	0	65
159.	पंडरीपानीडीह	162	0	162
160.	पथरी	10	0	10
161.	परसापानी	14	0	14
162.	परसदाखुर्द	25	12	13
163.	पाण्डुका	49	0	49
164.	पौंड	70	0	70
165.	पाटसिवनी	53	0	53
166.	पत्तरपाली	16	16	0
167.	रक्सी	23	11	12
168.	रावनाभाठा	26	26	0
169.	राजपुर	25	20	5
170.	रजनकटा	86	0	86
171.	साकंरा	40	0	40
172.	सारागांव	10	10	0
173.	सारागांव	52	0	52
174.	साजापाली	66	0	66
175.	सेंदबाहरा	25	20	5
176.	सेम्हरा	67	67	0
177.	सेहरापानी	47	47	0
178.	डांगनबाय	48	0	48
179.	डुमरडीह	11	11	0
180.	दादरगांव	37	0	37
181.	छुरा	33	0	33
182.	दुल्ला	109	59	50

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
183.	छतरपुर	8	0	8
184.	देवरी	16	16	0
185.	देवसरा	61	0	61
186.	देवगांव	32	30	2
187.	चरौदा	70	0	70
188.	चुरकीदादर	37	0	37
189.	फुलझर	29	0	29
190.	तौरंगा	44	0	44
191.	तालेसर	31	0	31
192.	जटियातोरा	46	45	1
193.	जरगांव	49	20	29
194.	जामली	50	0	50
195.	जुनवानी	52	0	52
196.	जलकीपानी	26	15	11
197.	नहरगांव	153	44	109
198.	घुटकुनवापारा	39	31	8
199.	नागाबुडा	78	78	0
200.	खटटी	30	0	30
201.	आमझर	19	0	19
202.	आमदी	51	0	51
203.	बहराबुडा	55	26	29
204.	टोइयामुडा	40	30	10
205.	बरबाहरा	37	0	37
206.	बारूका	21	21	0
207.	गंजईपुरी	15	10	5
208.	कासरबाय	18	18	0
209.	कोकडी	30	11	19
210.	कोदोबत्तर	74	22	52
211.	कस	29	17	12
212.	कसेरु	46	10	36
213.	कौचबाय	134	18	116
214.	मालगांव	51	19	32
215.	मजरकटा	76	15	61
216.	झिथरीडुमर	24	10	14
217.	भिलाई	15	0	15
218.	विजयनगर	11	0	11
219.	चिखली	57	54	3
220.	हरदी	113	90	23

2011

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
221.	सोहागपुर	32	21	11
222.	सडौली	30	30	0
		<b>7442</b>	<b>3227</b>	<b>4215</b>

**परिशिष्ट “बारह”**  
[ तारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्र. 88) की जानकारी ]

**गौण खनिज पत्थर के स्वीकृत उत्खनिपट्टों की विकासखण्डवार जानकारी**

क्र.	पट्टेधारी का नाम	ग्राम	तहसील	रकबा (एकड़ में)	अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1. विकासखण्ड - कटघोरा</b>					
1.	श्रीमती तापेश्वरी देवी, पसान	पसान	कटघोरा	3.49	10-12-07 से 09-12-12
2.	श्री पतराय	घुचापुर	कटघोरा	5.00	05-04-08 से 04-04-18
3.	श्री जोधन राम यादव	भलपहरी	कटघोरा	2.47	11-02-11 से 10-02-16
<b>2. विकासखण्ड - पोड़ी उपरोड़ा</b>					
4.	श्री मनोज कुमार नायडू	आमाखोपरा	पोड़ी उपरोड़ा	4.95	26-05-10 से 25-05-15
5.	श्री सुनील कुमार अग्रवाल	तनेरा	पोड़ी उपरोड़ा	4.03	30-05-11 से 29-05-16
6.	श्री प्रवीण कुमार मित्तल	केशलपुर	पोड़ी उपरोड़ा	9.90	06-08-11 से 05-08-16
7.	श्री संदीप जाखड़	पसान	पोड़ी उपरोड़ा	3.00	14-11-11 से 13-11-21
<b>3. विकासखण्ड - करतला</b>					
8.	श्री रामनारायण अग्रवाल	देवलपाठ	करतला	3.00	23-12-08 से 22-12-18
9.	श्री भुनेश्वर बिंझवार	देवलपाठ	करतला	1.25	10-09-09 से 09-09-14
10.	श्री मालिक राम	चिचोली	करतला	1.60	04-12-10 से 03-12-15
11.	श्री राकेश सिंघल	देवलपाठ	करतला	0.53	07-12-10 से 06-12-15
12.	श्री तुलसी राम	बगदर	करतला	4.02	27-11-10 से 26-11-20
13.	श्री राजू बिंझवार	देवलपाठ	करतला	0.75	17-06-11 से 16-06-16
14.	श्री चितरंजन राठौर	फुलझर	करतला	5.00	10-08-11 से 09-08-16
15.	श्री मुन्नालाल श्रीवास	तरदा	करतला	3.50	22-12-08 से 21-12-18
16.	श्री जोधनराम यादव	तरदा	करतला	4.95	05-02-10 से 04-02-13
17.	श्री मुरारीलाल अग्रवाल	तरदा	करतला	4.95	26-02-10 से 25-02-13
18.	मेसर्स नहरिया इंटरप्राइजेस	तरदा	करतला	7.41	27-03-10 से 26-03-20
19.	मेसर्स लैको इन्फ्राटेक लिमिटेड	तरदा	करतला	9.90	31-03-10 से 30-03-15
20.	श्री मातालीन जायसवाल	घाठाझारी	करतला	4.95	07-08-10 से 06-08-15

**परिशिष्ट “तेरह”**  
[ तारांकित प्रश्न संख्या 25 (क्र. 121) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

(राशि लाखों में)

क्र.	संस्था का नाम	भारत सरकार से एकजाई प्राप्त आवंटन	निर्माण कार्य में व्यय राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	एकलव्य मॉडल रेसीडेसियल स्कूल अंतागढ़ वि. ख. अंतागढ़ जिला कांकेर.	08 संस्था हेतु प्राप्त एकजाई आवंटन. 3897.14	505.72
2.	एकलव्य मॉडल रेसीडेसियल स्कूल बकावण्ड वि. ख. बकावण्ड जिला जगदलपुर.		480.50
3.	एकलव्य मॉडल रेसीडेसियल स्कूल सन्ना वि. ख. बगीचा जिला जशपुर.		440.15
4.	एकलव्य मॉडल रेसीडेसियल स्कूल छोटेमुड़पार वि. ख. खरसिया जिला रायगढ़.		431.99
5.	एकलव्य मॉडल रेसीडेसियल स्कूल मैनपाट वि. ख. मैनपाट जिला सरगुजा.		479.61
6.	एकलव्य मॉडल रेसीडेसियल स्कूल तरेगांवजंगल वि. ख. बोडला जिला कबीरधाम.		494.12
7.	एकलव्य मॉडल रेसीडेसियल स्कूल शिवप्रसादनगर जिला सरगुजा.		420.95
8.	एकलव्य मॉडल रेसीडेसियल स्कूल कटेकल्याण वि. ख. कटेकल्याण जिला दंतेवाड़ा.		143.37
9.	एकलव्य मॉडल रेसीडेसियल स्कूल भैरमगढ़ वि. ख. भैरमगढ़ जिला बीजापुर.	400.00	-
10.	एकलव्य मॉडल रेसीडेसियल स्कूल कटघोरा वि. ख. कटघोरा जिला कोरबा.	400.00	-
11.	एकलव्य मॉडल रेसीडेसियल स्कूल पेण्डी जिला राजनांदगांव.	400.00	-
<b>योग राशि :-</b>		<b>5097.14</b>	<b>3396.41</b>

## नियम 46 (2) के अन्तर्गत परिवर्तित अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट “चौदह”

[ परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 01 (क्र. 02 ) के भाग (क) की जानकारी ]

सरगुजा जिले में इफको छत्तीसगढ़ पावर लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित पावर प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित भूमि का विवरण

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

क्र.	ग्राम का नाम	निजी भूमि	शासकीय भूमि	राजस्व वन भूमि	आरक्षित/ संरक्षित वन भूमि	कुल भूमि	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	सलका	172.800	11.092	--	--	183.892	निजी भूमि छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन रायपुर द्वारा निजी भूमि संस्थान को परियोजना स्थापना हेतु आवंटित की गई है.
2.	नारायणपुर	62.465	--	--	--	62.465	
3.	कठमुंडा	97.229	7.510	--	--	104.739	
4.	मुड़गांव	60.107	--	--	--	60.107	
5.	नमना	39.300	--	--	--	39.300	
6.	रघुनाथपुर	13.780	--	--	--	13.780	
<b>7.</b>	<b>कुल (06) ग्राम</b>	<b>445.681</b>	<b>18.602</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>464.283</b>	

## परिशिष्ट “पंद्रह”

[ परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 03 (क्र. 13 ) के भाग (क) की जानकारी ]

## बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत पशु चिकित्सा संस्थाओं की जानकारी

विकासखण्ड (1)	पशुचिकित्सालय का नाम (2)	पशु औषधालय का नाम (3)	मुख्य ग्राम खण्ड (4)	मुख्य ग्राम इकाई (5)
बेमेतरा	1. पशु चिकित्सालय बेमेतरा.	1. पशु औषधालय पेण्डीतराई	1. मुख्य ग्राम खण्ड बेमेतरा.	1. मुख्य ग्राम इकाई बैजी 2. मुख्य ग्राम इकाई मोहतरा 3. मुख्य ग्राम इकाई बहेरा 4. मुख्य ग्राम इकाई जेवरा
बेरला	2. पशु चिकित्सालय बेरला.	1. पशु औषधालय हरदी 2. पशु औषधालय सरदा 3. पशु औषधालय हसदा 4. पशु औषधालय सिरसा 5. पशु औषधालय मनियारी 6. पशु औषधालय पांहदा 7. पशु औषधालय लावातरा 8. पशु औषधालय आंनदगांव 9. पशु औषधालय सोढ़	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -
धमधा	-	1. पशु औषधालय बिरौदा	-	-

## परिशिष्ट “सोलह”

[ परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 06 (क्र. 64) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

## प्रपत्र “अ”

## संचालित छात्रावासों की क्षमता का विकासखंडवार जानकारी

क्र. (1)	छात्रावास का नाम (2)	बालक/कन्या (3)	क्षमता (4)
-------------	-------------------------	-------------------	---------------

## विकासखण्ड नवागढ़

1.	पो. मै. अनुसूचित जाति छात्रावास जांजगीर	बालक	50
2.	पो. मै. अनुसूचित जाति छात्रावास जांजगीर	कन्या	50
3.	पो. मै. अनुसूचित जाति छात्रावास जांजगीर	कन्या	50
4.	प्री मै. अनुसूचित जनजाति छात्रावास जांजगीर	बालक	50
5.	प्री मै. अनुसूचित जाति छात्रावास जांजगीर	बालक	50
6.	प्री मै. अनुसूचित जाति छात्रावास जांजगीर	कन्या	50
7.	प्री मै. अनुसूचित जाति छात्रावास नवागढ़	बालक	20
8.	प्री मै. अनुसूचित जाति छात्रावास नवागढ़	कन्या	50
9.	प्री मै. अनुसूचित जाति छात्रावास केरा	कन्या	50
10.	प्री मै. अनुसूचित जाति छात्रावास सलखन	कन्या	50
11.	प्री मै. अनुसूचित जाति छात्रावास कुटरा	कन्या	50
12.	प्री मै. अनुसूचित जाति छात्रावास अमोदा	कन्या	50

## विकासखण्ड अकलतरा

13.	पो. मै. अनुसूचित जाति छात्रावास अकलतरा	बालक	50
14.	प्री मै. अनुसूचित जनजाति छात्रावास अकलतरा	बालक	50
15.	पो. मै. अनुसूचित जाति छात्रावास अकलतरा	कन्या	50
16.	प्री मै. अनुसूचित जाति छात्रावास अकलतरा	कन्या	50
17.	प्री मै. अनुसूचित जाति छात्रावास अकलतरा	बालक	50
18.	प्री मै. अनुसूचित जाति छात्रावास नरिहरा	कन्या	50
19.	प्री मै. अनुसूचित जाति छात्रावास पोड़ीदलहा	कन्या	50
20.	प्री मै. अनुसूचित जाति छात्रावास कापन	कन्या	50
21.	प्री मै. अनुसूचित जाति छात्रावास कोटमीसुनार	कन्या	50
22.	प्री मै. अनुसूचित जाति छात्रावास हरदी जर्वे	कन्या	50
23.	प्री मै. अनुसूचित जाति छात्रावास तिलई	कन्या	50

2011

(1)	(2)	(3)	(4)
<b>विकासखण्ड बलौदा</b>			
24.	पो. मै. अनुसूचित जाति छात्रावास जर्वे	कन्या	50
25.	पो. मै. अनुसूचित जाति छात्रावास चारपारा	कन्या	50
26.	प्री मै. अनुसूचित जनजाति छात्रावास बलौदा	बालक	50
27.	प्री मै. अनुसूचित जाति छात्रावास बलौदा	बालक	50
28.	प्री मै. अनुसूचित जाति छात्रावास खिसोरा	बालक	20
29.	प्री मै. अनुसूचित जाति छात्रावास बलौदा	कन्या	50
30.	प्री मै. अनुसूचित जाति छात्रावास बुड़गहन	कन्या	50
31.	प्री मै. अनुसूचित जाति छात्रावास पहरिया	कन्या	50
<b>विकासखण्ड सकती</b>			
32.	प्री मै. अनुसूचित जाति छात्रावास सकती	बालक	20
33.	प्री मै. अनुसूचित जाति छात्रावास सकती	कन्या	20
34.	प्री मै. अनुसूचित जाति छात्रावास बाराद्वार	बालक	20
35.	प्री मै. अनुसूचित जाति छात्रावास लवसरा	कन्या	50
36.	प्री मै. अनुसूचित जाति छात्रावास बाराद्वार	कन्या	50
37.	प्री मै. अनुसूचित जाति छात्रावास जर्वे	कन्या	50
38.	पो मै. अनुसूचित जनजाति छात्रावास सकती	बालक	50
39.	प्री मै. अनुसूचित जनजाति छात्रावास सकती	बालक	50
40.	प्री मै. अनुसूचित जनजाति छात्रावास सकती	कन्या	50
41.	प्री मै. अनुसूचित जनजाति छात्रावास खैरा	बालक	50
<b>विकासखण्ड पामगढ़</b>			
42.	पो. मै. अनुसूचित जाति छात्रावास पामगढ़	कन्या	50
43.	प्री मै. अनुसूचित जाति छात्रावास पामगढ़	बालक	20
44.	प्री मै. अनुसूचित जाति छात्रावास पामगढ़	कन्या	50
45.	प्री मै. अनुसूचित जाति छात्रावास खरौद	बालक	20
46.	प्री मै. अनुसूचित जाति छात्रावास खरौद	कन्या	20
47.	प्री मै. अनुसूचित जाति छात्रावास भुईगांव	कन्या	50
48.	प्री मै. अनुसूचित जाति छात्रावास तनौद	कन्या	50
49.	प्री मै. अनुसूचित जाति छात्रावास ससहा	कन्या	50
<b>विकासखण्ड बम्हनीडीह</b>			
50.	प्री मै. अनुसूचित जाति छात्रावास झरना	बालक	20
51.	प्री मै. अनुसूचित जाति छात्रावास बम्हनीडीह	बालक	20
52.	प्री मै. अनुसूचित जाति छात्रावास सारागांव	बालक	20

(1)	(2)	(3)	(4)
53.	प्री मै. अनुसूचित जाति छात्रावास चांपा	बालक	20
54.	प्री मै. अनुसूचित जाति छात्रावास चांपा	कन्या	20
55.	प्री मै. अनुसूचित जाति छात्रावास बिरा	बालक	50
56.	प्री मै. अनुसूचित जाति छात्रावास चोरिया	कन्या	50
57.	प्री मै. अनुसूचित जाति छात्रावास अफरीद	कन्या	50
58.	प्री मै. अनुसूचित जाति छात्रावास बिरा	कन्या	50
59.	पो. मै. अनुसूचित जनजाति छात्रावास चांपा	बालक	50
60.	प्री मै. अनुसूचित जनजाति छात्रावास बिरा	बालक	50

### विकासखण्ड जैजैपुर

61.	प्री मै. अनुसूचित जाति छात्रावास जैजैपुर	बालक	50
62.	प्री मै. अनुसूचित जाति छात्रावास ठठारी	बालक	20
63.	प्री मै. अनुसूचित जाति छात्रावास दतौद	बालक	20
64.	प्री मै. अनुसूचित जाति छात्रावास हसौद	बालक	20
65.	प्री मै. अनुसूचित जाति छात्रावास कचंदा	बालक	50
66.	प्री मै. अनुसूचित जाति छात्रावास पेण्डी	बालक	50
67.	प्री मै. अनुसूचित जाति छात्रावास जैजैपुर	कन्या	50
68.	प्री मै. अनुसूचित जाति छात्रावास सलनी	कन्या	50
69.	प्री मै. अनुसूचित जाति छात्रावास ओडेकेरा	बालक	50
70.	प्री मै. अनुसूचित जाति छात्रावास हसौद	कन्या	50

### विकासखण्ड डभरा

71.	पो. मै. अनुसूचित जाति छात्रावास डभरा	बालक	50
72.	प्री मै. अनुसूचित जाति छात्रावास डभरा	बालक	20
73.	प्री मै. अनुसूचित जाति छात्रावास धुरकोट	बालक	20
74.	प्री मै. अनुसूचित जाति छात्रावास डभरा	कन्या	50
75.	प्री मै. अनुसूचित जाति छात्रावास कोटमी	कन्या	50
76.	प्री मै. अनुसूचित जनजाति छात्रावास कोटमी	बालक	50
77.	प्री मै. अनुसूचित जनजाति छात्रावास चंद्रपुर	बालक	50
78.	प्री मै. अनुसूचित जनजाति छात्रावास डभरा	बालक	50

### विकासखण्ड मालखरौदा

79.	पो. मै. अनुसूचित जाति छात्रावास मालखरौदा	कन्या	50
80.	प्री मै. अनुसूचित जाति छात्रावास मालखरौदा	बालक	20
81.	प्री मै. अनुसूचित जाति छात्रावास पिरदा	बालक	50
82.	प्री मै. अनुसूचित जाति छात्रावास सिंघरा	बालक	20

2011

(1)	(2)	(3)	(4)
83.	प्री मै. अनुसूचित जाति छात्रावास फगुरम	बालक	50
84.	प्री मै. अनुसूचित जाति छात्रावास अडभार	बालक	20
85.	प्री मै. अनुसूचित जाति छात्रावास छपोरा	बालक	50
86.	प्री मै. अनुसूचित जाति छात्रावास मालखरौदा	कन्या	50
87.	प्री मै. अनुसूचित जाति छात्रावास छपोरा	कन्या	50

## प्रपत्र “ब”

## भवन विहीन आश्रम/छात्रावासों की जानकारी - जिला जांजगीर-चांपा

क्र. (1)	भवन विहीन छात्रावास/आश्रम का नाम (2)
1.	आदिवासी बालक आश्रम केरीबंधा
2.	आदिवासी बालक आश्रम मसनियाखुर्द
3.	आदिवासी बालक आश्रम आमापाली
4.	अनुसूचित जाति बालक आश्रम कुटराबोड़
5.	अनुसूचित जाति बालक आश्रम चिस्दा
6.	अनुसूचित जाति बालक आश्रम नगारीडीह
7.	अनुसूचित जाति बालक आश्रम हरेठीकला
8.	अनुसूचित जाति बालक आश्रम तुषार
9.	अनुसूचित जाति बालक आश्रम परसाडीह
10.	अनुसूचित जाति बालक आश्रम गुचकुलिया
11.	अनुसूचित जाति बालक आश्रम धौराभाठा
12.	अनुसूचित जाति बालक आश्रम अड़भार
13.	प्री मै. अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास नवागढ़
14.	प्री मै. अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास केरा
15.	प्री मै. अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास सखलन
16.	प्री मै. अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास कुटरा
17.	प्री मै. अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास अमोदा
18.	प्री मै. अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास कापन
19.	प्री मै. अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास कोटमीसुनार
20.	प्री मै. अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास हरदी जर्वे
21.	प्री मै. अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास तिलई

2011

(1)	(2)
22.	प्री मै. अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास पोड़ीदलहा
23.	पो. मै. अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास अकलतरा
24.	पो. मै. अनुसूचित जाति बालक छात्रावास अकलतरा
25.	प्री मै. अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास बलौदा
26.	पो. मै. अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास हरदी जर्वे
27.	प्री मै. अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास बुडगहन
28.	प्री मै. अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास पहरिया
29.	पो. मै. अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास चारपारा
30.	प्री मै. अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास लवसरा
31.	प्री मै. अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास बाराद्वार
32.	प्री मै. अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास जर्वे
33.	प्री मै. अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास भुईगांव
34.	प्री मै. अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास तनौद
35.	प्री मै. अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास ससहा
36.	पो. मै. अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास पामगढ़
37.	प्री मै. अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास चांपा
38.	प्री मै. अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास बिरा
39.	पो. मै. अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास चांपा
40.	प्री मै. अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास चोरिया
41.	प्री मै. अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास अफरीद
42.	प्री मै. अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास बिरा
43.	प्री मै. अनुसूचित जाति बालक छात्रावास पेण्डी
44.	प्री मै. अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास जैजैपुर
45.	प्री मै. अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास सलनी

---

(1)	(2)
46.	प्री मै. अनुसूचित जाति बालक छात्रावास ओडेकेरा
47.	प्री मै. अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास हसौद
48.	प्री मै. अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास डभरा
49.	प्री मै. अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास कोटमी
50.	प्री मै. अनुसूचित जाति बालक छात्रावास छपोरा
51.	प्री मै. अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास छपोरा
52.	पो. मै. अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास मालखरौदा
53.	प्री मै. अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास मालखरौदा

---

2011

## परिशिष्ट “सत्रह”

[ परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 08 (क्र. 77 ) के भाग (ख) एवं (ग) की जानकारी ]

## प्रपत्र “अ”

## फर्जी जाति प्रमाण-पत्र धारी शासकीय सेवक की सूची

क्र.	नाम	पदनाम	विभाग	अनुशंसा (निर्णय) दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्री पुरूषोत्तम पतवार (एस. टी.).	स्टोनोटायपिस्ट	सा. प्र. वि.	09-04-2002
2.	श्री भुवन डेकाटे (एस. टी.).	स्टोनोटायपिस्ट	सा. प्र. वि.	11-06-2006
3.	श्री प्रणीव कुमार निमजे (एस. टी.).	सहायक ग्रेड-2	सा. प्र. वि.	12-11-2006
4.	श्री डी. डी. बुरडे (एस. टी.).	शीघ्रलेखक	सा. प्र. वि.	1-8-2007
5.	श्री राजीव अहिरे (एस. सी.).	निज सचिव	सा. प्र. वि.	3-26-2007
6.	श्री आनंद मसीह (एस. टी.).	डिप्टी कलेक्टर	सा. प्र. वि.	2-5-2007
7.	श्री राजेन्द्र कुमार सोनकुसले (एस. टी.).	सहायक ग्रेड-1	सा. प्र. वि.	8-27-2007
8.	श्री अनुराग लाल (एस. टी.).	डिप्टी कलेक्टर	सा. प्र. वि.	5-26-2008
9.	श्री शंकरलाल डगला एवं पुत्र श्री सुरेश कुमार डगला (एस. टी.).	संयुक्त कलेक्टर/ पेट्रोल पंप डीलर.	सा. प्र. वि.	10-1-2011
10.	श्री होरीलाल मांझी (एस. टी.).	आई. टी. आई. प्रशिक्षक	तकनीकी शिक्षा	7-14-2008
11.	श्री राजेश लिव्हिंगस्टन (अजजा).	सहायक ग्रेड-1	सा. प्र. वि.	11-16-2009
12.	श्रीमती हेमलता एक्का (अजजा).	सहायक ग्रेड-1	सा. प्र. वि.	1-4-2010
13.	श्री महिपाल प्रसाद (अनुजा).	व्याख्याता	आ. जा. क.	07-06-02

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14.	श्रीमती गंगा गोयल (एस. टी.).	शिक्षिका	आ. जा. क.	01-24-2005
15.	श्री चन्द्रशेखर कोट्टीवार (अजजा).	उपायुक्त	आ. जा. क.	29-08-2005
16.	कु. रचना नायडू (अजजा).	व्याख्याता	आ. जा. क.	11-07-2005
17.	श्री गसतराम (अजजा).	सहायक शिक्षक	आ. जा. क.	03-07-2006
18.	कु. अनीमा विश्वास (एस. सी.).	सहायक ग्रेड-3	आ. जा. क.	04-12-2006
19.	श्री शंभुप्रसाद निषाद (एस. टी.).	व्याख्याता	आ. जा. क.	07-05-2007
20.	श्री अतुल अनुराग अर्थर (एस. टी.).	सहायक शिक्षक	आ. जा. क.	26-11-2007
21.	श्री सुकदेव प्रसाद (अजा).	उ. श्रे. शि.	आजाक	07-09-2009
22.	श्री एस. एन. राम (एस. टी.).	अधीक्षक	आजाक	9-22-2008
23.	श्री सुरेश कुमार कोष्टी (एस. टी.).	सहायक शिक्षक	आजाक	16-11-2009
24.	श्रीमती निशिबाला मसीह (एस. टी.).	सहायक श्रेणी-2	छ. ग. राज्य विद्युत मंडल भिलाई.	29-03-2010
25.	श्री विवेक कुमार याकूब (एस. टी.).	सहा. अभियंता	विद्युत विभाग	04-04-2005
26.	कु. निलिशा (एस. टी.).	सहा. अभियंता	विद्युत विभाग	04-04-2005
27.	कु. कीर्ति मसीह (एस. टी.).	सहा. अभियंता	विद्युत विभाग	04-04-2005
28.	कु. गीतांजली मानेकर (अजा).	कनिष्ठ अभियंता	विद्युत विभाग	01-02-2005
29.	कु. तृप्ती नागवंशी (अजा).	सहा. अभियंता	विद्युत विभाग	04-04-2005

2011

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
30.	कु. रूचि राव (एस. टी.).	सहायक अभियंता (चयनित)	विद्युत मण्डल	12-11-2007
31.	श्री सुदर्शन सिंह मैत्री (एस. टी.).	लिपिक	ग्रामीण बैंक	04-04-2005
32.	श्री यशवंत बी. सोमावार (एस. टी.).	सहायक प्रबंधक	भारतीय रिजर्व बैंक नागपुर (महाराष्ट्र).	04-12-2006
33.	श्रीमती जैसलीना मसीह (एस. टी.).	सहायक शिक्षिका	शिक्षा विभाग	10-09-2007
34.	श्री तुलसीराम धनकर (एस. टी.).	सहायक शिक्षक	शिक्षा विभाग	27-08-2007
35.	श्रीमती विमला बाई धनकर (एस. टी.).	सहायक शिक्षिका	शिक्षा विभाग	27-08-2007
36.	श्री जनकराम (एस. टी.).	सहा. शिक्षक	शिक्षा विभाग	24-10-2005
37.	श्रीमती प्रभारानी नायडू (अजा).	सहा. शिक्षिका	शिक्षा विभाग	08-03-2005
38.	श्री होशराम पटेल (एस. टी.).	व्याख्याता	शिक्षा विभाग	24-05-2005
39.	श्रीमती उर्मिला (एस. टी.).	सहायक शिक्षिका	शिक्षा विभाग	11-12-2006
40.	श्री नारायण प्रसाद साहू (एस. टी.).	उ. श्रे. शि.	शिक्षा विभाग	05-02-2011
41.	श्रीमती सलीना लिव्हिंगस्टन (एस. टी.).	सहायक शिक्षिका	शिक्षा विभाग	05-02-2011
42.	श्री हीरालाल कश्यप (एस. टी.).	सहायक शिक्षक	शिक्षा	23-07-2007
43.	श्रीमती मंजू टुडू (एस. टी.).	सहायक शिक्षिका	शिक्षा	23-07-2007
44.	श्री टेकराम (एस. टी.).	सहायक शिक्षक	शिक्षा	23-07-2007
45.	श्री विनय प्रकाश एक्का (एस. टी.).	ग्रंथालय सहायक	तकनीकी शिक्षा	26-03-2007

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
46.	श्री कैलाश धकाते (एस. टी.).	अनुसंधान सहायक	जल संसाधन विभाग	25-03-2009
47.	श्रीमती संध्यारानी सिंह (एस. टी.).	नि. श्रे. लि.	जल संसाधन विभाग	24-05-2005
48.	श्री रूपराम (एस. टी.).	उपयंत्री	जल संसाधन विभाग	11-12-2006
49.	श्री दिनेश कुमार भगोरिया (एस. टी.).	अनुविभागीय अधिकारी	जल संसाधन विभाग	08-01-2007
50.	श्री शिवकुमार धनकर (एस. टी.).	सहायक ग्रेड-3	जल संसाधन विभाग	10-12-2007
51.	श्रीमती रेखा खाण्डे (एस. सी.).	पर्यवेक्षक	महिला एवं बाल विकास	05-01-2005
52.	कु. रीता सिंह (एस. टी.).	पर्यवेक्षक	महिला एवं बाल विकास	24-05-2005
53.	श्रीमती रीना मसीह	स्टाफ नर्स	स्वास्थ्य विभाग (भारत सरकार).	29-08-2005
54.	डॉ. आर. के. सिंह (एस. टी.).	असिस्टेंट सर्जन	स्वास्थ्य विभाग	24-09-2007
55.	डॉ. कृष्ण कुमार हर्जपाल (एस. टी.).	डॉक्टर	स्वास्थ्य विभाग	07-06-2002
56.	श्री कांशीराम (एस. टी.).	औषधि संयोजक	आयुर्वेद चिकित्सा रायपुर.	27-08-2007
57.	श्री मथुरा प्रसाद (एस. टी.).	औषधि संयोजक	आयुर्वेद चिकित्सा रायपुर.	11-24-2008
58.	कु. सुनीता रेनाल्ड (एस. सी.).	शिक्षाकर्मी वर्ग-2	जिला पंचायत बिलासपुर.	10-09-2007
59.	कु. अनीता राय (एस. टी.).	शिक्षाकर्मी वर्ग-3	जिला पंचायत बिलासपुर.	23-07-2007
60.	श्रीमती सुचिता सिंह (एस. टी.).	शिक्षाकर्मी वर्ग-3	जिला पंचायत बिलासपुर.	10-09-2007
61.	श्रीमती अनिता सोम (एस. टी.).	शिक्षाकर्मी वर्ग-1	पंचायत विभाग	24-10-2005

2011

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
62.	श्री नरेश कुमार ध्रुववंशी (एस. टी.).	सहा. अभि. अधिकारी	लोक अभियोजन विभाग (गृहविभाग)	17-07-2006
63.	श्री दिलीप हेडाऊ (एस. टी.).	प्रबंधक	छ. ग. हस्त शिल्प विकास बोर्ड, रायपुर.	28-09-2006
64.	श्री गोविंद नारायण अण्डेवार (एस. टी.).	उपसंचालक (रेशम)	ग्रामोद्योग विभाग	25-09-2006
65.	श्री उमेश रायकवार (एस. टी.).	सुपरवाइजर	खादी ग्रामोद्योग बोर्ड	06-11-2006
66.	श्री गजानंद गोखे (एस. टी.).	सहायक निरीक्षक	ग्रामोद्योग	15-02-2009
67.	श्री विष्णुदास धकाते (एस. टी.).	सहायक संचालक	ग्रामोद्योग	16-02-2009
68.	श्री डी. एस. धकाते (एस. टी.).	सहा. संचालक	ग्रामोद्योग	28-04-2008
69.	श्री प्रेमलदास बघेल (एस. टी.).	उप संचालक	खादी ग्रामोद्योग	26-02-2007
70.	श्री गोपालदास कडा (एस. टी.).	सहायक संचालक	व्यापार एवं उद्योग	07-28-2008
71.	श्री सुनील कुमार सोनकुसरे (एस. टी.).	सहायक ग्रेड-2	ग्रामोद्योग विभाग	26-02-2007
72.	श्री दिनेश कुमार सोनकुसरे (एस. टी.).	कनिष्ठ रेशम निरीक्षक	ग्रामोद्योग विभाग	26-03-2007
73.	श्री श्रवण कुमार नुदनवार (एस. टी.).	कनिष्ठ रेशम निरीक्षक	ग्रामोद्योग	08-02-2010
74.	श्री रोहित कुमार पातर (एस. टी.).	सहायक निरीक्षक तकनीकी.	ग्रामोद्योग विभाग	22-06-2009
75.	श्री राजेन्द्र कुमार जपथापी (एस. टी.).	महाप्रबंधक	वाणिज्य एवं उद्योग	04-01-2010
76.	श्री निलेश कुमार भगोरिया (एस. टी.).	उपप्रबंधक	इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड नई दिल्ली.	08-01-2007
77.	श्री अविनाश सेंदूर (एस. टी.).	तकनीकी सहायक	निदेशक, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रायपुर.	10-09-2007

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
78.	श्री के. पी. मण्डल (एस. टी.).	प्राचार्य	केन्द्रीय विद्यालय संगठन मुंबई.	24-07-2007
79.	श्रीमती पुष्पलता डेकाटे (एस. टी.).	सहायक मत्स्य अधिकारी	कृषि (मछली पालन)	27-08-2007
80.	श्रीमती प्रमिला वस्त्रकार (एस. टी.).	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	कृषि	26-11-2007
81.	श्री पी. इलाराज (एस. सी.).	-	भिलाई इस्पात संयंत्र	07-06-2002
82.	श्री दीपक खापेकर (एस. टी.).	वरिष्ठ प्रबंधक	भिलाई इस्पात संयंत्र	04-01-2010
83.	श्री अमृत नंद (एस. टी.).	सहायक	भारतीय जीवन बीमा निगम.	27-08-2007
84.	श्रीकृष्णा राव (एस. टी.).	टी. टी. ई.	रेल्वे	12-11-2007
85.	श्री बीरबहादुर सिंह (एस. टी.).	सहायक यंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग.	26-11-2007
86.	श्री संजय डेकाटे (एस. टी.).	व्याख्याता	इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर.	26-11-2007
87.	श्री संजय सोमावार (एस. टी.).	तहसीलदार	राजस्व	07-04-2008
88.	श्री राम कुमार लोखण्डे (एस. सी.).	डिप्टी कलेक्टर (चयनित)	राजस्व	07-06-2002
89.	श्री जीवन लिव्हिंगस्टन (एस. टी.).	सहायक ग्रेड-2	राजस्व	16-11-2009
90.	श्री मोहनदास मानिकपुरी (एस. टी.).	उप वन क्षेत्रपाल	वन	26-05-2008
91.	कु. दिव्या गौतम	सहायक वन संरक्षक (सत्यापन)	वन	20-09-2011
92.	श्री कमल कुमार माहौर (एस. सी.).	अन्वेषक	आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग.	22-09-2008
93.	श्री विष्णुदास मानिकपुरी (एस. टी.).	सहायक सांख्यिकी अधिकारी.	आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग.	24-11-2008

2011

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
94.	श्री मदन मोहन खरवार (एस. टी.).	सहायक अभियंता	विद्युत सुरक्षा विभाग	20-10-2008
95.	श्रीमती प्रतिभा सोमावार (एस. टी.).	सहायक विक्रय कर अधिकारी	सेल्स टेक्स	07-04-2008
96.	कु. रंजीता सिंह (एस. टी.).	सेल्सगर्ल	अन्त्यवसायी विकास निगम.	7-06-2002
97.	श्री दशरथ डेकाटे (एस. टी.).	उपपुलिस अधीक्षक (से. नि.)	पुलिस	04-07-2008
98.	श्री मधुसूदन सिंह नाग (एस. टी.).	सत्यापन (चयनित)	पुलिस	16-11-2009
99.	श्री राकेश कुमार वर्मा (एस. सी.).	कार्यपालन अभियंता	लो. नि. वि.	10-11-2008
100.	कु. सुमंती टोप्पो (एस. टी.).	चयनित एस. आई.	गृह विभाग	24-11-2008
101.	डॉ. मनीष कुमार राय (एस. टी.).	रीडर	प. रवि. वि. वि. रायपुर.	29-03-2010 पुनः आदेश दिनांक 06-07-10.
102.	श्री शंकर कुमार सोनवानी (एस. सी.).	प्रबंधक	छ. ग. राज्य इण्डस्ट्रीयल डेवल. कार्पो. लि.	05-02-2011

## प्रपत्र “ब”

## फर्जी जाति प्रमाण-पत्र धारी शासकीय सेवक जिनकी सेवा समाप्त की गई

क्र.	नाम	पदनाम	विभाग	अनुशंसा (निर्णय) दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्री पुरूषोत्तम पतवार (एस. टी.).	स्टोनोटायपिस्ट	सा. प्र. वि.	09-04-2002
2.	श्री राजेश लिव्हिंगस्टन (अजजा).	सहायक ग्रेड-1	सा. प्र. वि.	11-16-2009
3.	श्रीमती गंगा गोयल (एस. टी.).	शिक्षिका	आ. जा. क.	01-24-2005
4.	श्री गसतराम (अजजा).	सहायक शिक्षक	आ. जा. क.	7-3-2006
5.	श्रीमती निशिबाला मसीह (एस. टी.).	सहायक श्रेणी-2	छ. ग. राज्य विद्युत मंडल भिलाई.	3-29-2010
6.	श्री विनय प्रकाश एक्का (एस. टी.).	ग्रंथालय सहायक	तकनीकी शिक्षा	3-26-2007
7.	श्री कैलाश धकाते (एस. टी.).	अनुसंधान सहायक	जल संसाधन विभाग	3-25-2009
8.	श्री निलेश कुमार भगोरिया (एस. टी.).	उपप्रबंधक	इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड नई दिल्ली.	1-8-2007
9.	श्री दीपक खापेकर (एस. टी.).	वरिष्ठ प्रबंधक	भिलाई इस्पात संयंत्र	1-4-2010

2011

## परिशिष्ट “अट्टारह”

[ परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 125) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

## प्रपत्र “अ”

प्रदेश में 2009 से दिनांक 23-11-2011 तक प्रस्तावित उत्पादन संयंत्रों हेतु निष्पादित एम. ओ. यू. की वर्षवार जानकारी

क्र.	कंपनी का नाम	एम. ओ. यू. की तिथि	क्षमता (मेगावाट में)	परियोजना स्थल/ जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>वर्ष 2009</b>				
1.	मेसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नई दिल्ली.	18-11-2009	1320	भादा जिला-जांजगीर-चांपा.
2.	मेसर्स सोना पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, रायपुर.	17-11-2009	1200	सलखान, मुरपार जिला-जांजगीर-चांपा.
3.	मेसर्स आर. एस. बी. प्राईवेट लिमिटेड, भुवनेश्वर.	18-11-2009	1400	बोडसरा, मरकाडीह, कापन जिला-जांजगीर-चांपा.
4.	मेसर्स कॉस्मोस स्पंज एण्ड पॉवर लिमिटेड, रायपुर.	17-11-2009	600	भैसामुड़ा जिला-कोरबा.
5.	मेसर्स टॉपवर्थ स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड, मुंबई.	01-10-2009	1260	ग्राम-सपनेल जिला-रायगढ़.
6.	मेसर्स कोरबा वेस्ट पावर कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली (विस्तार इकाई हेतु).	17-11-2009	600	ग्राम-छोटा भांडेर, बड़ा भांडेर, जिला-रायगढ़.
7.	मेसर्स एसकेएस पावर जनरेशन छत्तीसगढ़ लिमिटेड, मुंबई (विस्तार इकाई हेतु).	17-11-2009	600	ग्राम-बिंजकोट जिला-रायगढ़.
8.	मेसर्स जे. एल. डी. यवतमाल एनर्जी लिमिटेड, नागपुर.	17-11-2009	1200	जोबरो, हमीरपुर जिला-रायगढ़.
9.	मेसर्स एनटीपीसी, नई दिल्ली	12-07-2009	4000	लारा जिला-रायगढ़.
10.	मेसर्स अडानी माईनिंग प्राईवेट लिमिटेड, अहमदाबाद.	17-11-2009	1200	अंबिकापुर जिला-सरगुजा.
<b>वर्ष 2010</b>				
11.	मेसर्स डी.बी. पॉवर लिमिटेड, भोपाल (विस्तार इकाई हेतु).	10-05-2010	600	बड़ेदरहा जिला-जांजगीर-चांपा.
12.	मेसर्स मारुति थर्मल पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, रायपुर.	22-07-2010	100	नखीडीह जिला-जांजगीर-चांपा.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13.	मेसर्स श्याम इड्स पावर सोल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड, नई दिल्ली.	22-07-2010	440	ग्राम-शिवपुरी जिला-रायगढ़.
14.	मेसर्स शिव कोल बेनीफिकेशन एण्ड पावर प्राईवेट लिमिटेड, रायपुर.	22-07-2010	100	ग्राम-शिवपुरी जिला-रायगढ़.
15.	मेसर्स लैंको पावर लिमिटेड, हैदराबाद	07-05-2010	1320	पथाडी जिला-कोरबा.
16.	मेसर्स प्रूडेंट पॉवर एण्ड स्टील प्राईवेट लिमिटेड, रायपुर.	22-07-2010	350	कनकी, जोगीपाली जिला-कोरबा.
17.	मेसर्स वेल्सपन ऊर्जा इंडिया लिमिटेड, मुंबई.	23-07-2010	1320	कोकड़ी, गोबरी, मानिकचौरी भटचौरा तहसील मस्तुरी, जिला-बिलासपुर.
18.	मेसर्स भाटिया कोक एण्ड एनर्जी लिमिटेड, इन्दौरा.	24-07-2010	660	धोरपट्टा, भैंसबोड़, गोदी, किरारीगोदी तहसील बिल्हा, जिला-बिलासपुर.
19.	मेसर्स ओजोन स्टील एण्ड पावर लिमिटेड, कोलकता.	22-07-2010	350	भड़ोरा, तहसील मस्तुरी जिला-बिलासपुर.
20.	मेसर्स श्रीलक्ष्मी पावर लिमिटेड, कानपुर	22-07-2010	300	बिटकुली, पासिद, तहसील भाटापारा जिला-रायपुर.
21.	मेसर्स जय प्रकाश एसोसिएट्स, नई दिल्ली	24-07-2010	660	स्थल चयन प्रक्रिया में

**वर्ष 2011 में एम. ओ. यू. निष्पादित नहीं किए गए.**

## प्रपत्र “ब”

**प्रदेश में 2009 से दिनांक 23-11-2011 तक प्रस्तावित उत्पादन संयंत्रों हेतु आवंटित/  
अधिग्रहित शासकीय एवं निजी भूमि का विवरण**

(भूमि का क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

क्र. (1)	कंपनी का नाम (2)	निजी भूमि (3)	शासकीय भूमि (4)	कुल भूमि (5)	टिप्पणी (6)
1.	मेसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नई दिल्ली.	निरंक	निरंक	निरंक	आवेदन अप्राप्त
2.	मेसर्स सोना पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, रायपुर.	--	208.376	208.376	600 मेगावाट की पहली इकाई हेतु अधिग्रहित भूमि. दूसरी इकाई हेतु आवेदन प्रक्रिया में.
3.	मेसर्स आर. एस. बी. प्राईवेट लिमिटेड, भुवनेश्वर.	निरंक	निरंक	निरंक	आवेदन अप्राप्त
4.	मेसर्स कॉस्मोस स्पंज एण्ड पावर लिमिटेड, रायपुर.	निरंक	निरंक	निरंक	आवेदन अप्राप्त
5.	मेसर्स टॉपवर्थ स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड, मुंबई.	निरंक	निरंक	निरंक	आवेदन अप्राप्त
6.	मेसर्स कोरबा वेस्ट पावर कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली (विस्तार इकाई हेतु).	91.305	17.405	108.710	पहले चरण की 600 मेगावाट क्षमता की इकाई हेतु अधिग्रहित भूमि. दूसरी इकाई हेतु आवेदन प्रक्रिया में.
7.	मेसर्स एसकेएस पावर जनरेशन छत्तीसगढ़ लिमिटेड, मुंबई (विस्तार इकाई हेतु).	199.669	9.097	208.766	पहले चरण की 1200 मेगावाट क्षमता परियोजना हेतु अधिग्रहित भूमि. विस्तार इकाई हेतु आवेदन प्रक्रिया में.
8.	मेसर्स जे. एल. डी. यवतमाल एनर्जी लिमिटेड, नागपुर.	निरंक	निरंक	निरंक	आवेदन अप्राप्त
9.	मेसर्स एनटीपीसी, नई दिल्ली	निरंक	निरंक	निरंक	आवेदन जमा
10.	मेसर्स अडानी माईनिंग प्राईवेट लिमिटेड, अहमदाबाद.	निरंक	निरंक	निरंक	आवेदन जमा
11.	मेसर्स डी. बी. पॉवर लिमिटेड, भोपाल (विस्तार योजना हेतु).	93.462	29.224	122.686	पहले चरण की 1200 मेगावाट क्षमता की परियोजना हेतु  भूमि. विस्तार परियोजना हेतु आवेदन प्रक्रिया में.

अधिग्रहित

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12.	मेसर्स मारुति थर्मल पावर प्राईवेट लिमिटेड, रायपुर.	निरंक	निरंक	निरंक	आवेदन अप्राप्त
13.	मेसर्स श्याम इड्स पावर सोल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड, नई दिल्ली.	निरंक	निरंक	निरंक	आवेदन जमा
14.	मेसर्स शिव कोल बेनीफिकेशन एण्ड पावर प्राईवेट, लिमिटेड, रायपुर.	निरंक	निरंक	निरंक	आवेदन जमा
15.	मेसर्स लैंको पावर लिमिटेड, हैदराबाद (विस्तार परियोजना हेतु).	निरंक	निरंक	निरंक	आवेदन अप्राप्त
16.	मेसर्स प्रूडेंट पावर एण्ड स्टील प्राईवेट लिमिटेड, रायपुर.	निरंक	निरंक	निरंक	आवेदन जमा
17.	मेसर्स वेल्सपन ऊर्जा इण्डिया लिमिटेड, मुम्बई.	निरंक	निरंक	निरंक	आवेदन जमा
18.	मेसर्स भाटिया कोक एण्ड एनर्जी लिमिटेड, इन्दौर.	निरंक	निरंक	निरंक	आवेदन अप्राप्त
19.	मेसर्स ओजोन स्टील एण्ड पावर लिमिटेड, कोलकता.	निरंक	निरंक	निरंक	आवेदन अप्राप्त
20.	मेसर्स श्रीलक्ष्मी पावर लिमिटेड, कानपुर.	निरंक	निरंक	निरंक	आवेदन जमा
21.	मेसर्स जय प्रकाश एसोसिएट्स, नई दिल्ली.	निरंक	निरंक	निरंक	आवेदन अप्राप्त

## परिशिष्ट “उन्नीस”

[ परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 129) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

क्र.	वर्ष	लघु सिंचाई योजना का नाम	योजना की लागत (लाख में)	योजना की वर्तमान स्थिति	लाभान्वित ग्रामों का नाम	सिंचाई रकबा का लक्ष्य (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	2009-10	चेकडेम निर्माण कपाटखोल (कनफाड़) वि. खं. छुरा.	5.00	पूर्ण	कनफाड़	20.80
2.	2009-10	चेकडेम निर्माण कुम्भपानी (मड़ेली) वि. खं. छुरा.	5.00	पूर्ण	मड़ेली	20.40
<b>योग :-</b>			<b>10.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41.20</b>
1.	2010-11	चेकडेम निर्माण कुड़ेरादादर वि. खं. छुरा.	5.00	पूर्ण	कुड़ेरादादर	20.40
2.	2010-11	चेकडेम निर्माण भरूवामुड़ा वि. खं. छुरा.	5.00	पूर्ण	भरूवामुड़ा	19.20
3.	2010-11	चेकडेम निर्माण भेजराडीह वि. खं. गरियाबंद.	5.00	पूर्ण	भेजराडीह	8.50
4.	2010-11	चेकडेम निर्माण बुढ़ार वि. खं. मैनपुर.	5.00	पूर्ण	बुढ़ार	9.80
5.	2010-11	चेकडेम निर्माण कोदोभाठा वि. खं. मैनपुर.	5.00	पूर्ण	कोदोभाठा, छुईहा.	8.40
6.	2010-11	चेकडेम निर्माण बम्हनी वि. खं. गरियाबंद.	5.00	पूर्ण	बम्हनी	14.80
<b>योग :-</b>			<b>30.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>81.10</b>
1.	2010-11	टोईयामुड़ा में स्टॉपडेम निर्माण	25.00	पूर्ण	टोईयामुड़ा	26.70
2.	2010-11	मातरबाहरा स्टॉपडेम निर्माण	30.00	पूर्ण	मातरबाहरा	61.20
3.	2010-11	नाला डायवर्सन कुर्सीया बरछा	24.00	पूर्ण	कुर्सीया बरछा	28.74
1.	2011-12	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
<b>योग -</b>			<b>79.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>116.64</b>
<b>महायोग -</b>			<b>119.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>238.94</b>

## अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट “बीस”

[ अतारांकित प्रश्न संख्या 06 (क्र. 23) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

प्रपत्र “अ”

### बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामों में स्वीकृत नलजल योजना/स्थल जल योजना

क्र.	ग्राम का नाम	विकासखंड	लागत (रु. लाख में)	स्वीकृति का दिनांक	कार्य प्रारंभ दिनांक	पूर्ण/अपूर्ण	टीप
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	हसदा आवर्धन योजना	बेरला	24.99	244/मुअ/रा/ 17-03-08.	17-12-08	पूर्ण	
2.	रांका झलमला नलजल योजना.	बेरला	24.99	245/मुअ/रा/ 17-03-08.	13-10-08	पूर्ण	
3.	आनंदगांव नलजल योजना	बेरला	24.99	264/मुअ/रा/ 25-03-08.	30-09-08	पूर्ण	
4.	भालेसर नलजल योजना	बेरला	22.98	266/मुअ/रा/ 25-03-08.	30-09-08	पूर्ण	
5.	बारगांव आवर्धन नलजल योजना.	बेरला	24.96	305/मुअ/रा/ 04-10-08.	16-09-11	अपूर्ण	मूल जल प्रदाय योजना से जल प्रदाय हो रहा है.
6.	कुसमी नलजल योजना	बेरला	24.93	304/मुअ/रा/ 04-10-08. एफ-9-3-70/ 34-2रा/1229/ 21-04-10 दिनांक 05-08-2011.	21-04-10	अपूर्ण	टंकी प्रगति पर 80% पूर्ण सीधे पंपिंग से जल प्रदाय चालू है.
7.	भिंभौरी नलजल योजना	बेरला	7.00	214/मुअ/रा/ 25-10-10.	14-03-11	पूर्ण	
8.	सिलघट आवर्धन नलजल योजना.	बेरला	9.99	380/मुअ/रा/ 12-10-11.	निविदा प्रक्रिया में.	अपूर्ण	
9.	उफरा स्थल जल योजना	बेरला	4.50	207/मुअ/रा/ 25-10-10.	24-03-11	पूर्ण	
10.	मुड़पारकला स्थल जल योजना.	बेरला	5.00	206/मुअ/रा/ 25-10-10.	16-03-11	अपूर्ण	टेस्टिंग चल रहा है.

2011

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11.	पतोरा स्थल जल योजना	बेरला	5.00	205/मुअ/रा/ 25-10-10.	24-03-11	पूर्ण	
12.	पहंदा स्थल जल योजना	बेरला	4.50	204/मुअ/रा/ 25-10-10.	16-03-11	पूर्ण	
13.	नवागांव स्थल जल योजना.	बेरला	6.00	324/मुअ/रा/ 29-09-11.	निविदा प्रक्रिया में.	अपूर्ण	
14.	चण्डी स्थल जल योजना	बेरला	8.50	323/मुअ/रा/ 29-09-11.	निविदा प्रक्रिया में.	अपूर्ण	
15.	सिंगनदेही स्थल जल योजना.	बेरला	6.60	322/मुअ/रा/ 29-09-11.	निविदा प्रक्रिया में.	अपूर्ण	
16.	हरदी स्थल जल योजना	बेरला	9.99	321/मुअ/रा/ 29-09-11.	निविदा प्रक्रिया में.	अपूर्ण	
17.	मोहरेंगा नलजल योजना	धमधा	22.05	182/मुअ/रा/ 07-08-08.	28-02-09	पूर्ण	
18.	ठेंगाभाठ स्थल जल योजना	धमधा	5.00	210/मुअ/रा/ 25-10-10.	21-04-11	अपूर्ण	
19.	मोहलई स्थल जल योजना	धमधा	4.50	208/मुअ/रा/ 25-10-10.	14-3-11	अपूर्ण	
20.	जेवरा नलजल योजना	बेमेतरा	13.87	283/मुअ/रा/ 24-09-08.	16-11-10	अपूर्ण	
			12.25	5537/12वें वित्त आयोग/दुर्ग दिनांक 31-03-10.			
21.	मोहलई नलजल योजना	बेमेतरा	7.22	22/मुअ/रा/ 24-06-09.	29-03-10	अपूर्ण	टेस्टिंग चल रहा है.
22.	नवागांव नलजल योजना	बेमेतरा	9.64	22/मुअ/रा/ 24-06-09.	26-03-10	अपूर्ण	टेस्टिंग चल रहा है.
23.	डुण्डा नलजल योजना	बेमेतरा	8.91	22/मुअ/रा/ 24-06-09.		पूर्ण	पुरानी योजना रु. 10.73 लाख वर्ष 2001 में स्वीकृत

थी.

जिसे पूर्ण कर लिया गया है. विभाग द्वारा 6 महिने चलाया गया. ग्रा. पं. द्वारा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
से							हस्तांतरण नहीं लेने बंद है. इसलिए खारे पानी के अंतर्गत स्वीकृत नये योजना में कार्य प्रारंभ नहीं किया गया.
24.	फरी स्थल जल योजना	बेमेतरा	7.00	227/मुअ/रा/ 28-10-10.	14-03-11	अपूर्ण	

## प्रपत्र “ब”

## बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत नगर पंचायतों में स्वीकृत नलजल योजना

क्र.	नगर का नाम	विकासखंड	लागत (रु. लाख में)	स्वीकृति का दिनांक	कार्य प्रारंभ दिनांक	पूर्ण/अपूर्ण	टीप
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	बेरला	बेरला	137.50	पृ. क्र. 956/एफ/ 10-3-36/08/ 34-2/01 रायपुर दिनांक 29-03-08	04-09-08	अपूर्ण	अस्थाई विद्युत कनेक्शन लेकर जल प्रदाय प्रारंभ.

## परिशिष्ट “इक्कीस”

[ अतारांकित प्रश्न संख्या 12 (क्र. 84) के भाग (ख) एवं (ग) की जानकारी ]

## वित्तीय वर्ष 2010-11 में रु. 05 लाख से अधिक बकायादार औद्योगिक उपभोक्ताओं की जिलेवार नाम पता सहित जानकारी

क्र.	उपभोक्ता का नाम एवं पता	बकाया राशि (रुपये में)	विद्युत विच्छेदन की स्थिति
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>जिला-रायपुर</b>			
1.	मे. वरूण स्टील इण्ड. भनपुरी रायपुर	6909659	संयोजित
2.	मे. श्वेत केमिकल, गुमा रायपुर	839159	विच्छेदित
3.	मे. विन्ध्या आयरन एंड स्टील प्रा. लि. ग्राम टांडा, रायपुर	3994716	विच्छेदित
4.	मे. अन्नपूर्णा मेलियेबल सरोरा उरला, रायपुर	67020155	विच्छेदित
5.	मे. राजेन्द्र स्टील सिलतरा, रायपुर	137350488	विच्छेदित
6.	मे. निकिता कास्टिंग उरला, रायपुर	17750423	विच्छेदित
7.	मे. सीसीआई मांडर फैक्ट्री उरला, रायपुर	22812113	विच्छेदित
8.	मे. स्टैण्डर्ड फेरो एलायस भनपुरी रायपुर	818585	विच्छेदित
9.	मे. स्टैण्डर्ड इस्पात भनपुरी रायपुर	15252040	विच्छेदित
10.	मे. हनुमान माइन्स उरला रायपुर	2886824	विच्छेदित
11.	मे. महाकौशल रिरोलिंग, भनपुरी उरला रायपुर	1265439	विच्छेदित
12.	मे. ओसवाल इस्पात, टाटीबंध रायपुर	1265901	विच्छेदित
13.	मे. एम. जी. रोलिंग मिल, गोगांव रायपुर	506481	विच्छेदित
14.	मे. स्वास्तिक उद्योग, भनपुरी रायपुर	686908	विच्छेदित
15.	मे. बी. के. हाइजिन प्रोडक्टर्स उरला, रायपुर	2635659	विच्छेदित
16.	मे. हिन्दुस्तान स्टील रोलिंग, रिंग रोड नं-2 गोदवारा रायपुर	2298994	विच्छेदित
17.	मे. इनावा स्टील कन्हेरा रोड उरला रायपुर	5569625	विच्छेदित
18.	मे. साल उद्योग भनपुरी रायपुर	3923987	विच्छेदित
19.	मे. रायपुर स्टील रोलिंग मिल उरला रायपुर	711463	विच्छेदित
20.	मे. रायपुर स्टील मोल्डिंग उरला रायपुर	3264301	विच्छेदित
21.	मे. सिंधानिया स्टील लिमि. उरला रायपुर	3227521	विच्छेदित
22.	मे. श्यामा रामा टाटीबंध रायपुर	15187728	विच्छेदित
23.	मे. एलायड स्टील डूमर तालाब रायपुर	8531680	विच्छेदित
24.	मे. सेन्चुरी सीमेण्ट बैकुण्ठ	2515046	संयोजित
25.	मे. श्री बालाजी स्टोन इंडस्ट्रीस धनसूली तिल्दा	547546	संयोजित
26.	मे. इंडो लहरी बायो पावर लिमि. जरोदा	5432808	संयोजित
27.	मे. साई बाबा राइस मिल पा. लिमि. तिल्दा	1329515	संयोजित
28.	मे. अंबिका एग्री धरसीवा	2046061	संयोजित
29.	मे. आर. के. राइस टेक दोन्देकला	784548	संयोजित
30.	मे. कृष्णा राइस मिल तिल्दा, नेवरा	809271	संयोजित
31.	मे. हर्षा राइस मिल खरोरा	1374479	संयोजित

(1)	(2)	(3)	(4)
32.	मे. बांके बिहारी राइस मिल राजिम	1415066	संयोजित
33.	मे. रिकी आइल एक्सट्रांसन अभनपुर, न. राजिम	540440	संयोजित
34.	मे. सुरेश इंड. तिल्दा, नेवरा	1138691	संयोजित
35.	मे. बी. एस. बी. के. लिमि. मुर्दा	1222878	विच्छेदित
36.	मे. आदित्या सिमेंट खैरवाही सिमगा	3588715	संयोजित
37.	मेसर्स गुडावाला प्लास्टिक 351 औद्योगिक क्षेत्र उरला रायपुर	650423	विच्छेदित
38.	मे. कैलाश राइस मिल प्रो. विनोद कुमार जैन अभनपुर	833568	असंयोजित
<b>जिला-महासमुंद</b>			
39.	महामाया एगोटेक ग्राम-साराडीह	2946810	संयोजित
40.	जिंदल इलेक्ट्रीसिटी जनरेशन प्रा. लि. मौलीगुड़ा, बागबहारा	3134310	विच्छेदित
<b>जिला-दुर्ग</b>			
41.	मे. गौरी इस्पात प्रा. लि. प्लॉट नं. 44-45 ए, जोन-सी, रसमड़ा	31028000	विच्छेदित
42.	बत्रा आयरन एवं स्टील जी. ई. रोड, कुम्हारी	650000	असंयोजित
43.	बी. के. सर्जिकल औद्योगिक क्षेत्र भिलाई	2100792	संयोजित
44.	केडिया डिस्टीलरीज भिलाई	4813749	विच्छेदित
45.	ब्राइट इस्पात औद्योगिक क्षेत्र भिलाई	667611	विच्छेदित
46.	छत्तीसगढ़ स्टील कॉस्टिंग औद्योगिक क्षेत्र भिलाई	1980477	विच्छेदित
47.	लोटे इण्ड. औद्योगिक क्षेत्र भिलाई	1807017	विच्छेदित
48.	कनकई स्टील औद्योगिक क्षेत्र भिलाई	12856276	विच्छेदित
<b>जिला-बिलासपुर</b>			
49.	एम. पी. एलॉय कास्टिंग लि. तिफरा, बिलासपुर	2847705	विच्छेदित
50.	बिलासपुर स्पिनिंग मिल, लालखदान, तोरवा	6992895	विच्छेदित
51.	बिलासपुर कस्टिंग लि. सिरगिट्टी	12076886	विच्छेदित
52.	इंडियन स्पेशिलिटी फे्ट्स लि. यूनिट-1 सिरगिट्टी बिलासपुर	656074	विच्छेदित
53.	इंडियन स्पेशिलिटी फे्ट्स लि. यूनिट-2 सिरगिट्टी बिलासपुर	673446	विच्छेदित
54.	भास्कर इस्पात प्रा. लि. सिरगिट्टी, बिलासपुर	1997817	विच्छेदित
55.	सूर्या एलॉय इंडस्ट्रीज, सिरगिट्टी बिलासपुर	9387197	विच्छेदित
56.	श्री राधे इंडस्ट्री, सिलपहरी, बिलासपुर	986976	विच्छेदित
57.	राजा इस्पात प्रा. लि., बिलासपुर	606760	विच्छेदित
58.	ऋषि आयरन एवं स्टील प्रा. लिमि. तिफरा, बिलासपुर	2243647	संयोजित
59.	एल. एम. जेड. एनर्जी लिमिटेड, सीपत, बिलासपुर	2204748	असंयोजित
60.	शिवराम इण्ड. बिल्हा	543701	असंयोजित
<b>जिला-जांजगीर-चांपा</b>			
61.	मॉ बम्लेश्वरी पेड्डी प्रोसेसर इण्डस्ट्रीज अकलतरी	609287	विच्छेदित
62.	मेसर्स शोशौला पॉवर एण्ड इंजीनियरिंग प्रा. लिमि., सोठी	1149391	विच्छेदित
63.	सी. सी. आई. अकलतरा	131117463	विच्छेदित
<b>जिला-कोरबा</b>			
64.	बालको स्मेल्टर, प्लान्ट, बालको	97399690	संयोजित

(1)	(2)	(3)	(4)
<b>जिला-रायगढ़</b>			
65.	अम्बिका इस्पात प्रा. लिमि., तराईमाल, रायगढ़	929015	विच्छेदित
66.	मेसर्स मोहन जुट मिल, सारंगढ़ रोड, रायगढ़	718380	विच्छेदित
67.	मेसर्स जगदम्बा स्ट्रक्चरल प्रा. लिमि., जोरापाली रायगढ़	1118358	संयोजित
68.	द मैनेजर, रायगढ़ जुट एण्ड टैक्सटाईल्स मिल, सारंगढ़ रोड, रायगढ़	10423334	विच्छेदित
69.	मेसर्स सेन्ट्रल बैंग कंपनी, सारंगढ़ रोड, उड़ीसा रोड, रायगढ़	523877	विच्छेदित
70.	मेसर्स स्टेण्डर्ड क्रोम लिमि., जोरापाली, बरमुड़ा, रायगढ़	396868740	विच्छेदित
71.	मेसर्स पशुपतिनाथ रोलिंग मिल, सराईपाली रायगढ़	1068785	विच्छेदित
72.	मेसर्स राधारानी मिनरल्स, रायगढ़	2309950	असंयोजित
73.	मेसर्स गणेश फेरो, जोरापाली, रायगढ़	5603632	विच्छेदित
74.	मेसर्स केलकर प्रोडक्ट (प्रा.) लिमि., भूपदेवपुर, रायगढ़	3043611	विच्छेदित
75.	द्र प्रेसिडेंट व्ही. एस. एस. पर्णीगांव, रायगढ़	707654	विच्छेदित
76.	मेसर्स वैष्णव सिमेंट, दरामुड़ा, रायगढ़	1263504	विच्छेदित
77.	मेसर्स रश्मि रोलिंग, खरसिया, रायगढ़	599581	विच्छेदित
78.	मेसर्स भगवती स्टील एण्ड बी रॉड, भगवानपुर, रायगढ़	847586	विच्छेदित
79.	मेसर्स छत्तीसगढ़ आक्सीजन, रायगढ़	611173	संयोजित
80.	मेसर्स बालाजी ग्रामोद्योग, टिमरलगा, रायगढ़	750878	विच्छेदित
<b>जिला-जशपुर</b>			
81.	श्री युद्धवीर सिंह जुदेव, रायकेरा, रायगढ़	736023	विच्छेदित
<b>जिला-राजनांदगांव</b>			
82.	मेसर्स राजनांदगांव पेपर मिल ग्राम सांकरा	1463605	संयोजित
83.	मेसर्स अरिहंत रॉकवूल ग्राम बाकल	2876340	विच्छेदित
84.	मेसर्स सुरेन्द्र राठी ग्राम हैदलकोड़ो	1073570	विच्छेदित
85.	मे. रायपति पॉवर जनरेशन ग्राम ठाकुरटोला	4689380	संयोजित
86.	मे. राग स्टील ग्राम टेड़ेसरा	7698734	विच्छेदित
<b>जिला-जगदलपुर</b>			
87.	महाप्रबंधक, एनएमडीसी डिपो 11 बी, हिलटाप किरन्दुल	1086140	असंयोजित

## परिशिष्ट "बाईस"

[ अतारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 103) के भाग (क) की जानकारी ]

## ग्रामवार कृषकों की सूची तहसील-बागबाहरा

क्रमांक (1)	ग्राम का नाम (2)	कृषक का नाम (3)
1.	गांड़ाघाट	धनसिंह/साधुराम
2.	—, —	भगताराम/मोहन
3.	नवागांव	मोहन/लोकनाथ
4.	—, —	पुरुषोत्तम/लोकनाथ
5.	गुलझर	बालाराम/सोनू
6.	—, —	अमेरिकाबाई/किशननाथ
7.	दाईजबांधा	नाथूराम/गंगाराम
8.	—, —	चन्द्रशेखर/रमेश
9.	पड़कीपाली	नरोत्तम/मोतीराम
10.	—, —	जुगरूराम/इतवारी
11.	रोड़ा	धरमसिंह/नम्मूराम
12.	—, —	तुलसीराम/साखाराम
13.	बेलर	पूनमचन्द/लच्छीराम
14.	—, —	गोपीराम/सियाराम
15.	टेका	शोभाराम/बिटिंग
16.	—, —	सुषेसिंह/बिटिंग
17.	खेमड़ा	गणेशराम/खानसिंह
18.	—, —	धरमसिंह/केशोराम
19.	जुनवानी खुर्द	बिजेलाल/धनसिंह
20.	—, —	रामाधार/रामकिशुन
21.	कोसमी	शिवकुमार/पोखन
22.	—, —	घनश्याम/बिरसिंग
23.	—, —	रविदास/पुरुषोत्तम
24.	—, —	लिखन/साखाराम
25.	दाईजबांधा	मनकर/रामू
26.	—, —	रूपसिंह/हीरालाल
27.	गुलझर	उदेराम/जुगरूराम
28.	—, —	ईतवारी/सुधू
29.	हिच्छा	अमोली/भगत
30.	—, —	दीनदयाल/बुधराम
31.	—, —	राही/लखन
32.	—, —	शिवकुमार/अनवर

## ग्रामवार कृषकों की सूची तहसील-पिथौरा

1.	बामहनपुरी	मयाराम/गोपालसिंह
2.	—, —	लखेराम/किर्तीराम
3.	चुरूपाली	नरसिंह/मेघनाथ

(1)	(2)	(3)
4.	चुरूपाली	धनसाय/धरमसिंह
5.	डोंगाझर	हेतराम/तिरीथराम
6.	—,,—	घनसाय/मानसाय
7.	राजसवैया खुर्द	टीकमसिंह/हीराराम
8.	—,,—	चन्द्रशेखर/धनेशराम
9.	सपोस	गणेशराम/सखाराम
10.	—,,—	राधे/जगमोहन
11.	बेलडीह	विनोद/चन्द्रमणी
12.	—,,—	विनोद/चन्द्रमणी
13.	सपोस	जमुनाबाई/नवरंग
14.	—,,—	पंचराम/बखरिया
15.	सोनासिल्ली	झंगालाल/जोहन
16.	—,,—	ओमप्रकाश/तुलसी

## परिशिष्ट "तेईस"

[ अतारंकित प्रश्न संख्या 16 (क्र. 107) के भाग (क), (ख) एवं (ग) की जानकारी ]

## 31 अक्टूबर 2011 की स्थिति में उरला एवं सिलतरा क्षेत्र के उद्योगों के विरुद्ध राशि रु. 01 लाख से अधिक बकाया विद्युत देयकों की जानकारी एवं की गई कार्यवाही का विवरण

क्र.	उपभोक्ता का नाम एवं पता	बकाया राशि (31-10-2011 की स्थिति में)	बकाया रहने की तिथि	वसूली हेतु की गई कार्यवाही
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मे. अन्नपूर्णा मेलीयेबल उरला, रायपुर	69656380.00	अक्टूबर 08	उपभोक्ता द्वारा एएआईएफआर में प्रकरण क्र. 14693 दायर किया गया है. अंतिम निर्णय लंबित है.
2.	मे. राजेन्द्र स्टील सिलतरा	137358468.00	नवंबर 97	सी फार्म जारी किया गया.
3.	मे. निकिता कास्टिंग उरला रायपुर	17750423.00	1996	सी फार्म जारी किया गया.
4.	मे. परफेक्ट प्लास्टिक उरला, रायपुर	318085.00	1993	सी फार्म जारी किया गया.
5.	मे. हनुमान माइनर्स उरला रायपुर	2886824.00	अप्रैल-2004	सी फार्म जारी किया गया.
6.	मे. राजेश रिरोलर्स, उरला रायपुर	107088.00	1997	सी फार्म जारी किया गया.
7.	मे. स्टेप्स इन्टरप्राइजेस, उरला रायपुर	339185.00	दिस-96	सी फार्म जारी किया गया.
8.	मे. महाकौशल इंजिनियरिंग एण्ड कान्ट्रेक्टरर्स, उरला रायपुर.	322966.00	अप्रैल-97	सी फार्म जारी किया गया.
9.	मे. पारस इस्पात लि. उरला रायपुर	242281.00	मई-97	सी फार्म जारी किया गया.
10.	मे. बी.के. हाइजिन प्रोडक्ट उरला, रायपुर.	2635659.00	1996	उच्च न्यायालय में प्रकरण क्र. डब्ल्यू पी 2805/1993 लंबित है.
11.	मे. महामाया स्पीनटेक्स प्रा.लि., उरला रायपुर.	408429.00	2007	सी फार्म जारी किया गया.
12.	मे. द्रव्या इण्डस्ट्रियल केमिकल, उरला रायपुर.	166720.00	जून-99	सी फार्म जारी किया गया.
13.	मे. रायपुर स्टील मोल्डिंग उरला, रायपुर	3264300.00	जून-92	सी फार्म जारी किया गया.
14.	मे. सिंघानिया स्टील लिमि., उरला रायपुर	3227521.00	जून-96	सी फार्म जारी किया गया.
15.	मेसर्स अजय मेटल कंटेनर 374 औद्योगिक क्षेत्र उरला.	112108.00	जनवरी 1989	सी फार्म जारी किया गया.
16.	मेसर्स गुडावाला प्लास्टिक 351 औद्योगिक क्षेत्र उरला.	650423.00	जनवरी 1998	सी फार्म जारी किया गया.

## परिशिष्ट “चौबीस”

[ अतारांकित प्रश्न संख्या 18 (क्र. 119) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

## प्रपत्र “अ”

विधान सभा क्षेत्र कसडोल के विकासखंड कसडोल, पलारी एवं बलौदाबाजार के अंतर्गत आर.आई. सर्किल लवन में संचालित अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रावास/आश्रमों की जानकारी

क्र. (1)	छात्रावास/आश्रम का नाम (2)
<b>1.</b>	<b>विकासखण्ड-कसडोल</b>
1.	पो. मै. अनु. जनजाति बालक छात्रा., कसडोल
2.	पो. मै. अनु. जनजाति कन्या छात्रा., कसडोल
3.	प्री. मै. अनु. जनजाति बालक छात्रा., कसडोल
4.	प्री. मै. अनु. जनजाति कन्या छात्रा., कसडोल
5.	प्री. मै. अनु. जनजाति बालक छात्रा., कटगी
6.	प्री. मै. अनु. जनजाति बालक छात्रा., बोरसी
7.	प्री. मै. अनु. जनजाति बालक छात्रा., असनीद
8.	प्री. मै. अनु. जनजाति बालक छात्रा., बल्दाकछार
9.	प्री. मै. अनु. जाति बालक छात्रा., कसडोल
10.	अनुसूचित जनजाति कन्या आश्रम, कसडोल
<b>2.</b>	<b>विकासखण्ड-पलारी</b>
11.	पो. मै. अनु. जाति बालक छात्रा., पलारी
12.	पो. मै. अनु. जाति कन्या छात्रा., पलारी
13.	प्री. मै. अनु. जाति बालक छात्रा., पलारी
14.	प्री. मै. अनु. जाति कन्या छात्रा., पलारी
15.	अनुसूचित जाति कन्या आश्रम, पलारी
16.	अनुसूचित जाति कन्या आश्रम, देवसुन्द्रा
<b>3.</b>	<b>बलौदाबाजार ( आर.आई.सर्किल लवन )</b>
17.	प्री. मैट्रिक अनु. जाति बालक छात्रा., मरदा-(कोयदा)
18.	प्री. मैट्रिक अनु. जाति बालक छात्रावास, धारासिंव
19.	प्री. मैट्रिक अनु. जाति कन्या छात्रावास, लवन
20.	प्री. मैट्रिक अनु. जाति बालक छात्रावास, लवन
21.	प्री. मैट्रिक अनु. जनजाति बालक छात्रावास, लवन

प्रपत्र 'ब'

विधान सभा क्षेत्र कसडोल के विकासखंड कसडोल, पलारी एवं बलौदाबाजार के अंतर्गत आर.आई. सर्किल लवन में संचालित अनुसूचित जाति/जनजाति आश्रमों में स्वीकृत पदों का विवरण

क्र.	छात्रावास/आश्रम का नाम	पदों का विवरण												रिमाक		
		प्रधान पाठक/सह अधीक्षक		उच्च श्रेणी शिक्षक/ शि.क. वर्ग-2		सहायक शिक्षक/ शि.क. वर्ग-3		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी		पूर्णकालीन स्वीपर						
		स्वीकृत (3)	रिक्त (4)	स्वीकृत (6)	रिक्त (7)	स्वीकृत (9)	रिक्त (10)	स्वीकृत (12)	रिक्त (11)	स्वीकृत (13)	रिक्त (14)	स्वीकृत (15)	रिक्त (16)		स्वीकृत (17)	रिक्त (18)
<b>विकासखण्ड-कसडोल</b>																
1.	अनु. जनजाति कन्या आश्रम, कसडोल.	1	-	2	2	-	1	2	-	4	3	1	1	-	1	एक सहा.शि. अतिशेष
<b>विकासखण्ड-पलारी</b>																
2.	अनु. जाति कन्या आश्रम, पलारी.	1	-	-	-	-	3	3	-	5	4	1	1	-	1	आश्रम अधीक्षिका के पद पर शि.क. वर्ग-2 कार्यरत है
3.	अनु. जाति कन्या आश्रम, देवसुन्द्रा.	1	1	0	-	-	3	3	-	5	4	1	1	-	1	-
<b>योग</b>		<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>

## प्रपत्र "स"

विधान सभा क्षेत्र कसडोल के विकासखंड कसडोल, पलारी एवं बलौदाबाजार के अंतर्गत आर.आई. सर्किल लवन में संचालित अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रावास-आश्रमों के भवनों की स्थिति की जानकारी

स्वयं के भवन में संचालित छात्रावास/आश्रम

क्र. (1)	छात्रावास/आश्रमों का नाम (2)
1.	<b>विकासखण्ड-कसडोल</b>
	1. प्री. मै. अनु. जनजाति बालक छात्रा., कसडोल
	2. प्री. मै. अनु. जनजाति बालक छात्रा., कटगी
	3. प्री. मै. अनु. जनजाति बालक छात्रा., बोरसी
	4. प्री. मै. अनु. जाति बालक छात्रा., कसडोल
	5. अनु. जनजाति कन्या आश्रम, कसडोल
2.	<b>विकासखण्ड-पलारी</b>
	1. प्री. मै. अनु. जाति बालक छात्रा., पलारी
	2. अनु. जाति कन्या आश्रम, पलारी
	3. अनु. जाति कन्या आश्रम, देवसुन्द्रा
3.	<b>विकासखण्ड-बलौदाबाजार ( आर.आई. सर्किल लवन )</b>
	1. प्री. मैट्रिक अनु. जाति बालक छात्रावास, मरदा (कोयदा)
	2. प्री. मैट्रिक अनु. जाति बालक छात्रावास, लवन
	3. प्री. मैट्रिक अनु. जनजाति बालक छात्रावास, लवन

परिशिष्ट "पच्चीस"

[ अतारंकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 122) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

क्र.	अधिकारी का नाम	पद का नाम	पदस्थापना का दिनांक	नियुक्ति का आधार	वित्तीय/अपील सुनने का अधिकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्री सरजियस मिंज, (सेवानिवृत्त भा.प्र.से.)	मुख्य सूचना आयुक्त	01-04-2011	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 (3) के आधार पर.	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के तहत अपील सुनने का अधिकार है. उन्हें वित्तीय अधिकार नहीं है.
2.	श्री शिव कुमार तिवारी (सेवानिवृत्त भा.प्र.से.)	राज्य सूचना आयुक्त	28-06-2011	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 (3) के आधार पर.	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के तहत अपील सुनने का अधिकार है. उन्हें वित्तीय अधिकार नहीं है.
3.	श्री शिव राज सिंह (सेवानिवृत्त भा.प्र.से.)	उपाध्यक्ष, राज्य योजना मण्डल एवं मुख्यमंत्री के सलाहकार	01-06-2010	राज्य योजना मण्डल में उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने के कारण.	वित्तीय एवं अपील सुनने का अधिकार नहीं है.
4.	सुरेन्द्र कुमार बेहार (सेवानिवृत्त भा.प्र.से.)	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, रायपुर.	05-05-2011	श्री बेहार के कार्य अनुभव एवं ज्ञान को देखते हुए संविदा पर उनकी नियुक्ति का लाभ विभाग को प्राप्त हो सके.	वित्तीय एवं अपील सुनने का अधिकार नहीं है.
5.	श्री पी. सी. दलेई (सेवानिवृत्त भा.प्र.से.)	राज्य निर्वाचन आयुक्त	29-06-2010	भारत के अनुच्छेद 243-K द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल द्वारा श्री पी. सी. दलेई को राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद रिक्त होने के कारण पदस्थ किया गया है.	छत्तीसगढ़ वित्तीय अधिकार संहिता भाग-2 के अंतर्गत वित्तीय शक्तियां एवं छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग सेवा (भरती तथा सेवा की शर्त) नियम, 2004 के नियम 16 अनुसार अपील सुनने का अधिकार है.
6.	श्री सी. एच. बेहार (सेवानिवृत्त भा.प्र.से.)	सलाहकार, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी,	16-12-2009	श्री बेहार के कार्य अनुभव एवं ज्ञान को देखते हुए उनकी नियुक्ति सलाहकार के पद पर की गई है, ताकि उनका लाभ शासकीय सेवकों के प्रशिक्षण में प्राप्त हो सके.	वित्तीय एवं अपील सुनने का अधिकार नहीं है.

परिशिष्ट “छब्बीस”  
[ अतारंकित प्रश्न संख्या 20 (क्र. 123) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

प्रश्न “अ”

01 जनवरी 2009 से 31 दिसम्बर 2009 तक भा.प्र.से. अधिकारियों के विदेश प्रवास की जानकारी

क्रमांक (1)	अधिकारी का नाम एवं पदनाम (2)	यात्रा की अवधि एवं स्थान (3)	यात्रा का स्थान (4)	यात्रा का उद्देश्य (5)	व्यय की गई राशि (6)	अनुमति क्रमांक एवं दिनांक (7)	यात्रा के परिणाम (8)
1.	श्री पी. जॉय उम्मेन मुख्य सचिव	1. 23 अक्टूबर से 01 नवम्बर 2009 तक	दक्षिण अफ्रीका	दक्षिण अफ्रीका में खनिज संपदा एवं ऊर्जा क्षेत्र में हुये विकास का अध्ययन करने तथा राज्य में निवेश की संभावना का पता लगाने हेतु मा. मुख्य मंत्री के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में.	राशि रुपये 2,22,219/-	ई 04-6/2009/1/2 दिनांक 12-10-2009	अफ्रीका सम्मेलन में भाग लेने से संपूर्ण अफ्रीका में ऊर्जा एवं खनिज के क्षेत्र में व्यवस्थित रूप से हो रहे विकास की गतिविधियों के संबंध में अवगत हुआ.
2.	श्री विवेक ढांड प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग.	04 से 09 अक्टूबर 2009	वाशिंगटन/ सेनफ्रांसिस्को एवं लॉस एंजल्स (यू.एस.ए.)	विश्व हेबिटेट दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में भाग तथा आई.टी., बायोटेक्नालॉजी, सोलर एनर्जी क्षेत्र के विशेषज्ञों से चर्चा करने एवं स्थल निरीक्षण हेतु.	राशि रुपये 3,65,276/-	ई 4-13/2009/1/2 दिनांक 30-09-2009	विश्वभर में पर्यावरण के संरक्षण हेतु किये जा रहे विभिन्न परि- योजनाओं के संबंध में अवगत हुआ.
2.	श्री विवेक ढांड प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग.	04 से 09 अक्टूबर 2009	वेलाडोलिड एवं मेड्रिड (स्पेन) तथा पेरिस	यूरोइंडिया सेक्टर तथा सी.आई.आई. द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित India dedicated Summit on Leveraging Urban Legacy for Sustain- able City Development सेमीनार में भाग लेने हेतु.	राशि रुपये 5,58,572/-	ई 4-11/2009/1/2 दिनांक 16-09-2009	उक्त यात्रा के दौरान स्पेन तथा फ्रांस में शहरी नवीनीकरण (Urban Renewal) का अध्ययन किया गया जिससे इस क्षेत्र में विश्व में हो रहे कार्यों की जानकारी/अनुभव प्राप्त हुए, स्पेन में छ.ग. में हो रहे कार्यों

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							का पावन पाइंट प्रजेंटेशन समस्त प्रतिभागियों के बीच किया गया जिससे उन्हें छ.ग. में हो रहे कार्यों की जानकारी दी गई.
3.	श्री अजय सिंह प्रमुख सचिव वित्त विभाग.	06 से 18 सितंबर 2009 किंगडम	डेनमार्क, नार्वे, आस्ट्रिया एवं यूनाइटेड	यूरोपियन यूनियन स्टेट पार्टनरशिप कार्यक्रम के तहत उच्च स्तरीय अध्ययन हेतु.	राशि रुपये 6,68,666/-	ई 04-9/2009/1/2 दिनांक 25-08-2009	अन्य देशों में लोक स्वास्थ्य हित में संचालित योजनाओं के अध्ययन माध्यम से राज्य में लोक स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्था की दृष्टि से विभागीय योजनाओं में समुचित सुधार किया जा सकेगा.
4.	श्री एन. बैजेन्द्र कुमार मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव.	दि. 23 अक्टूबर से 01 नवम्बर 2009 तक.	दक्षिण अफ्रीका	दक्षिण अफ्रीका में खनिज संपदा एवं ऊर्जा क्षेत्र में हुये विकास का अध्ययन करने तथा राज्य में निवेश की संभावना का पता लगाने हेतु मा. मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में.	राशि रुपये 2,39,034/-	ई 04-6/2009/1/2 दिनांक 12-10-2009	दक्षिण अफ्रीका में खनिज संपदा एवं ऊर्जा क्षेत्रों में हुए विकास का अध्ययन करने का उद्देश्य सफल हुआ तथा राज्य में निवेश की संभावना का पता लगाने हेतु उद्योगपतियों/उद्योग संगठनों के साथ चर्चा किया.
5.	श्री आर. सी. मंडल, सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग.	दि. 01 से 03 नवम्बर 2009 तक	काठमांडू (नेपाल)	संस्था ICRISAT (IFAD-954) द्वारा आयोजित तृतीय प्रोजेक्ट रिव्यू एवं प्लानिंग मीटिंग में भाग लेने हेतु.	संस्था ICRISAT द्वारा आयोजित किया गया. अतः व्यय की राशि उपलब्ध नहीं है.	ई 4-14/2009/1/2 दि. 23-10-2009	योजनांतर्गत कार्यक्रम क्षेत्र के पीटीजी एवं आदिवासी ग्रामों में उन्नत किस्म के मूंगफली, चना, अरहर एवं उड़द के बीज वितरित किये गये. बीजोत्पादन एवं अन्य तकनीकी वैज्ञानिक जानकारी वर्ष 2009-10 हेतु उपलब्ध कराई गई, जिसका प्रचार-प्रसार छ.ग. आदिवासी विकास समिति द्वारा किया गया.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6.	श्री जवाहर श्रीवास्त्व, सचिव, महामहिम राज्यपाल.	दि. 14 से 18 सितंबर 2009	सिंगापुर	Training Cum Study Programme	व्यय का वहन भा/स, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा किया गया. अतः व्यय की राशि उपलब्ध नहीं है.	ई 04-8/2009/1/2 दि. 27-08-2009	सिंगापुर के प्रशासनिक सुधारों की जानकारी प्राप्त हुई. परिणाम यह हुआ कि शासन के अधिकारी के रूप में अनुभव तथा ज्ञान प्राप्त हुआ.
7.	श्री आर. एस. विश्वकर्मा सचिव, वित्त विभाग.	दि. 01 से 04 मार्च 2009	टोरंटो (कनाडा)	International Covention Trade Show and investors Exchange में भाग लेने हेतु.	राशि रुपये 1,43,757/-	ई 4-1/2009/1/2 दिनांक 07-02-2009	पी.डी.ए.सी. कांफ्रेंस में 150 देशों की माइनिंग कंपनियों/विभाग भाग लेते हैं. वहां विभिन्न कंपनियों/विभागों के माइनिंग तकनीक वह नियमों की जानकारी हासिल की, भारत सरकार के दल में शामिल होने के कारण छत्तीसगढ़ के खनिज संसाधनों की भी जानकारी दी गई.
8.	श्री सुब्रत साहू सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग.	दि. 09 से 20 नवंबर 2009	लंदन/इटली/स्वीट्जरलैण्ड	वल्ड ट्रेवल मार्ट में भाग लेने तथा पर्यटन संबंधी गतिविधियों के अध्ययन हेतु मा. पर्यटन मंत्री के नेतृत्व में प्रवास.	राशि रुपये 24,74,872/-	ई 4-12/2009/1/2 दिनांक 29-09-2009	तत्समय ही विदेशी नागरिकों के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के पर्यटन स्थलों का भ्रमण करने हेतु रूचि दिखाई गई थी.
9.	श्री विकास शील, सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	1. दि. 04 से 11 मार्च 2009 2. दि. 12 से 30 अक्टूबर 2009 तक	बाली (इंडोनेशिया) वाशिंगटन डी.सी. (यूएसए)	Health Financing issues in low income country में भाग लेने हेतु. Flagship course on Health System Strengthening में भाग लेने हेतु.	विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा	ई 4-2/2009/1/2 दिनांक 03-03-2009	विकासशील देशों में जन स्वास्थ्य योजनाओं के वित्तीय प्रबंधन हेतु प्रशिक्षण प्राप्त किया. प्रशिक्षण के दौरान अन्य समतुल्य देशों जैसे ब्राजील, इंडोनेशिया, थाईलैंड आदि में लोक स्वास्थ्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10.	श्री सुबोध कुमार सिंह, विशेष सचिव, मान. मुख्य मंत्री.	दि. 04 से 09 अक्टूबर 2009	बेलाडोलिड, एवं मैड्रिड (स्पैन), तथा पेरिस	यूरोइंडिया सेंटर सी.आई.आई. द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित India dedicated Summit on Leveraging Urban Legacy for Sustai- nable City Development सेमीनार में भाग लेने हेतु.	राशि रुपये 4,47,524/-	ई 4-11/2009/1/2 दिनांक 16-09-2009	उक्त यात्रा में नगरीय एवं आवास विकास के बारे में सीखने को मिला जिसे गृह निर्माण मंडल की योजनाओं में लागू करने का प्रयास किया गया.
11.	श्री अमित कटारिया कलेक्टर, रायगढ़.	दि. 20 से 29 सितंबर 2009 तक	जर्मनी	GTZ - TC - ASEM द्वारा आयोजित एक्सपोजर विजिट में भाग लेने हेतु.	व्यय का वहन संस्था GTZ द्वारा किया गया. अतः व्यय की राशि उपलब्ध नहीं है.	ई 4-10/2009/1/2 दिनांक 25-08-2009	उपरोक्त प्रशिक्षण के आधार पर नगरीय नियोजन तथा विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं पर कार्य कराये गये.

## प्रपत्र "ब"

## 01 जनवरी 2010 से दिसंबर 2010 तक भा.प्र.से. अधिकारियों के विदेश प्रवास की जानकारी

क्रमांक	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	यात्रा की अवधि एवं स्थान	यात्रा का स्थान	यात्रा का उद्देश्य	व्यय की गई राशि	अनुमति क्रमांक एवं दिनांक	यात्रा के परिणाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	श्री विवेक ढांड प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग.	02 से 05 मई 2010 तक.	वेन्कुवर शहर (कनाडा)	अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन में भाग लेने हेतु.	राशि रुपये 5,05,718/-	ई-4-03/2010/1/2, दिनांक 03 अप्रैल 2010	उक्त यात्रा के दौरान विश्व के विभिन्न देशों में वेयर हाउसिंग लाजिस्टिक के क्षेत्र में हो रही प्रगति तथा अच्छे कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई.
2.	श्री अजय सिंह, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग.	1. दि. 1 से 5 जून 2010	कुआलालंपुर (मलेशिया)	Sharing Experience and Understanding Perspective of Key Stakeholders in PPPs में भाग लेने हेतु.	राशि रुपये 1,48,766/-	ई-04-04/2010/1/2, दिनांक 28-05-2010	अन्य देशों में PPPs के अनुभव सुने व अपने अनुभवों से अवगत कराया.
		2. दि. 18 से 23 अक्टूबर 2010 तक	यूनाइटेड किंगडम	राज्यों की वित्तीय व्यवस्था विषय पर आयोजित 6वें कामनवेल्थ कार्यपालिक कार्यक्रम में भाग लेने हेतु.	राशि रुपये 3,66,053/-	ई-4-11/2010/एक/2, दि. 06-10-2010	राज्य एवं स्थानीय शासन के वित्तीय प्रबंधन के संबंध में प्रशिक्षण प्राप्त किया.
3.	श्री जवाहर श्रीवास्तव, सचिव, महामहिम राज्यपाल.	दि. 25 सितंबर से 06 अक्टूबर 2010 तक	लंदन, कोपनहेगन, मैक्सिको एवं बोगोटा	GEF-SUPT World Bank Study Tour में भाग लेने हेतु.	राशि रुपये 3,78,859/-	ई-4-05/2010/एक/2, दि. 27-08-2010	इन शहरों में Sustainable Urban Transport देख. परिणाम यह हुआ कि शासन के अधिकारी के रूप में अनुभव तथा ज्ञान प्राप्त हुआ.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.	श्री आर. एस. विश्वकर्मा, सचिव, वित्त विभाग.	दि. 01 से 04 फरवरी 2010 तक.	कैपटाउन (दक्षिण अफ्रीका)	Mining Indaba-2010 में भाग लेने हेतु.	राशि रुपये 1,02,086/-	ई-04-01/2010/1/2, दि. 23 जन. 2010	प्रवास के दौरान वहां के खनिज कानूनों की जानकारी प्राप्त की और वहां स्थित माइनिंग कंपनियों में स्थानीय लोगों/पिछड़ों की 26 प्रतिशत भागीदारी को भी यहां लागू करने के संबंध में प्रस्ताव बनाकर भारत सरकार को भेजा. खनिज के क्षेत्र में वहां उपयोग की जा रही आधुनिक तकनीक, सर्वेक्षण कार्य आदि की जानकारी ली और इन आधुनिक तकनीक को प्रदेश में उपयोग करने के लिए प्रस्ताव बनाये और उन्हें यहां लागू करने की कार्यवाही की.
5.	श्री विकास शील, सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग.	दि. 28 से 30 जुलाई 2010 तक	चियापास, मैक्सिको	Localising MDGs: Local Agendas for Human Development विषय पर आधारित सेमिनार में भाग लेने हेतु.	समस्त व्यय का वहन UNDP, India द्वारा	ई-4-08/2010/एक/2, दि. 26-07-2010	मितानिन तथा RMA कार्यक्रम का प्रस्तुतीकरण UN-MOG कांफ्रेंस में कर राज्य की छबि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने का प्रयास किया गया.
6.	श्री अंबलगन पी., कलेक्टर, बस्तर.	दि. 31 अगस्त से 09 सितंबर 2010 तक	सिंगापुर	Pan-Commonwealth PPP प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु.	राशि रुपये 41,252/-	ई-4-09/2010/एक/2, दि. 27-08-2010	यह प्रशिक्षण कार्यक्रम है. प्रशिक्षण से अधिकारी की कार्यक्षमता में वृद्धि होता है.
7.	श्री प्रसन्ना आर., कलेक्टर, जिला-सरगुजा	दि. 14 से 16 सितंबर 2010 तक.	बैंकाक	Protecting Access to Education in Difficult Circumstances कार्यक्रम में भाग लेने हेतु.	व्यय का वहन यूनिसेफ द्वारा किया गया. अतः व्यय की राशि उपलब्ध नहीं है.	ई-4-10/2010/एक/2, दि. 08-09-2010	उक्त कार्यशाला में आये बिन्दुओं को जिले में प्रारंभ करने का पहल किये जाने पर नक्सली गतिविधियों के कारण

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8.	श्री राजेश सुकुमार टोप्पो, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, जिला बलौदाबाजार	दि. 18 से 22 जनवरी 2010 तक	मोरक्को	ASCI (Administrative Staff College of Indrid) द्वारा Management of Public Private Partnership in the Urban Water and Sanitation Sector विषय पर आयोजित प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु.	राशि रुपये 1,38,948/-	ई 4-16/2009/1/2, दिनांक 20-01-2010	बन्द पड़ा हुआ 265 स्कूलों में से 25 स्कूल को पुनः संचालन हेतु प्रारंभ किया गया. इसके पश्चात् एक भी शासकीय स्कूल को न तो नक्सलियों द्वारा ध्वस्त किया गया और न ही बन्द किया गया, इसके साथ ही लगभग 150 स्कूलों में शतप्रतिशत उपस्थिति भी दर्ज की गई. इसका मुख्य कारण उक्त कार्यशाला में आये आइडिया काफी उपयोगी रहा है. नगर निगम भिलाई में वृहद पेयजल, घर-घर नलजल योजना एवं निगम क्षेत्र में समुचित एवं सुदृढ़ सफाई व्यवस्था में अनुभव का लाभ मिला.

प्रपत्र "स"

01 जनवरी 2011 से नवंबर 2011 तक भा.प्र.से. अधिकारियों के विदेश प्रवास की जानकारी

क्रमांक	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	यात्रा की अवधि एवं स्थान	यात्रा का स्थान	यात्रा का उद्देश्य	व्यय की गई राशि	अनुमति क्रमांक एवं दिनांक	यात्रा के परिणाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	श्री पी. जॉय उम्मेन मुख्य सचिव.	1. दिनांक 27 से 31 मार्च 2011 तक.	ब्रुसल्स	Conference on sustainable Towns.	राशि रुपये 1,94,229/-	ई-4-1/2011/1/2, दिनांक 22-03-2011	शहरों के व्यवस्थित विकास को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल विकास के संबंध में अध्ययन में भाग लिया.
		2. दि. 5 से 12 एवं 13 से 14 अक्टूबर 2011 तक.	यूरोप एवं बेल्जियम	Indian Mission on Urban Development & 5th EuroIndia Summit में भाग लेने हेतु.	राशि रुपये 4,81,514/-	ई-4-9/2011/1/2 दिनांक 25-08-2011	यूरो इंडिया नेशन एवं सीआईआई द्वारा आयोजित सम्मेलन में भारतीय दल का नेतृत्व किया.
2.	श्री अजय सिंह, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग.	दि. 07 से 17 सितंबर 2011 तक.	ब्रोसल, पेरिस, मेट्रिड लगजमबर्ग	15 राज्यों के वित्त मंत्रियों की सशक्त समिति के शिष्टमण्डल के प्रतिनिधि के रूप में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के अध्ययन हेतु.	राशि रुपये 5,03,307/-	ई-4-5/2011/1/2 दिनांक 27-07-2011	भारत सरकार द्वारा जी.एस.टी. के क्रियान्वयन संबंधी निर्णय लिए जाने पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी. क्रियान्वयन हेतु विचाराधीन.
3.	श्री एम. के. राउत, प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, लोक निर्माण विभाग.	1. दि. 07 से 11 फरवरी 2011 तक.	यूनाइटेड किंगडम	Study visit for Indian Education Policy makers and implementers प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु.	समस्त व्यय का वहन British Council द्वारा किया गया. अतः व्यय की राशि उपलब्ध नहीं है.	ई-4-14/2010/1/2 दिनांक 14-01-2011	यूनाइटेड किंगडम National College of School Leader- ship में प्रशिक्षण लेने के उपरांत राज्य में शैक्षिक प्रशासकों/शिक्षकों के लिए Educational Leadership पर एक कोर्स तैयार कर लागू करने की दिशा में प्रयास चल रहा है.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2. दि. 27 जून से 8 जुलाई 2011 तक.	सियेटल, लॉस एंजिल्स, न्यूयार्क (यू.एस.ए.)	अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक भ्रमण हेतु	राशि रुपये 9,21,918/-	ई-4-3/2011/1/2 दिनांक 08-06-2011	यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यहां के प्रवास के उपरांत राज्य में स्थानीय भाषा में शिक्षा की व्यवस्था, पुस्तकालयों के बेहतर उपयोग, कला एवं संस्कृति के विकास हेतु कार्य, सतत एवं समग्र मूल्यांकन पद्धति के विकास, शालाओं को बेहतर संसाधनयुक्त करने, सामुदायिक सहभागिता एवं विकेंद्रीकरण की दिशा में कार्य किया जा रहा है.		
4. श्री एन. वैजेन्द्र कुमार मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव.	यू.एस.ए. प्रवास	Urban Economic Development Association of Wisconsin (UEDA-USA) द्वारा आयोजित भ्रमण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु.	राशि रुपये 8,75,688/-	ई-4-11/2011/1/2 दिनांक 26-08-2011	The objective of exposure cum study on Urban Infrastructure Development including housing, Urban Sports Infrastructure and Economic Development of U.S. was achieved.		
5. श्री आर. पी. मंडल, सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग.	यू.एस.ए. प्रवास	Urban Economic Development Association of Wisconsin (UEDA-USA) द्वारा आयोजित भ्रमण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु.	राशि रुपये 8,04,607/-	ई-4-11/2011/1/2 दिनांक 26-08-2011	विदेश यात्राओं से लिये गये प्रशिक्षण उपरांत निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पेयजल वितरण प्रणाली, आवास एवं आर्थिक विकास में निकायों द्वारा कराये जा रहे कार्यों के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. दि. 28 अगस्त से 07 सितंबर 2011 तक.	सिंगापुर एवं मलेशिया	Explosure cum learning visit में भाग लेने हेतु Explosure cum learning visit में भाग लेने हेतु.	राशि रुपये 1,78,395/-	ई-4-12/2011/1/2 दिनांक 27-08-2011	विदेश यात्राओं से लिये गये प्रशिक्षण उपरांत निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पेयजल वितरण प्रणाली, आवास एवं आर्थिक विकास में निकायों द्वारा कराये जा रहे कार्यों के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं.
6.	श्री डी. के. श्रीवास्तव, सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग.	1. दि. 08 से 19 सितम्बर 2011 तक.	चीन एवं सिंगापुर	Ministry of Commerce of P. R. C. द्वारा आयोजित 5th annual China International Auto Parts Expo में भाग लेने हेतु.	राशि रुपये 4,36,000/-	ई-4-14/2011/1/2 दिनांक 07-09-2011	हंगकांग एवं सिंगापुर की यात्रा माननीय उद्योग मंत्रीजी के साथ प्रतिनिधिमंडल के रूप में किया गया. इन देशों के औद्योगिक विकास का भ्रमण तथा उन स्थानों पर राज्य में उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप निवेश हेतु वहां के उद्योगपतियों को आमंत्रित किया गया.
		2. दि. 10 से 21 अक्टूबर 2011 तक.	कैलिफोर्निया	कैलिफोर्निया सेनेट द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने हेतु.	राशि रुपये 5,50,000/-	ई-4-16/2011/एक/2, दिनांक 19-09-2011 एवं दि. 26-09-2011	इस यात्रा से छ.ग. राज्य जैसे नवोदित राज्य के विषय में एक सकारात्मक प्रभाव अमेरिका के सर्वाधिक आबादी वाले राज्य कैलीफोर्निया में देखने को मिला. यात्रा के दौरान कैलीफोर्निया राज्य के राजनैतिक एवं प्रशासनिक कार्य पद्धति को देखने का अवसर मिला. सिलिकॉनवेली की यात्रा से एक महत्वपूर्ण एक्सपोजर मिला. हरित तकनीक के विषय में सौर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							ऊर्जा उत्पादन के विषय में जानने का अवसर मिला।
							माननीय मुख्यमंत्री जी के स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालय में उद्बोधन से छ.ग. की स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा मिलेगी।
							वैश्वीकरण के युग में यात्रा से बेहतर सामंजस्य के लिए संभावनाएं बढ़ेंगी।
7.	श्री अशोक अग्रवाल मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण.	दि. 7 से 10 नवंबर 2011 तक.	शंघाई (चीन)	EAST Project के अंतर्गत ENTP द्वारा आयोजित बैठक में भाग लेने हेतु.	राशि रुपये 66,153/-	ई-4-18/2011/एक/2, दिनांक 8-11-2011	ईस्ट प्रोजेक्ट के अंतर्गत ई.एन.टी.पी. द्वारा आयोजित बैठक में भाग लेने एवं नये टाऊनशिप विकास का अवलोकन एवं अध्ययन.

## परिशिष्ट "सत्ताईस"

[ अतारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्र. 144) के भाग (क) की जानकारी ]

जिला रायगढ़ में रेत विक्रय हेतु खनिज विभाग द्वारा विभिन्न पंचायतों को जारी रायल्टी बुक ( अभिवहन पास ) एवं संबंधित पंचायतों को प्राप्त रायल्टी की जानकारी

क्रमांक	स्थान/खदान का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	खनिज विभाग द्वारा पंचायतों को जारी की गई रायल्टी बुक की जानकारी (प्रति बुक 100 पन्ना द्वितीय प्रति सहित)	पंचायतों को प्राप्त रायल्टी (रुपयों में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	रायगढ़ टाऊन (अ) (सर्किट हाऊस के पीछे)	नगर पालिक क्षेत्र	रायगढ़	2	5520
2.	तारापुर	तारापुर	रायगढ़	47	100125
3.	उसरौट	उसरौट	रायगढ़	75	443000
4.	लाखा (अ)	लाखा	रायगढ़	70	240000
5.	गेरवानी	गेरवानी	रायगढ़	35	240000
6.	गोवर्धनपुर (अ)	विजयपुर	रायगढ़	15	30000
7.	गोवर्धनपुर (ब)	विजयपुर	रायगढ़	30	30000
8.	उर्दना	उर्दना	रायगढ़	5	22500
9.	भेलवाटिकरा	भेलवाटिकरा	रायगढ़	120	340000
10.	बेलरिया	बेलेरिया	रायगढ़	43	108046
11.	बायंग	बायंग	रायगढ़	160	1149000
12.	देवरी	देवरी	रायगढ़	20	67000
13.	लेबड़ा	लेबड़ा	रायगढ़	15	49680
14.	कछार	कछार	रायगढ़	60	240000
15.	सहसपुरी	सहसपुरी	रायगढ़	10	60000
16.	बोकरामुड़ा	सरडामाल	रायगढ़	100	545000
17.	डूमरमुड़ा	केशला	पुसौर	15	81000
18.	नावापाली	बिंजकोट	पुसौर	15	50000
19.	सेमरा	सेमरा	पुसौर	20	42000
20.	झलमला	झलमला	पुसौर	10	50000
21.	सेन्द्रीपाली	टेमटेमा	खरसियां	75	330000
22.	कुरुभांठा	बड़े जामपाली	खरसियां	60	148000
23.	टायंग	जैमूरा	खरसियां	50	94410
24.	रक्सापाली	रक्सापाली	खरसियां	10	60000
27.	तमनार	तमनार	तमनार	18	6500
28.	टिहलीरामपुर	झिंकाबहाल	तमनार	135	435000
29.	आमाघाट	आमाघाट	तमनार	20	24000
30.	कसडोल	कसडोल	तमनार	40	210000
31.	आमापाली	राबों	तमनार	38	174705
32.	बुड़िया	बुड़िया	तमनार	90	360000
33.	महलोई	महलोई	तमनार	30	60000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
34.	धरमजयगढ़	नगर पंचायत क्षेत्र	धरमजयगढ़	0	38329
35.	ठाकुरपोड़ी	ठाकुरपोड़ी	धरमजयगढ़	50	383450
36.	चन्द्रशेखरपुर	चन्द्रशेखरपुर	धरमजयगढ़	23	16650
37.	ससकोबा (गनपतपुर)	ससकोबा	धरमजयगढ़	23	114000
38.	रीलो	बोकरामुड़ा	धरमजयगढ़	5	3000
39.	लिंसी	गोलाबुड़ा	धरमजयगढ़	10	99120
			<b>योग</b>	<b>1594</b>	<b>6672035</b>

## परिशिष्ट "अट्ठाईस"

[ अतारांकित प्रश्न संख्या 25 (क. 166) की जानकारी ]

माह जुलाई 2011 से 15 नवम्बर 2011 तक बिलाईगढ़ एवं कसडोल विधान सभा क्षेत्र के वितरण केन्द्रों में की गई विद्युत कटौती की तिथि एवं समय की जानकारी

(क) बिलाईगढ़ विधान सभा क्षेत्र के सरसीवा, भटगांव एवं बिलाईगढ़ वितरण केन्द्र में की गई विद्युत कटौती का विवरण फीडर का नाम :- 33 केव्ही सारंगढ-सरसीवा फीडर

क्रमांक	दिनांक	मांग को रेगुलेट करने की अवधि		
		बजे से	बजे तक	अवधि (घंटा/मिनट)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	01-07-2011	10.38 19.50	11.30 20.50	52 मिनट 1 घण्टा
2.	02-07-2011	9.25 12.14	10.25 13.15	1 घण्टा 1 घण्टा 01 मिनट
3.	03-07-2011	19.30	20.35	1 घण्टा 05 मिनट
4.	04-07-2011	8.45 12.15 16.50	9.45 14.45 18.30	1 घण्टा 1 घण्टा 30 मिनट 1 घण्टा 40 मिनट
5.	05-07-2011	17.22	18.02	40 मिनट
6.	12-07-2011	11.35	11.46	11 मिनट
7.	13-07-2011	14.45 18.28 20.52	15.55 19.02 21.40	1 घण्टा 10 मिनट 34 मिनट 48 मिनट
8.	19-07-2011	15.51	16.51	1 घण्टा
9.	23-07-2011	19.50	20.50	1 घण्टा
10.	24-07-2011	19.40	20.30	50 मिनट
11.	25-07-2011	11.30 19.05 23.15	1.00 20.00 23.40	1 घण्टा 30 मिनट 55 मिनट 25 मिनट
12.	24-09-2011	8.40 11.25 19.20	10.15 12.50 20.20	1 घण्टा 35 मिनट 1 घण्टा 25 मिनट 1 घण्टा
13.	25-09-2011	17.40	18.40	1 घण्टा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14.	26-09-2011	10.40 16.10 18.57	11.40 17.45 19.55	1 घण्टा 1 घण्टा 35 मिनट 58 मिनट
15.	27-09-2011	3.10 10.12 17.29 22.50	4.15 11.23 18.35 23.20	1 घण्टा 05 मिनट 1 घण्टा 11 मिनट 1 घण्टा 06 मिनट 30 मिनट
16.	28-09-2011	7.25 11.15 14.50 19.50 23.25	8.02 12.45 16.08 20.32 24.00	37 मिनट 1 घण्टा 30 मिनट 1 घण्टा 18 मिनट 42 मिनट 35 मिनट
17.	29-09-2011	0.00 4.10 8.40 14.43 19.12 21.08 22.10	00.35 6.15 12.11 16.42 19.32 21.58 23.33	35 मिनट 2 घण्टा 05 मिनट 3 घण्टा 31 मिनट 1 घण्टा 59 मिनट 20 मिनट 50 मिनट 1 घण्टा 23 मिनट
18.	10-10-2011	8.22 12.20 15.20 17.34	9.20 13.35 16.20 18.38	58 मिनट 1 घण्टा 15 मिनट 1 घण्टा 1 घण्टा 04 मिनट
19.	11-10-2011	5.53 17.52	7.50 18.31	1 घण्टा 57 मिनट 39 मिनट
20.	12-10-2011	5.00 9.38 16.20	6.35 10.50 18.05	1 घण्टा 35 मिनट 1 घण्टा 12 मिनट 1 घण्टा 45 मिनट
21.	13-10-2011	8.10 12.20	9.45 12.35	1 घण्टा 35 मिनट 15 मिनट
22.	17-10-2011	18.10	19.00	50 मिनट
23.	21-10-2011	16.50	17.58	1 घण्टा 8 मिनट
24.	29-10-2011	16.53	17.32	39 मिनट
25.	30-10-2011	8.15	9.15	1 घण्टा
26.	30-10-2011	12.25	13.25	1 घण्टा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
27.	01-11-2011	17.50	18.25	35 मिनट
28.	04-11-2011	12.11	13.11	1 घण्टा
29.	05-11-2011	18.00	18.20	20 मिनट
30.	06-11-2011	07.10 17.37	8.11 18.37	1 घण्टा 01 मिनट 1 घण्टा
31.	07-11-2011	17.55	18.26	31 मिनट
32.	10-11-2011	6.38 11.11 16.20	7.50 12.58 17.10	1 घण्टा 12 मिनट 1 घण्टा 47 मिनट 50 मिनट
33.	11-11-2011	7.57 12.07 17.21	9.32 13.35 17.59	1 घण्टा 35 मिनट 1 घण्टा 28 मिनट 38 मिनट
34.	12-11-2011	11.25	12.00	35 मिनट
35.	13-11-2011	8.12	9.12	1 घण्टा
36.	14-11-2011	6.35 17.25	7.35 18.02	1 घण्टा 37 मिनट

(ख) कसडोल विधान सभा क्षेत्र के कसडोल, पलारी, लवन एवं बलौदाबाजार (ग्रामीण) वितरण केन्द्र में की गई विद्युत कटौती का विवरण

फीडर का नाम :- 33 केव्ही कुकुरदी-कसडोल फीडर

1.	01-07-2011	19.21	20.25	1 घण्टा 04 मिनट
2.	02-07-2011	09.25	10.25	1 घण्टा
3.		12.14	13.15	1 घण्टा 01 मिनट
4.		15.13	16.13	1 घण्टा
5.	04-07-2011	9.45	11.15	1 घण्टा 30 मिनट
6.		16.50	18.03	1 घण्टा 13 मिनट
7.		19.09	20.05	56 मिनट
8.	05-07-2011	17.22	18.02	40 मिनट
9.	12-07-2011	20.19	21.05	46 मिनट
10.	13-07-2011	16.16	17.26	1 घण्टा 10 मिनट
11.		19.08	20.08	1 घण्टा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12.	16-07-2011	20.10	20.20	10 मिनट
13.	23-07-2011	20.40	21.30	50 मिनट
14.	25-07-2011	10.06	11.36	1 घण्टा 30 मिनट
15.		14.19	15.34	1 घण्टा 15 मिनट
16.		20.20	21.20	1 घण्टा
17.	26-07-2011	20.10	21.10	1 घण्टा
18.		22.43	23.43	1 घण्टा
19.	27-07-2011	10.47	11.47	1 घण्टा
20.		22.18	23.18	1 घण्टा
21.	04-08-2011	19.40	20.35	55 मिनट
22.	09-08-2011	19.35	20.35	1 घण्टा
23.	11-08-2011	20.38	21.31	53 मिनट
24.	19-08-2011	20.12	21.12	1 घण्टा
25.	20-08-2011	20.08	21.20	1 घण्टा 12 मिनट
26.	24-08-2011	19.14	20.00	46 मिनट
27.	19-09-2011	19.15	20.04	49 मिनट
28.	10-09-2011	20.20	20.55	35 मिनट
29.	12-09-2011	20.25	21.25	1 घण्टा
30.	14-09-2011	10.50	11.50	1 घण्टा
31.		20.15	21.15	1 घण्टा
32.	20-09-2011	15.14	16.33	1 घण्टा 19 मिनट
33.		18.50	19.25	35 मिनट
34.	22-09-2011	20.20	21.16	56 मिनट
35.	24-09-2011	06.34	07.34	1 घण्टा
36.		09.40	11.30	01 घण्टा 50 मिनट
37.		15.17	16.17	1 घण्टा
38.	25-09-2011	19.57	20.57	1 घण्टा
39.	26-09-2011	14.45	15.51	1 घण्टा 06 मिनट
40.		17.50	19.15	1 घण्टा 25 मिनट

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
41.	27-09-2011	01.25	02.30	1 घण्टा 05 मिनट
42.		09.42	09.56	14 मिनट
43.		16.25	17.36	1 घण्टा 11 मिनट
44.		20.56	21.55	59 मिनट
45.	28-09-2011	05.10	06.05	55 मिनट
46.		09.37	11.07	1 घण्टा 30 मिनट
47.		14.30	16.00	1 घण्टा 30 मिनट
48.		18.25	19.40	1 घण्टा 15 मिनट
49.		22.15	23.25	1 घण्टा 10 मिनट
50.	29-09-2011	02.45	04.15	1 घण्टा 30 मिनट
51.		08.10	11.45	3 घण्टा 35 मिनट
52.	30-09-2011	14.14	16.12	1 घण्टा 58 मिनट
53.		18.18	19.20	1 घण्टा 02 मिनट
54.		08.25	09.35	1 घण्टा 10 मिनट
55.		11.25	12.50	1 घण्टा 25 मिनट
56.		16.15	17.15	1 घण्टा
57.	07-10-2011	08.10	10.10	2 घण्टा
58.		12.22	14.22	2 घण्टा
59.		19.04	19.45	41 मिनट
60.	08-10-2010	02.15	03.00	45 मिनट
61.		9.30	11.30	2 घण्टा
62.		12.40	14.40	2 घण्टा
63.		16.45	18.03	1 घण्टा 18 मिनट
64.		19.18	20.15	57 मिनट
65.		22.34	24.00	1 घण्टा 26 मिनट
66.	09-10-2011	0.00	00.34	34 मिनट
67.		06.15	07.40	1 घण्टा 25 मिनट
68.		11.02	12.07	1 घण्टा 05 मिनट
69.		16.08	17.08	1 घण्टा
70.		18.26	19.26	1 घण्टा
71.		22.11	23.33	1 घण्टा 22 मिनट
72.	10-10-2011	06.45	07.53	1 घण्टा 08 मिनट
73.		12.05	12.58	53 मिनट
74.		14.52	15.52	1 घण्टा
75.		17.03	18.06	1 घण्टा 03 मिनट
76.	11-10-2011	04.56	05.57	1 घण्टा 01 मिनट
77.		17.10	18.10	1 घण्टा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
78.	12-10-2011	6.40	7.35	55 मिनट
79.		12.55	14.25	1 घण्टा 30 मिनट
80.	13-10-2011	08.00	09.02	1 घण्टा 02 मिनट
81.	21-10-2011	16.50	17.58	1 घण्टा 08 मिनट
82.	31-10-2011	9.40	10.40	1 घण्टा
83.	06-11-2011	12.16	13.20	1 घण्टा 04 मिनट
84.	10-11-2011	11.14	12.58	1 घण्टा 44 मिनट
85.		14.55	15.55	1 घण्टा
86.	11-11-2011	06.36	07.35	59 मिनट
87.		11.12	13.10	1 घण्टा 58 मिनट
88.		16.10	17.45	1 घण्टा 35 मिनट
89.	12-11-2011	09.07	10.45	1 घण्टा 38 मिनट
90.	13-11-2011	06.55	07.55	1 घण्टा
91.		17.42	18.18	36 मिनट
92.	14-11-2011	9.16	10.17	1 घण्टा 01 मिनट
93.	15-11-2011	18.52	19.52	1 घण्टा

परिशिष्ट “उत्तीस”

[ अतारकित प्रश्न संख्या 26 (क. 198) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

01 जनवरी, 2011 से 24 नवम्बर, 2011 तक की गई विदेश यात्रा का विवरण

क. (1)	मान. मुख्यमंत्री / मंत्री / संसदीय सचिव का नाम / पदनाम (2)	अधिकारियों का नाम / पदनाम (3)	यात्रा की तिथि (4)	यात्रा का देश (5)	यात्रा का उद्देश्य (6)	यात्रा का व्यय किसके द्वारा वहन किया गया एवं व्यय राशि (7)
1.	मान. डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, छ. ग.	—	9 अक्टूबर, 2011 से 21 अक्टूबर, 2011 तक	यू. एस. ए.	कोलिफोर्निया के एवं आसपास के शहरों एवं पर्यटन केन्द्रों का अध्ययन दौरा.	व्यय—छ. ग. शासन द्वारा. राशि रु. 13,47,517 /—
2.	मान. श्री अमर अग्रवाल, मंत्री	—	दिनांक 7 सितंबर, 2011 से 17 सितंबर, 2011 तक	ब्रोसल / पेरिस / मेट्रिड एवं लक्जमबर्ग	वस्तु एवं सेवा कर के अध्ययन हेतु.	व्यय—आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा रु. 5,37,773 /—
3.	मान. श्री बृजमोहन अग्रवाल, मंत्री	—	दि. 27-6-2011 से 12-7-2011 तक	संयुक्त राज्य अमेरिका	उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का संयुक्त राज्य अमेरिका का शैक्षिक भ्रमण.	यूरोपियन कमिशन द्वारा किया गया. व्यय राशि— रु. 9,10,486 /—
4.	मान. श्री दयाल दास बघेल, मंत्री	—	16 से 19 सितंबर, 2011	हांगकांग एवं सिंगापुर	संबंधित देशों के औद्योगिक विकास का भ्रमण तथा उन स्थानों पर राज्य में उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप निवेश हेतु आमंत्रण.	व्यय— सीएसआईडीसी रायपुर द्वारा किया गया है. व्यय राशि— 4,36,000 /—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	मान. श्री चन्द्रशेखर साहू, मंत्री	-	दि. 7-6-2011 से 17-06-2011 तक	जर्मनी और स्वीटजरलैंड	अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित यात्रा का व्यय- जलवायु परिवर्तन कार्यशाला PAIRVI ASSOCIATES शासकीय राशि का उपयोग नहीं किया गया है।	
6.	मान. श्री राजेश मूणत, मंत्री	-	दिनांक 17 सितंबर, 2011 से 5 अक्टूबर, 2011 तक	अमेरिका के न्यूयार्क, वाशिंगटन शहर	शहरी अधोसंरचना विकास, जैसे टोस अपशिष्ट प्रबंधन, पेयजल वितरण प्रणाली, आवास एवं आर्थिक विकास आदि विकास कार्यों का अध्ययन एवं प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु।	नगरीय प्रशासन एवं विकास- रायपुर प्रत्येक सदस्य व्यय रू. 8,04,607/-
7.	सुश्री लता उसेंडी, मंत्री	-	दिनांक 17 सितंबर 2011 से 01 अक्टूबर 2011 तक	अमेरिका	खेल अधोसंरचना का अवलोकन।	व्यय-खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा भुगतान किया प्रस्तावित है. भुगतान लंबित है. अनुमानित रू.
8.	-	श्री पी. जॉय उम्मेन,	1. दिनांक 27 से	ब्रुसल्स	Conference on sustainable	समस्त व्यय का वहन नया
रायपुर		मुख्य सचिव	31 मार्च 2011 तक		Towns	विकास प्राधिकरण, रायपुर द्वारा राशि रुपये 1,94,229/-
अनुदान			2. दिनांक 5 से 12 एवं 13 से 14 अक्टूबर 2011 तक.	यूरोप एवं बेल्जियम	Indian Mission on Urban Development & 5th EuroIndia Summit में भाग	समस्त व्यय का वहन हुडको से नया रायपुर डेव्हलपमेंट अॅथारिटी को प्राप्त विशेष लेने हेतु द्वारा राशि रुपये
8,44,638						
4,18,514/-						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9.	—	श्री एम. के. राठत प्रमुख सचिव छ. ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग	1. दिनांक 07 से 11 फरवरी 2011 तक  2. दि. 27 जून से 8 जुलाई 2011 तक	यूनाइटेड किंगडम  सियेटल, लॉस एंजिल्स, न्यूयार्क (यू. एस. ए.)	Study visit for Indian Education Policy makers and implementers प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु,  अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक भ्रमण हेतु,	समस्त व्यय का वहन British Council द्वारा.  वर्ष 2011-12 में यूरोपियन कमीशन पार्टनरशिप कार्यक्रम में एस. सी. ई. आर. टी. के बजट द्वारा राशि रुपये 9,21,918 /—
10.	—	श्री अजय सिंह प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर विभाग	दि. 07 से 17 सितंबर 2011 तक	ब्रोसल, पेरिस, मेड्रिड, लाजमबर्ग	15 राज्यों के वित्त मंत्रियों की सशक्त समिति के शिष्ट मंडल के प्रतिनिधि के रूप में वस्तु एवं सेवाकर (GST) के अध्ययन हेतु,	समस्त व्यय का वहन वाणिज्यिक कर विभाग के बजट द्वारा राशि रुपये 5,03,307 /—
11.	—	श्री एन. बैजेन्द्र कुमार प्रमुख सचिव आवास एवं पर्यावरण	दि. 17 सितंबर से 5 अक्टूबर 2011 तक	यू. एस. ए. प्रवास	Urban Economic Development Association of Wisconsin (UEDA-USA) द्वारा आयोजित भ्रमण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु,	समस्त व्यय का वहन छ. ग. गृह निर्माण मंडल, रायपुर द्वारा राशि रुपये 8,75,688 /—
12.	—	श्री आर. पी. मंडल, सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	1. दि. 17 सितंबर से 5 अक्टूबर 2011 तक	यू. एस. ए. प्रवास	Urban Economic Development Association of Wisconsin (UEDA-USA) द्वारा आयोजित भ्रमण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु,	संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास रायपुर राशि रुपये 8,04,607 /—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			2. दिनांक 28 अगस्त से 07 सितंबर 2011 तक	सिंगापुर एवं मलेशिया	Explosure cum learning visit में भाग लेने हेतु Explosure cum learning visit में भाग लेने हेतु	समस्त व्यय का वहन राज्य शहरी विकास अभिकरण के सूचना एवं संप्रेक्षण मद के द्वारा राशि रूपये 1,78,395/-
13.	-	श्री प्रेमकुमार, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण, रायपुर	28-8-2011 से 7-09-2011	सिंगापुर एवं मलेशिया	म्यूनिसिपल बेस्ट प्रेक्टिसेस का अध्ययन.	व्यय- राज्य शहरी विकास अभिकरण छ. ग. द्वारा व्यय राशि रु. 1,78,395/-
14.	-	श्री आर. एक्का, आयुक्त नगरपालिक निगम कोरबा.	28-8-2011 से 7-09-2011	सिंगापुर एवं मलेशिया	म्यूनिसिपल बेस्ट प्रेक्टिसेस का अध्ययन.	व्यय- राज्य शहरी विकास अभिकरण छ. ग. द्वारा व्यय राशि रु. 1,78,395/-
15.	-	श्री मोहन पुरी गोस्वामी विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी	28-8-2011 से 7-09-2011	सिंगापुर एवं मलेशिया	म्यूनिसिपल बेस्ट प्रेक्टिसेस का अध्ययन.	व्यय- राज्य शहरी विकास अभिकरण छ. ग. द्वारा व्यय राशि रु. 1,78,395/-
16.	-	श्री पी. बी. काशी, संयुक्त संचालक	28-8-2011 से 7-09-2011	सिंगापुर एवं मलेशिया	म्यूनिसिपल बेस्ट प्रेक्टिसेस का अध्ययन.	व्यय- राज्य शहरी विकास अभिकरण छ. ग. द्वारा व्यय राशि रु. 1,78,395/-
17.	-	श्री लोकाेश्वर साहू, उप संचालक	28-8-2011 से 7-09-2011	सिंगापुर एवं मलेशिया	म्यूनिसिपल बेस्ट प्रेक्टिसेस का अध्ययन.	व्यय- राज्य शहरी विकास अभिकरण छ. ग. द्वारा व्यय राशि रु. 1,78,395/-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18.	-	श्री डी. के. श्रीवास्तव, सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	1. दिनांक 08 से 19 सितम्बर 2011 तक	चीन एवं सिंगापुर	Ministry of Commerce of P. R. C. द्वारा आयोजित 5th annual China International Auto Parts Expo में भाग लेने हेतु.	समस्त व्ययों का वहन सीएसआईडीसी द्वारा राशि रुपये 4,36,000 / -
19.	-	श्री अशोक अग्रवाल मुख्य कार्यपालन अधिकारी रायपुर विकास प्राधिकरण	2. दिनांक 10 से 21 अक्टूबर 2011 तक	कैलिफोर्निया	कैलिफोर्निया सेनेट द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने हेतु.	समस्त व्ययों का वहन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राशि रुपये 5,50,000 / -
20.	-	श्री विक्रम सिंह सिंसोदिया, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी मान. मुख्यमंत्री, छ. ग.	दिनांक 7 से 10 नवंबर 2011 तक	शंघाई (चीन)	EAST Project के अंतर्गत ENTIP द्वारा आयोजित बैठक में भाग लेने हेतु.	यात्रा पर होने वाले व्यय का वहन नया रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर एवं रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर द्वारा तथा निवास व्यवस्था पर होने वाले व्यय का वहन इस्ट कार्यक्रम के द्वारा राशि रुपये 66,153 / -
21.	-	श्री अमन कुमार सिंह सचिव, ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग	दिनांक 9-10-2011 से 20-10-2011 तक	यू. एस. ए.	कैलिफोर्निया के एवं आसपास के शहरों एवं पर्यटन केंद्रों का अध्ययन दौरा.	व्यय छ. ग. शासन द्वारा रुपये 5,18,624 / -
21.	-	श्री अमन कुमार सिंह सचिव, ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग	दिनांक 10 से 21 अक्टूबर 2011 तक	यू. एस. ए.	कैलिफोर्निया सेनेट द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने हेतु.	व्यय छत्तीसगढ़ शासन द्वारा रु. 6,87,963 / -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
22.	—	श्री संजय शुक्ला आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास	17-9-2011 से 5-10-2011	अमेरिका के न्यूयार्क वाशिंगटन शहर	शहरी अधोसंरचना विकास, जैसे टोस अपशिष्ट प्रबंधन, पेयजल वितरण प्रणाली, आवास एवं आर्थिक विकास आदि विकास कार्यों का अध्ययन एवं प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु।	संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास रायपुर राशि रूपये 8,04,607 /—
23.	—	1. श्री पी. सी. मिश्रा सचिव  योजना 2. श्री सी. जे. खत्री संयुक्त सचिव, वित्त एवं योजना व संचालक, बजट 3. श्री अमिताभ खण्डेलवाल, संचालक, संस्थागत वित्त	10-10-2011 से 14-10-2011 तक	जर्मनी	जर्मन में लोक वित्त की विकेन्द्रीकृत नीति एवं पद्धति का अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन हेतु,	व्यय-यूरोपियन कमीशन- राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत किया जिसका समायोजन शेष है। संचालनालय संस्थागत वित्त से लगभग राशि रु. 12 लाख का व्यय होना अनुमानित है।
24.	—	श्री एस. आर. श्रीवास्तव मुख्य अभियंता एन.आर.डी.ए., रायपुर	18-09-2011 से 22-09-2011 तक	चीन	नया रायपुर के विभागाध्यक्ष भवन के निर्माण कार्य के अंतर्गत सामग्री के निरीक्षण करने हेतु,	समस्त व्यय मेसर्स इन्फ्रा इन्जीनियरिंग द्वारा वहन किया गया।
25.	—	श्री एस. एस. बजाज, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एन.आर.डी.ए., रायपुर	7-11-2011 से 10-11-2011 तक	शंघाई एवं चीन	इस्ट प्रोजेक्ट के अंतर्गत ई. एन. टी. पी. द्वारा आयोजित बैठक।	नया रायपुर डेव्लपमेंट अथॉरिटी द्वारा तथा निवास व्यवस्था पर होने वाला व्यय का वहन इस्ट कार्यक्रम द्वारा व्यय-राशि रूपये 94,493 /—

गया.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
26.	—	श्री संजय गौड़, उपायुक्त एवं तत्समय उप संचालक, छ. ग. शासन, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	29-7-2011 से 10-08-2011 तक	स्वीडन	स्काउट एवं गाइड योजना के तहत स्वीडन में आयोजित विश्व स्काउट जंबूरी में भारत स्काउट एवं गाइड छ. ग. द्वारा चयनित विभागीय छात्र/ छात्राओं को उक्त जंबूरी में शामिल कराने हेतु उल्लेखित अधिकारियों द्वारा स्वीडन यात्रा.	विभाग द्वारा व्यय राशि रु. 82,585 /—
27.	— 4,36,000 /—	श्री देवेन्द्र सिंह, प्रबंध संचालक सीएसआईडीसी	16 से 19 सितंबर 2011	हांगकांग, सिंगापुर	संबंधित देशों के औद्योगिक विकास का भ्रमण तथा उन स्थानों पर राज्य में उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप निवेश हेतु आमंत्रण.	व्यय राशि रु. सीएसआईडीसी
28.	— 4,36,000 /—	श्री ओ. पी. बंजारे, प्रबंधक, प्रभारी औद्योगिक निवेश प्रकोष्ठ सीएसआईडीसी	16 से 19 सितंबर 2011	हांगकांग, सिंगापुर	संबंधित देशों के औद्योगिक विकास का भ्रमण तथा उन स्थानों पर राज्य में उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप निवेश हेतु आमंत्रण.	व्यय राशि रु. सीएसआईडीसी
29.	— 2,03,550 /—	श्री एस. के. सोनी, प्रभारी कार्यपालन अभियंता, सीएसआईडीसी	9-10-2011 से 20-10-2011 तक	यू. एस. ए.	कैलिफोर्निया के एवं आसपास के शहरों एवं पर्यटन केंद्रों का अध्ययन दौरा.	व्यय राशि रु. सीएसआईडीसी
30.	—	श्री एस. के. गुप्ता मुख्य अभियंता, पंचायत एवं ग्रामीण विकास	29-09-2011 से 04-10-2011 तक	मेक्सिको सिटी	भारत सरकार, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आयोजित XXIV World Road Congress के अधिवेशन में भाग लेने हेतु.	व्यय भारत सरकार ग्रामीण विकास विभाग द्वारा World Road Congress के अधिवेशन में भाग लेने हेतु.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
31.	-	श्री ए. के. राही, अधीक्षण अभियंता, पंचायत एवं ग्रामीण विकास	22-11-2011 से 24-11-2011 तक	बाली इण्डोनेशिया	एशियन डेव्लपमेंट बैंक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट विषय पर आयोजित कॉफ़र्स में भाग लेने हेतु.	व्यय राशि अनुमानित रु. 75,000/- एशियन डेव्लपमेंट बैंक द्वारा
32.	-	श्री आलोक कटियार, संचालक, उद्यानिकी	05-11-2011 से 11-11-2011	स्पेन	राज्य में संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए इंडो-स्पेन प्रोजेक्ट के अध्ययन हेतु भ्रमण दल भेजे जाने के संबंध में.	व्यय- राज्य बागवानी मिशन के घटक मानव विकास के अंतर्गत किया गया है. राशि रु. 3,75,000/-
33.	-	श्री पी. बी. काशी, संयुक्त संचालक	28-8-2011 से 7-09-2011	सिंगापुर एवं मलेशिया	म्यूनिसीपल बेस्ट प्रेक्टिस का अध्ययन.	व्यय-राज्य शहरी विकास अभिकरण छ. ग. द्वारा व्यय राशि रु. 1,78,395/-
34.	-	श्री लोकेश्वर साहू, उप संचालक	28-8-2011 से 7-09-2011	सिंगापुर एवं मलेशिया	म्यूनिसीपल बेस्ट प्रेक्टिस का अध्ययन.	व्यय-राज्य शहरी विकास अभिकरण छ. ग. द्वारा व्यय राशि रु. 1,78,395/-

## परिशिष्ट “तीस”

[ अतारांकित प्रश्न संख्या 27 (क्र. 199) के भाग (क) की जानकारी ]

## वर्ष 2009 से वर्ष 2011 के माह अक्टूबर तक शासकीय सेवकों के यहां मारे गए छापे एवं दर्ज प्रकरणों की जानकारी

क्र.	अपराध क्रमांक एवं पंजीयन दिनांक	धारा	आरोपियों के नाम तथा पदनाम	मकान तालाशी में पाई गई चल-अचल सम्पत्तियों की अनुमानित मूल्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	08/2009 दिनांक 24-03-2009.	13 (1) ई 13 (2) भ. नि. अ. 1988.	श्री रामलाल जगने वन परिक्षेत्राधिकारी धमतरी जिला धमतरी.	रु. 2,74,75,914/-
2.	11/2009 दिनांक 22-04-2009.	--”--	श्री अब्दुल वहीद ताजर, तत्कालीन उप अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव.	रु. 8,03,96,241/-
3.	21/2009 दिनांक 07-07-2009.	--”--	श्री नीलाम्बर सेठ, ड्रग इंस्पेक्टर, कार्यालय खाद्य एवं औषधि प्रशासन मुख्यालय रायपुर.	रु. 1,96,03,773/-
4.	29/2009 दिनांक 09-08-2009.	--”--	श्री परेश मंडल, लेम्पस मैनेजर, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक मर्यादित कांकेर.	रु. 1,44,33,000/-
5.	12/2010 दिनांक 04-05-2010.	--”--	श्री जे. आर. भगत, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मुंगेली जिला बिलासपुर.	रु. 2,04,21,130/-
6.	29/2010 दिनांक 02-08-2010.	--”--	श्री राजेश कुमार सेन, उप अभियंता, कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्रमांक-2 रायपुर.	रु. 1,93,51,411/-
7.	31/2010 दिनांक 12-08-2010.	--”--	श्री जे. एस. चंदेल, उप अभियंता, कार्यालय कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, संभाग क्रमांक-1 अंबिकापुर.	रु. 2,31,17,260/-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.	41/2010 दिनांक 17-09-2010	13 (1) ई 13 (2) भ. नि. अ. 1988.	श्री एम. एल. मंडावी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत गुरुर जिला दुर्ग.	रु. 2,42,65,248/-
9.	44/2010 दिनांक 09-10-2010.	--"--	श्री जी. पी. कुम्हारे, सहायक खनिज अधिकारी, जिला दुर्ग.	रु. 3,98,01,336/-
10.	50/2010 दिनांक 06-11-2010	--"--	श्री रामस्वरूप राम, अनुविभागीय अधिकारी एवं प्रभारी कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग रामानुजगंज, जिला सरगुजा.	रु. 2,44,06,962/-
11.	63/2010 दिनांक 20-12-2010.	--"--	श्री गंभीर सिंह ठाकुर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बैकुण्ठपुर जिला कोरिया.	रु. 4,71,31,868/-
12.	10/2011 दिनांक 11-02-2011.	--"--	श्री ए. के. गौतम, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन विभाग उप संभाग क्रमांक-1 कटघोरा जिला कोरबा.	रु. 5,38,83,689/-
13.	17/2011 दिनांक 07-03-2011.	--"--	श्री राधेश्याम मेहरा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पंडरिया, जिला कवर्धा.	रु. 1,81,97,265/-
14.	56/2011 दिनांक 19-09-2011.	--"--	श्री विजय कुमार भतपहरी, मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग.	रु. 3,66,26,063=43

## परिशिष्ट “इकतीस”

[ अतारांकित प्रश्न संख्या 28 (क्र. 204) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

## प्रपत्र “अ”

## राजनांदगांव जिले में वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में स्वीकृत नलजल प्रदाय योजनाओं एवं स्थल जल योजनाओं का विकासखण्डवार विवरण

क्र.	विकासखण्ड	स्वीकृत नलजल योजनायें				स्वीकृत स्थल जलप्रदाय योजनायें			
		2009-10	2010-11	2011-12	कुल	2009-10	2010-11	2011-12	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	राजनांदगांव	1	2	12	15	0	15	5	20
2.	डोंगरगांव	0	1	5	6	1	1	6	8
3.	डोंगरगढ़	1	1	4	6	0	10	5	15
4.	छुरिया	0	4	5	9	5	0	12	17
5.	चौकी	0	0	0	0	0	3	6	9
6.	मोहला	0	0	0	0	0	1	1	2
7.	मानपुर	0	0	0	0	0	2	3	5
8.	खैरागढ़	0	2	3	5	3	6	9	18
9.	छुईखदान	0	1	4	5	3	1	11	15
<b>कुल :-</b>		<b>2</b>	<b>11</b>	<b>33</b>	<b>46</b>	<b>12</b>	<b>39</b>	<b>58</b>	<b>109</b>

## प्रपत्र "ब"

**राजनांदगांव जिले में वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में स्वीकृत नलजल एवं स्थल जल प्रदाय योजनाओं में मदवार व्यय की गयी राशि की जानकारी**

**1. नलजल प्रदाय योजना**

क्र.	मद का नाम	नलजल प्रदाय योजनाओं में व्यय की गयी राशि (रुपये लाख में)			कुल (रु. लाख)
		वर्ष 2009-10	वर्ष 2010-11	वर्ष 2011-12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	विभागीय मद	14.48	3.72	0	18.20
2.	एन. आर. डी. डब्ल्यू. पी. मद	0	22.76	0	22.76
3.	आई. ए. पी. मद	0	18.50	0	18.50
	<b>योग -</b>	<b>14.48</b>	<b>44.98</b>	<b>0</b>	<b>59.46</b>

**2. स्थल जल प्रदाय योजना**

क्र.	मद का नाम	स्थल प्रदाय योजनाओं में व्यय की गयी राशि (रुपये लाख में)			कुल (रु. लाख)
		वर्ष 2009-10	वर्ष 2010-11	वर्ष 2011-12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	विभागीय मद	0	11.23	0	11.23
2.	एन. आर. डी. डब्ल्यू. पी. मद	0	38.64	0	38.64
3.	आई. ए. पी. मद	0	107.03	0	107.03
4.	पेयजल गुणवत्ता	54.72	0	0	54.72
	<b>योग -</b>	<b>54.72</b>	<b>156.90</b>	<b>0</b>	<b>211.62</b>

2011

## प्रपत्र “स”

## खुज्जी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण योजनाएं, जो संचालित नहीं हो रही है की योजनावार जानकारी

क्र. (1)	विकासखण्ड (2)	ग्राम/योजना का नाम (3)	ग्राम पंचायत (4)	योजना संचालित नहीं होने का कारण (5)
1.	छुरिया	कांपा स्थल जल योजना	कांपा	स्रोत भरपट जाने के कारण
2.	--”--	मेटेपार स्थल जल योजना	मेटेपार	स्रोत भरपट जाने के कारण
3.	--”--	बुचाटोला स्थल जल योजना	बुचाटोला	स्रोत भरपट जाने के कारण
4.	चौकी	आटरा स्थल जल योजना	बहोरनभेड़ी	स्रोत भरपट जाने एवं मोटर पंप फंस जाने के कारण.

**टीप :-** उपरोक्त योजनाएं संबंधित ग्राम पंचायत को संचालन संधारण हेतु हस्तान्तरित है एवं नवीन सफल स्रोत विकसित करने हेतु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय मैकेनिकल खण्ड राजनांदगांव द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं.

## परिशिष्ट "बतीस"

[ अतारोक्त प्रश्न संख्या 29 (क्र. 205) की जानकारी ]

## राजनांदागांव बिले में वर्ष 2011-12 में दिनांक 31-10-2011 की स्थिति तक अवैध उत्खनन एवं रायल्टी चोरी संबंधी प्राप्त शिकायतें एवं की गई कार्यवाही का विवरण

क्र.	शिकायत प्राप्त दिनांक	शिकायतकर्ता का नाम/पता	शिकायत का विषय	शिकायत जांच हेतु सक्षम अधिकारी	निराकरण हेतु लंबित शिकायतों का विवरण	निराकृत प्रकरणों का विवरण	रिमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	29-03-2011	श्री सुनील निबाद, बुधवारी पारा डोंगराढ़.	ग्राम-पिपरखार तहसील डोंगराढ़ में अवैध रूप से चल रहे ईट निर्माण रोकने व कार्यवाही करने बाबत.	खनि. निरीक्षण को शिकायत पत्र में उल्लेखित तथ्यों के संबंध में जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पत्र क्रमांक 733 दिनांक 31-03-2011 द्वारा निर्देशित.	लंबित	-	जांच प्रतिवेदन अपेक्षित
2.	13-05-2011	अब्दुल हकीम आ. अब्दुल वहीद ग्राम व तह. डोंगराढ़. वार्ड नं.-11 मेसिया नगर, डोंगराढ़.	ग्राम-घुघवा में चोरी से पत्थर तोड़े जाने बाबत.	खनि. निरीक्षक को शिकायत पत्र में उल्लेखित तथ्यों के संबंध में जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पत्र क्रमांक 3474 दिनांक 20-05-2011 द्वारा निर्देशित.	-	निरीक्षण दिनांक को अवैध उत्खनन नहीं होना पाया गया.	आवेदक को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 739 दिनांक 10-08-2011 को सूचित किया गया है.
3.	30-05-2011	श्री रमेश तेली एवं ग्रामवासीगण ग्राम-सीताकसा वि. ख. छुरिया जिला-राजनांदागांव.	अवैध ईट निर्माण के संबंध में.	खनि. निरीक्षक को शिकायत पत्र में उल्लेखित तथ्यों के संबंध में जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पत्र क्रमांक 608 दिनांक 01-06-2011 द्वारा निर्देशित.	-	अवैध ईट निर्माण स्थल की जांच की गई. मौके पर ईट निर्माण का कार्य नहीं होना पाया गया है.	आवेदक को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 740 दिनांक 10-08-2011 को सूचित किया गया है.
4.	6-08-2011	देवकी बाई सिन्हा उपसरपंच ग्राम पंचायत-टप्पा.	ग्राम-ओडारबांध में अवैध रूप से मुरुम निकलने बाबत.	तहसील डोंगराढ़ एवं खनि निरीक्षक, राजनांदागांव को शिकायत पत्र में उल्लेखित तथ्यों के संबंध में जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पत्र क्रमांक 5856 दिनांक 10-08-2011 द्वारा निर्देशित.	लंबित	-	जांच प्रतिवेदन अपेक्षित

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.	24-08-2011	हरचंद निषाद ग्राम- लुडकाबोड़ वि. ख. छुरिया, जिला- राजनांदागांव.	अवैध ईट बिक्री हेतु शिकायत.	खनि. निरीक्षक जांच दल प्रभारी को शिकायत के संबंध में जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पत्र क्रमांक 776 दिनांक 03-09-2011 द्वारा निर्देशित.	लंबित	-	जांच प्रतिवेदन अपेक्षित
6.	24-08-2011	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत डोंगरगांव.	सरपंच, ग्राम-पंचायत अमलीडीह द्वारा घुसवा खदान से अवैध गिट्टी तुड़वाकर अपने ही ट्रैक्टर से दुलाई कर पद का दुरुपयोग संबंधी.	खनि. निरीक्षक जांच दल प्रभारी को शिकायत के संबंध में जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पत्र क्रमांक 760 दिनांक 30-08-2011 द्वारा निर्देशित.	-	ग्राम पंचायत द्वारा स्वतः के उपयोग हेतु गिट्टी तुड़वाई का कार्य किया गया है.	आवेदक को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 951-ए दिनांक 04-11-2011 को सूचित किया गया है.
7.	23-09-2011	भारत लाल सिन्हा ग्राम पेटेश्री वि. ख. डोंगरगांव जिला राजनांदागांव.	कृषि भूमि पर हाथ ईटाभट्टा निर्माण कार्य बन्द कराने बाबत.	खनि. निरीक्षक जांच दल प्रभारी को शिकायत के संबंध में जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने कार्यालयीन पत्र क्रमांक 837 दिनांक 26-09-2011 द्वारा निर्देशित.	-	स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में यह तथ्य सामने आया कि कृषि भूमि से 10 मीटर छोड़कर ईट निर्माण नियमानुसार किया जा रहा है.	आवेदक को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 983-ए दिनांक 23-11-2011 को सूचित किया गया.
8.	17-10-2011	समस्त ग्रामवासी मटिया डोंगरगांव तहसील डोंगरगांव जिला-राजनांदागांव.	नगर पंचायत डोंगरगांव के नगर सीमा से अवैध तरीके से किये जा रहे रेत उत्खनन एवं निकासी पर रोक लगाकर कारोबारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही किये जाने बाबत.	खनि. निरीक्षक जांच दल प्रभारी को शिकायत के संबंध में जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने कार्यालयीन पत्र क्रमांक 916 दिनांक 20-10-2011 द्वारा निर्देशित.	-	खनि. अधिकारी द्वारा खनिज जांच दल के साथ अधिसूचित रेत खदान का निरीक्षण किया. निरीक्षण दिनांक 05-11-11 को रेत खदान पर पानी भरा होना पाया गया. आसपास के क्षेत्रों में भी रेत निकासी का कार्य बन्द होना पाया गया. गौण खनिज नियम 1996 में पंचायतों को अवैध उत्खनन/परिवहन	आवेदक को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 977 दिनांक 02-12-2011 को सूचित किया गया है.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							पर रोक लगाने संबंधी प्रदत्त अधिकारों के संबंध निर्देश दिया गया है.